राजभाषा भारती

जनवरी-मार्च, 1980 अंक-8

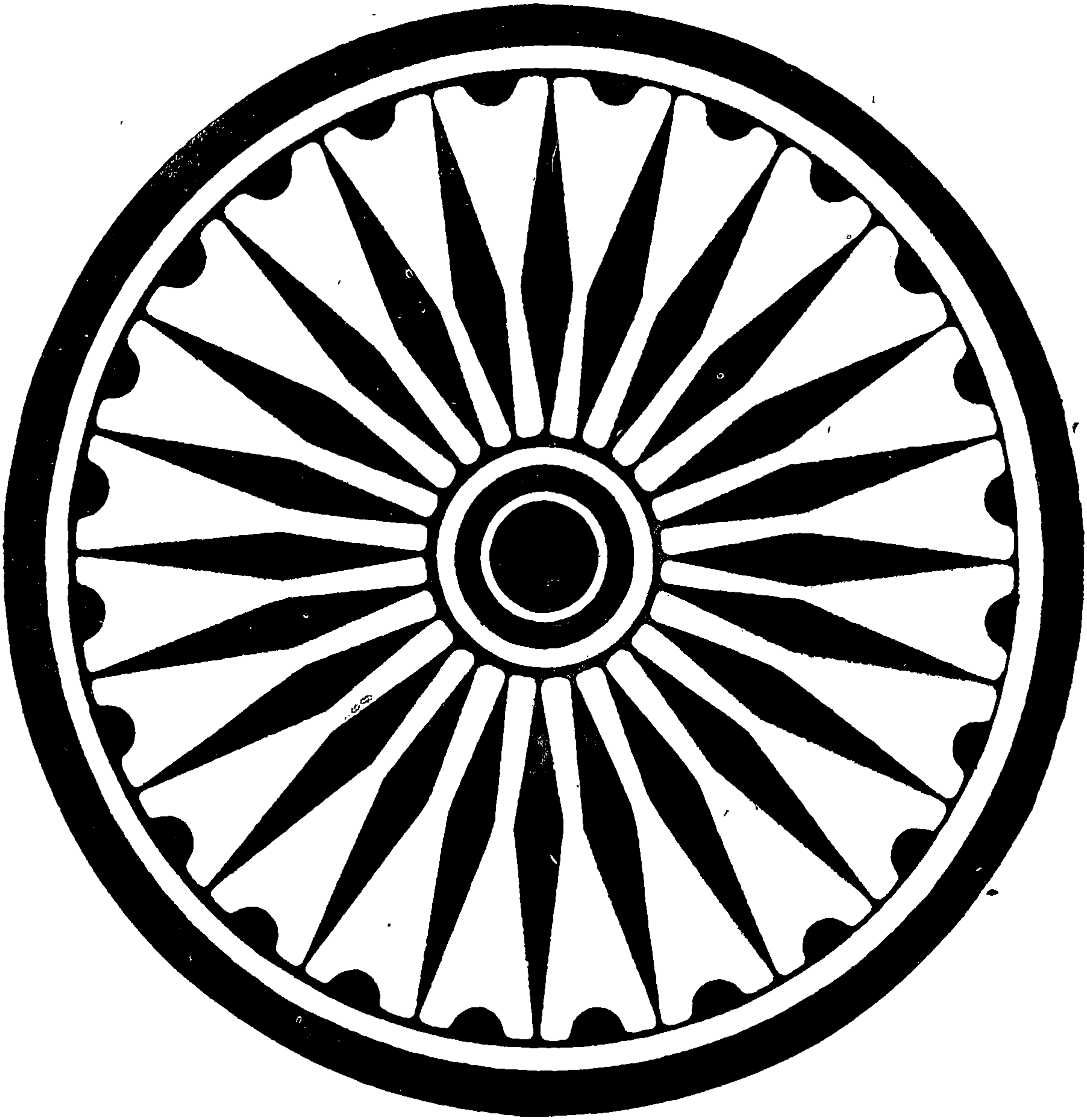

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते
गृह मंत्री
भारत सरकार

संदेश

भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा है। साथ ही भारत सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह हिंदी का समुचित विकास और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे।

केंद्रीय सरकार की बराबर यह नीति रही है कि जहाँ एक ओर संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और इस काम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, वहाँ दूसरी ओर, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में जो कानूनी व्यवस्था है उसका भी पूरा-पूरा अनुपालन किया जाए, ताकि अहिंदी भाषी राज्यों और हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह भी जरूरी है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न करके सद्भाव से काम लिया जाए।

सरकार की नीति और इसे अमल में लाने की दिशा में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे कामों को सबके सामने लाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा भारती' पत्रिका एक अच्छा कदम है। मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से हिंदी के प्रयोग के बारे में लोगों को सरकारी नीति और उसके कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। साथ ही, इससे सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी।

मैं पत्रिका को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

—जैल सिंह

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

संपादक
रजामणि तिवारी

उप संपादक
हरिहर प्रसाद द्विवेदी

वर्ष-2 | अंक—8 | जनवरी–मार्च, 1980

विषय-सूची

पृ० सं०

1. अपनी बात — 2

2. केंद्रीय हिंदी समिति तथा राजभाषा संबंधी अन्य समितियाँ :
   - (I) केंद्रीय हिंदी समिति की उपसमिति की 16वीं बैठक के प्रमुख निर्णय 3
   - (II) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 8वीं बैठक के प्रमुख निर्णय . . . 4
   - (III) रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 13वीं बैठक का विवरण 6
   - (IV) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक का विवरण 10

3. हिंदी के बढ़ते चरण :
   - (I) पुनर्वास विभाग में हिंदी के प्रयोग की स्थिति —श्री आर० तिरुमलै 15
   - (II) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में हिंदी —श्री प्रेम लाल शर्मा 16
   - (III) भिलाई इस्पात संयंत्र में राजभाषा हिंदी का प्रयोग —श्री मृत्यंजय शर्मा 18
   - (IV) हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में हिंदी की प्रगति —श्री बी० एल० पाटिल 21

4. द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन—आयोजन और उपलब्धियाँ : —श्री राजमणि तिवारी 22

5. यांत्रिक साधन एवं सुविधाएँ :
   - (I) वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी —डा० शिवगोपाल मिश्र 28
   - (II) वास्तुकीय नक्शों में हिंदी का प्रयोग —श्री इंद्रदेव रस्तोगी 31

6. सहायक साहित्य :
   - (I) रक्षा शब्दावली : सृजन तथा प्रयोग —श्री मणिराम 32
   - (II) किसी सरकारी कर्मचारी के पेंशन के कागज-पत्र लेखा अधिकारी को भेजने का प्रपत्र (फार्म) 34

7. आदेश–अनुदेश :
   - (I) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति के संबंध में सूचना देना 36
   - (II) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूसरे मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के लिए समुचित स्टाफ उपलब्ध कराना 37

8. संसदीय राजभाषा समिति : एक परिचय 40

9. समाचार 41

10. हिंदी कहाँ और कितनी ? 54

11. पाठकों के पत्र 56

पत्र व्यवहार का पता : संपादक, 'राजभाषा भारती', राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
प्रथम तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110 003
फोन नं० 617807 / 617657

अपनी बात :

कोई दो महान व्यक्ति एक तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। प्रत्येक विचारक और लेखक की अपनी अलग-अलग शैली होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा की अपनी शब्दावली और अपने मुहावरे होते हैं। व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, लेखाकार, वकील और दार्शनिक सभी के अलग-अलग भाषाई रजिस्टर होते हैं। अत: भाषा पर कोई. बंधन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और भाषा अपनी सार्वभौमिकता खो देती है। फिर भी, उसकी लिपि और वर्तनी आदि में एकरूपता का होना निहायत जरूरी होता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा हिंदी में प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं के संपादकों और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक बैठक राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। काफी विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि लिपि और वर्तनी के सम्बन्ध में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और नियमों का पालन किया जाए। इन नियमों को निदेशालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं के अतिरिक्त राजभाषा भारती के पाँचवें और छठवें अंकों में भी प्रकाशित किया गया है।

लिपि और वर्तनी संबंधी एकरूपता के पालन में मुद्रणालय और फाउंडरी वालों का बड़ा योगदान होता है। हमारे प्रेसों में कम्पोजीटर और प्रूफ रीडरों को भी इन बातों की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वे अपने पुराने अभ्यास के कारण नए परिवर्तनों को जल्दी नहीं पकड़ पाते जबकि प्रकाशनों को तैयार करने में इनका बड़ा भारी हाथ होता है। प्रतिदिन लाखों टन कागज-पत्रों की छपाई होती है। उनके माध्यम से करोड़ों लोगों के सामने छपी हुई चीजें जाती हैं। इनमें जिस प्रकार की लिपि और वर्तनी का प्रयोग किया जाएगा उसी का अनुकरण दूसरे लोग भी करेंगे। इस क्षेत्र में सरकारी प्रकाशन और समाचार-पत्र महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

जहाँ तक "राजभाषा भारती" का सवाल है, हम बराबर यही प्रयास करते रहे हैं कि संशोधित लिपि और मानक वर्तनी का ही प्रयोग किया जाए किन्तु अभी तक हमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। यदि भारत सरकार तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के संपादक भी इस दिशा में प्रयत्नशील हों तो प्रेस वाले, हर ओर से माँग होने के कारण, अपनी परिपाटी में अवश्य सुधार करेंगे क्योंकि माँग और पूर्ति का व्यावसायिक क्षेत्र में खास महत्व होता है।

"राजभाषा भारती" का प्रकाशन अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ किया गया था। इस अंक के साथ मार्च, 1980 में यह पत्रिका अपने जीवन के दो वर्ष पूरे करने जा रही है। स्टाफ की कमी के बावजूद हमने इस बीच जो अंक प्रकाशित किए हैं उनका सर्वत्र स्वागत किया गया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसके प्रारम्भ के चार अंकों की तीन-तीन हजार प्रतियाँ प्रकाशित की गई थीं जबकि, पाठकों की माँग के कारण पाँचवें अंक से इसकी पाँच-पाँच हजार प्रतियाँ प्रकाशित करनी पड़ी हैं। फिर भी जितनी प्रतियों की माँग आ रही है उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त स्वेच्छा सेवी संस्थाओं, विभिन्न पुस्तकालयों और व्यक्तियों की निरन्तर माँग को देखते हुए इस पत्रिका को समूल्य बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। मूल्य निर्धारित हो जाने पर माँग को देखते हुए इसकी और अधिक प्रतियाँ प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाएगा। यह अंक 1980 का प्रथम अंक है अत: इसके द्वारा हम अपने सभी पाठकों के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं।

यह अंक जब तक आपके हाथों में होगा तब तक सातवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हो चुके होंगे और देश में नई सरकार होगी। हमें पूरी आशा है कि नई सरकार के निदेशन में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए और प्रयास किए जाएँगे तथा हमें अपने महान देश की जनता की अधिक सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होगा।

—संपादक

केंद्रीय हिंदी समिति तथा राजभाषा संबंधी अन्य समितियाँ

I. केंद्रीय हिंदी समिति की उपसमिति की 16वीं बैठक के प्रमुख निर्णय

केंद्रीय हिंदी समिति की उपसमिति की 16वीं बैठक 24 मई, 1979 को गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जिसमें नीचे लिखे प्रमुख निर्णय लिए गए :–

(1) अंतर्राज्यीय बैठकों में दुभाषियों और आधुनिक साधनों की व्यवस्था

उपसमिति का विचार था कि जहाँ तक हो सके भावान्तर के लिए पक्की व्यवस्था ही करनी चाहिए क्योंकि चल (Mobile) व्यवस्था पूरे तौर पर सन्तोषजनक नहीं हो सकती। इस सन्दर्भ में उपसमिति का यह भी विचार था कि जहाँ नए आडोटोरियम बन रहे हैं वहाँ भाषान्तर की पक्की व्यवस्था शुरू से ही की जानी चाहिए। वर्तमान भवनों में जहाँ यह व्यवस्था हो सके उसका भी प्रबन्ध करना चाहिए ।

(2) राजभाषा के काम की देखभाल करने वाले कार्यालयों के लिए एक स्थान पर भवन की योजना

उपसमिति का विचार था कि हिन्दी सम्बन्धी नीति निर्धारण में लगे हुए कार्यालयों के अलावा हिन्दी के प्रसार प्रचार में लगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों को भी राजभाषा विभाग के साथ ही स्थान देने पर विचार करना चाहिए जिससे हिन्दी को आगे बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रमों में उचित समन्वय स्थापित किया जा सके।

(3) भारत सरकार द्वारा हिंदी में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाने पर विचार

यह विचार प्रकट किया गया कि बजाय यह निर्णय लेने के कि सभी पत्रिकाएँ अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में निकाली जाएँ, यह करना उचित होगा कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है, वहाँ वहाँ हिन्दी की पत्रिकाएँ निकाली जाएँ। हाँ जो भी हिन्दी पत्रिकाएँ निकलें, उनका स्तर अच्छा होना चाहिए और उनके संपादक मंडल को वेतन आदि भी अच्छा मिलना चाहिए। साथ ही, इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक लेख मूल रूप से हिन्दी में लिखे जाएँ न कि अंग्रेजी लेखों का हिन्दी अनुवाद करके हिन्दी पत्रिका में छापा जाए। इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय ने कुछ ऐसी पत्रिकाओं का उदाहरण दिया, जिन में अंग्रेजी में छपे हुए लेखों का सारांश हिन्दी अथवा गुजराती में दिया जाता है । उपसमिति ने उपर्युक्त सुझाव से सहमति प्रकट की ।

(4) नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिए जाने के लिए दिल्ली में एक संस्थान की स्थापना

इस बात पर विचार करते हुए कि भर्ती के समय हिन्दी जानना अनिवार्य नहीं है, किन्तु सरकारी नौकरियों में भर्ती के बाद हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले व्यक्तियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है, उपसमिति ने हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाने और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा उसके उपसंस्थानों की स्थापना के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता स्वीकार की । यह भी तय हुआ कि प्रोबेशन के दौरान हिन्दी का समुचित ज्ञान प्राप्त कराने की अनिवार्यता की संभावना पर भी विचार किया जाए ।

(5) गृह मंत्रालय के तत्वावधान में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

हिन्दी आशुलिपि तथा टाइप लेखन के प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या अभी बहुत कम है। विचार विमर्श के पश्चात यह तय किया गया कि उपयुक्त संख्या में नए केन्द्र खोले जाने चाहिए तथा प्रत्येक अहिन्दी भाषी राज्य और संघ शासित क्षेत्र में कम से कम ऐसा एक केन्द्र खोला जाना चाहिए।

(6) रेल मंत्रालय के कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था

विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण योजना का तो समुचित फैलाव किया ही जाना चासिए, साथ ही जहाँ राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं- वहाँ इस काम के लिए अन्य मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(7) विविध बैठक के दौरान त्रिभाषा फार्मूला का भी उल्लेख हुआ। श्री गंगाशरण सिंह ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार देश के कुछ भागों में हिन्दी पढ़ाने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए गए हैं उनसे हिन्दी पढ़ाने के बजाय अन्य विषय पढ़ाने का काम लिया जा रहा है; जो उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बात शिक्षा मंत्रालय के ध्यान में लाई जानी चाहिए जिससे कि यदि ऐसी गलत प्रक्रिया हो रही हो तो उसे रोका जा सके।

इस संदर्भ में उपसमिति ने यह विचार प्रकट किया कि त्रिभाषा फार्मूला देश तथा सरकार के लिए महत्व का है और इसे उचित रूप में शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए । गृह राज्य मंत्री ने उपसमिति को बताया कि इस विषय में उनकी बातचीत शिक्षा राज्य मंत्री से हो चुकी है और वे इस बात से सहमत हैं कि राजभाषा विभाग इस मामले को अपनी ओर से उठाए जिससे त्रिभाषा फार्मूला पूरी तरह से लागू किया जा सके।

19 HA/79—2

II. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आठवीं बैठक के प्रमुख निर्णय :

राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री कृपा नारायण की अध्यक्षता में 5 जुलाई, 1979 को हुई केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नीचे लिखे प्रमुख निर्णय लिए गए :—

(1) अनुवाद कार्य के लिए मानदेय की दर बढ़ाने की आवश्यकता

समिति के सदस्यों का समान रूप से यह विचार था कि वर्तमान दर बहुत कम है और इसे शीघ्र उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए । समिति को सूचित किया गया था कि मानदेय की दर 5 रुपये प्रति हजार शब्द से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति हजार शब्द करने पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है । अध्यक्ष महोदय ने इच्छा प्रकट की कि इस बारे में निर्णय शीघ्र ही किया जाना चाहिए । (अब मानदेय की दर 5 रुपए प्रति हजार शब्द से बढ़ाकर 10 रु० प्रति हजार शब्द कर दी गई है) ।

कुछ सदस्यों ने यह बात भी उठाई कि अनुवादकों को अपने काम के अलावा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी दिया जाता है, जिससे उनका काम पिछड़ता है और यदि उनसे उनके अपेक्षित समय के बाद अनुवाद कराया जाए तो उन्हें भी मानदेय दिया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने यह बात स्पष्ट की, कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अलग से हिन्दी अधिकारियों के पद समुचित संख्या में होने चाहिए और अनुवादकों के यथेष्ट पद अलग होने चाहिए, जिससे वे अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकें ।

(2) समिति के कुछ सदस्यों ने यह कठिनाई व्यक्त की कि सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों, निकायों आदि की बहुत सी सांविधिक सामग्री के अनुवाद की कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसी सामग्री न तो विधि मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खंड अनुवाद के लिए स्वीकार करता है और न राजभाषा विभाग के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो । नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग और कुछ विभागों के सदस्यों ने बताया कि यदि ऐसी सामग्री का वे स्वयं अनुवाद भी करा लें तो उसकी पुनरीक्षा/विधीक्षा की व्यवस्था भी नहीं है । चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया कि जो विधिक सामग्री विधायी विभाग (राजभाषा खंड) के कार्यक्षेत्र में नहीं आती उसके अनुवाद की व्यवस्था केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में की जानी चाहिए और चूँकि यह कार्य विधिक प्रकृति का होगा अतः इसके लिए ब्यूरो में अलग से स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(3) जिन आशुलिपिकों को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं की आशुलिपि का ज्ञान है उन्हें कुछ विशेष भत्ता देने की व्यवस्थ की जाए :

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा कार्मिक विभाग से परामर्श किया जा रहा है । सदस्यों का विचार था कि जो टंकक आशुलिपिक भर्ती किए जाएँ, उन्हें निर्धारित परिवीक्षा काल में दूसरी भाषा (हिन्दी या अंग्रेजी जो भी हो) में टंकण आशुलिपिक का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए।

सदस्यों ने यह भी विचार प्रकट किया कि इस समय राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे आशुलिपि एवं टंकण के केन्द्रों की संख्या बहुत कम है और इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । समिति को सूचित किया गया कि इस विषय में राजभाषा विभाग विचार कर रहा है और अतिरिक्त केन्द्र खोलने की कोशिश की जा रही है ।

इस संदर्भ में कुछ सदस्यों ने यह भी विचार प्रकट किया कि सरकारी प्रयास के साथ-साथ यह भी कोशिश करनी चाहिए कि यदि कोई गैर सरकारी व्यक्ति या प्रशिक्षण संस्थान सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि सिखा सके तो उचित मानदेय देकर यह व्यवस्था भी की जाए । ऐसी व्यवस्था कम से कम बड़े शहरों में तो की ही जा सकती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि राज्यों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि एवं टंकण सिखाने की व्यवस्था होती है । उसमें यदि कोशिश करके केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दाखिला दिलाया जा सके तो बहुत मदद मिलेगी । उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में श्रम मंत्रालय से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(4) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित प्रशासनिक शब्दावली का अंग्रेजी-हिंदी रूप बहुत उपयोगी है, उसका हिंदी-अंग्रेजी रूप भी शीघ्र प्रकाशित किया जाना चाहिए :

सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि यद्यपि विभिन्न विषयों की शब्दावलियां, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा तैयार की जा रही हैं और उनका प्रकाशन भी हो चुका है, फिर भी कई मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अपने-अपने विषयों से संबंधित शब्दावलियाँ अलग से बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस कार्रवाई को रोका जाना चाहिए । विचार-विमर्श के उपरान्त समिति ने यह तय किया कि जहाँ कोई मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अपनी सुविधा के लिए आयोग/केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा बनाई गई बृहत शब्दावली में से कुछ शब्द छाँटकर उनको अपने उपयोग के लिए प्रकाशित करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । लेकिन आयोग/केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की कोशिश को दोहराकर अगर किसी नई शब्दावली के निर्माण का यत्न किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ।

इस संदर्भ में समिति ने यह भी निर्णय लिया कि जितनी शब्दावलियाँ अभी तक बनी हैं, उनकी सूची केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय सभी मंत्रालयों/विभागों को शीघ्र भेज दें। इसी प्रकार जो शब्दावलियाँ इस समय निर्माणाधीन हैं या अगले कुछ वर्षों में जिनके बनाए जाने का प्रस्ताव है, उनकी सूचना भी सभी मंत्रालयों/विभागों को शीघ्र भेज दी जाए।

(5) मैनुअलों, कोडों तथा नियम पुस्तकों के द्विभाषी संस्करण निकलवाने के उपायों पर विचार :

समिति का विचार था कि इस विषय में स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक ने समिति को बताया कि जहां तक उनको सूचना है, अभी भी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बहुत से कोड, मैनुअल, आदि केवल अंग्रेजी में ही हैं और इन्हें हिन्दी अनुवाद के लिये ब्यूरो को नहीं भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन कोडों, मैनुअलों आदि का अनुवाद हो चुका है, उनके प्रकाशन का काम भी पिछड़ रहा है। डिग्लाट रूप में उनमें से अभी बहुत थोड़े ही निकाले गए हैं। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि अनुवाद करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/विधि मंत्रालय (विधायी खण्ड) का है, लेकिन अनुवाद कराने का और उसके पश्चात् इस साहित्य के द्विभाषी प्रकाशन का उत्तरदायित्व संबद्ध मंत्रालयों/विभागों का है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुवाद होने के बाद शीघ्र ही यदि ऐसे कोड, मैनुअल, आदि द्विभाषी रूप में प्रकाशित नहीं किए जाते तो अनुवाद के लिए की गई मेहनत व्यर्थ जाती है और राजभाषा की प्रगति भी नहीं हो पाती। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि इस काम को महत्व दिया जाना चाहिए।

समिति ने यह निर्णय लिया कि सभी मंत्रालय/विभाग एक माह के अन्दर केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक को यह सूचित करें कि उनके कुल कितने कोड/मैनुअल आदि के अनुवाद किए जाने थे, उनमें से कितनों का अनुवाद ब्यूरो द्वारा कराया जा चुका है और अनूदित कोड/मैनुअल में से कितने हिन्दी में अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

(6) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों से संबंधित तैयारी :

यह निश्चय किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें सभी मंत्रालयों/विभागों तथा संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में नियमित रूप से हर तीन महीने में एक बार की जानी चाहिए और इन बैठकों को उपयोगी बनाने के लिए ठीक ढंग से तैयारी की जानी चाहिए। राजभाषा विभाग ऐसी मदों की सूची उदाहरण के रूप में तैयार कर देगा जिन पर इन समितियों में अन्य मदों के अलावा विचार किया जाना चाहिए। अच्छा होगा कि इन समितियों की बैठकों में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आँकड़े, केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम और हिन्दी सम्बन्धी अन्य आदेशों के कार्यान्वयन आदि के बारे में अलग-अलग मदों के रूप में चर्चा की जाए, जिन समितियों में सदस्यों की संख्या थोड़ी है वहाँ उसे बढ़ाया जाए। विभाग के विभिन्न प्रभागों के अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को समिति में शामिल करके, सदस्यों की संख्या 14 तक रखी जानी चाहिए जिससे राजभाषा सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन में अधिक व्यक्तियों का सहयोग मिल सके। ऐसी जो बैठकें दिल्ली में हों उनमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए और दिल्ली से बाहर होने वाली बैठकों में हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों को। इन समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त राजभाषा विभाग को भी भेजा जाए।

यह भी तय किया गया कि मंत्रालय/विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में प्रमुख अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिनिधियों को बारी-बारी से इस ढंग से बुला लेना उचित होगा कि उन कार्यालयों के प्रतिनिधि वर्ष में कम से कम एक बार मंत्रालय/विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग ले सकें। कई मंत्रालय पहले से ही ऐसा कर रहे हैं।

(7) हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए आवश्यक यांत्रिक सुविधाओं का विस्तार :

अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी की प्रगति तभी ठीक रूप से हो पाएगी जब उसके लिए समुचित यांत्रिक सुविधाएं भी उपलब्ध हों। राजभाषा विभाग की ओर से प्रयत्न किया गया है कि देश में देवनागरी लिपि के स्टैंडर्ड तथा सफरी (पोर्टेबल) टाइपराइटर काफी संख्या में उपलब्ध हों। बिजली चालित देवनागरी टाइपराइटर, देवनागरी लिपि के पिन-प्वाइंट टाइपराइटर तथा कम्प्यूटर आदि भी मिल सकें, इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है। यह तय हुआ कि, सभी मंत्रालय/विभाग इस बात को जँचवा लें कि उनके किन-किन कार्यों में ऐसे यंत्रों का उपयोग हो रहा है जो इस समय रोमन लिपि में उपलब्ध हैं और देवनागरी लिपि में नहीं, और राजभाषा विभाग को सूचित करें कि इन यंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने इस बात का भी उल्लेख किया कि पुलिस के तारों को देवनागरी लिपि में भेजने की व्यवस्था करने के लिए कई हजार कर्मचारियों को देवनागरी मोर्स कोड का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी। उसका प्रबन्ध किया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी मंत्रालय/विभाग यह विचार करें कि इस प्रकार अन्य कामों

में भी हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करने के लिए यदि कर्मचारियों को कोई विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी तो वे किस प्रकार के काम हैं तथा उनके लिए क्या-क्या प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

(8) हिंदी में काम करने की प्रेरणा देने के लिए कैलेंडर का प्रकाशन : वर्ष 1979 को "राजभाषाओं का वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है । इस वर्ष में एक सुन्दर और आकर्षक कैलेंडर हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों के लिए प्रकाशित कराने का प्रस्ताव राजभाषा विभाग में विचाराधीन है । सभी सदस्य सहमत थे कि ऐसा कैलेंडर प्रकाशित करना उपयोगी होगा । कैलेंडर की सामग्री का प्रारूप समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । कुछ सदस्यों ने कैलेंडर की सामग्री के बारे में अपने सुझाव दिए। अध्यक्ष महोदय ने अन्य सदस्यों से अनुरोध किया कि इस बारे में यदि उनके कुछ सुझाव हों तो वे शीघ्र राजभाषा विभाग को भेज दें ।

(9) विविध : बैठक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सहायता के लिए यांत्रिक सुविधाओं के विकास और वृद्धि हेतु राजभाषा विभाग में एक यांत्रिक एकक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई । विचार-विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि आज के औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के युग में भाषा से की जाने वाली अपेक्षाओं को पूरा कर सकने के लिए हिन्दी में यांत्रिक सुविधाओं का विकास और प्रयोग नितान्त आवश्यक है । अतः यह तय किया गया कि यांत्रिक सुविधाओं के विकास और वृद्धि से संबंधित काम के समन्वय के लिए राजभाषा विभाग में एक पृथक यांत्रिक कक्ष का गठन जरूरी है । इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन के बारे में और यांत्रिक सुविधाओं के समयबद्ध विकास के बारे में अविलम्ब कार्रवाई की जाए।

III रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 13 वीं बैठक का विवरण :

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की 13वीं बैठक रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में 31 मई, 1979 को रेल भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई । इसकी कार्रवाई के प्रमुख अंशों का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

(1) मंत्री जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि रेल मंत्रालय राजभाषा नियमों के पालन की स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस संबंध में महसूस की गई कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की जा रही है । रेलों के मुख्यालय और मंडल स्तर पर हिन्दी संगठनों को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि क्रमशः आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों की संख्या बढ़ाई जाए । पहले चरण में क्षेत्रीय रेलों के लिए लगभग 200 अराजपत्रित पदों की मंजूरी दी गई है । साथ ही, प्रत्येक अधिसूचित मंडल अथवा 'क' क्षेत्र में स्थित मंडल कार्यालयों के लिए द्वितीय श्रेणी का एक-एक राजपत्रित पद और 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित मंडलों के लिए 2 या 3 मंडलों को मिलाकर ऐसे एक-एक राजपत्रित पद दिए गए हैं । मुख्यालयों के लिए प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । माननीय मंत्री जी ने यह भी सूचना दी कि रेलवे बोर्ड तथा अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के कार्यालय के लिए भी अतिरिक्त पदों की आवश्यकता की जाँच पड़ताल का काम शीघ्र पूरा होने की आशा है ।

रेल कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन समितियाँ गठित करने के संदर्भ में मंत्री जी ने सूचित किया कि संसदीय राजभाषा उपसमिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने की दृष्टि से ऐसे सभी स्टेशनों/कार्यालयों में राजभाषा समितियाँ गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं जहाँ तृतीय श्रेणी और इससे ऊपर के कुल 250 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं । इस प्रकार की समितियाँ काफी जगहों पर गठित हो चुकी हैं और अन्य जगहों पर इन्हें गठित किया जा रहा है । कुल मिलाकर रेलों पर लगभग 400 कार्यान्वियन समितियाँ गठित होंगी।

राजभाषा वर्ष के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में कुछ बड़े-बड़े रेल कार्यालयों के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया गया है, जिससे रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को यह मौका मिलेगा कि राजभाषा के अनुपालन में हुई प्रगति और इसके कार्य में आने वाली कठिनाइयों का वे स्वयं जायजा ले सकेंगे । मंत्री जी ने सभी उच्च अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें।

(2) पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की कुछ मदों पर माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(क) संसद सदस्य श्री योगेंद्र शर्मा ने दिल्ली में भी अनेक स्थानों पर सिर्फ अंग्रेजी में सूचनापट एवं आरक्षण चार्ट अंकित होने का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यालयों में हिन्दी में काम चले, यह अच्छी बात है लेकिन रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण चार्ट हिन्दी में भी लगाए जाएँ, क्योंकि इनका सीधा संबंध जनता से है । यदि

आरक्षण चार्ट हिन्दी में नहीं लगाए जाएँगे तो यह गलतफहमी होगी कि हिन्दी में कामकाज नहीं हो रहा है । इसलिए हिन्दी भाषी क्षेत्र में द्विभाषिक आरक्षण चार्ट लगाने की गारंटी दी जाए।

श्री योगेंद्र शर्मा के अलावा सर्वश्री रमेश कुन्तल मेघ, बशीर अहमद मयूख, नारायण दत्त तथा प्रभात शास्त्री ने भी आरक्षण चार्टों के बारे में चर्चा में भाग लिया । श्री नारायण दत्त ने कहा कि बम्बई में आरक्षण चार्ट देवनागरी लिपि में बनाए जाने में अधिकांश जनता को सुविधा रहेगी । आरक्षण चार्ट द्विभाषी रूप में न बनाए जाने के कारण समिति के सदस्य काफी उत्तेजित थे । उन सभी का कहना था कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली स्टेशन पर आज भी केवल अंग्रेजी में आरक्षण चार्ट लगाए जा रहे हैं । जबकि नियमानुसार उन्हें द्विभाषी होना चाहिए । श्री नारायण दत्त ने यह भी सुझाव दिया कि मराठी, गुजराती और हिन्दी की लिपि एक जैसी है इसलिए यदि तत्परता बरती जाए तो इन क्षेत्रों में भी इस काम को आसानी से किया जा सकता है । श्री मयूख ने मुरादाबाद मण्डल के शाहजहाँपुर स्टेशन के एक कर्मचारी को इस कारण चार्ज-शीट दिए जाने की सूचना दी कि उसने आरक्षण चार्ट हिन्दी में बनाया था । उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या हिन्दी में आरक्षण चार्ट बनाने पर चार्ज-शीट दी जाती है । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि भाषा के प्रश्न पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा वह इस मामले की जाँच कराएंगे और सदस्य महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। रेल मंत्री जी ने आरक्षण चार्टों के विषय में बताया कि उन्हें द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करने के लिए चरण-बद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और यह आश्वासन दिया कि शीघ्र ही प्रथम चरण में 'क' क्षेत्र के स्टेशनों पर द्विभाषी आरक्षण चार्ट लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और उसके पश्चात् 'ख' क्षेत्र के स्टेशनों पर जैसे जैसे स्टाफ बढ़ता जाएगा द्विभाषी चार्ट लगाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(ख) डा० मेघ ने कहा कि हिन्दी कार्य के लिए टाइपराइटर इत्यादि जो उपकरण दिए गए हैं, उनका उपयोग नहीं होता है । उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर देवनागरी टाइपराइटर बक्सों में बन्द पड़े हैं । निदेशक, राजभाषा ने कहा कि इनके पूर्ण प्रयोग के संबंध में समुचित व्यवस्था करने को कहा जाएगा ।

(ग) परिचालनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रस्ताव के संबंध में श्री गंगाशरण सिंह ने बताया कि प्रस्ताव की भाषा ऐसी थी जिससे यह प्रतीत होता था कि रेलवे मंत्रालय सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण अपने हाथ में लेना चाहता है । यह तो पहले से ही तय है कि जहाँ राजभाषा विभाग अपना केन्द्र स्थापित न कर सके, वहाँ विभागीय व्यवस्था की जा सकती है । सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिये पूरा सहयोग दिया जाएगा । शिफ्ट ड्यूटी रेल कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण की समस्या पर श्री योगेंद्र शर्मा ने यह सुझाव दिया कि रेल मंत्री जी, राजभाषा विभाग के सचिव और निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड मिलकर इस पर विचार करें । निदेशक, राजभाषा ने कहा कि वे पहले इस बारे में सचिव, राजभाषा से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर लेंगे । संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग ने आश्वासन दिया कि आवश्यकतानुसार नए केन्द्र खोले जाएँगे और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में विभागीय शब्दावली भी शामिल की जा सकती है और अन्य अपेक्षित संशोधन भी किए जा सकते हैं ।

(घ) रेल मंत्री जी ने सदस्यों को बताया कि संरक्षा और रेल परिचालन के महत्व को तथा आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने को समुचित प्राथमिकता दी जाएगी। श्री योगेंद्र शर्मा ने इस संबंध में सांविधिक दायित्व पर जोर देते हुए कहा कि इनके अनुपालन से संरक्षा एवं कार्यकुशलता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि इस काम के लिए आवश्यक पद सृजित किए जाएँ । डा० रघुवंश ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की भाषा में सरकारी काम करने से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेंगे और संरक्षा पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अंग्रेजी के माध्यम से काम करने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इससे रेलों की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । रेल मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि रेलों पर हिन्दी के प्रयोग की स्थिति अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा काफी अच्छी है । फिर भी, उनकी यह मंशा कभी नहीं है कि इसे और बढ़ाने के लिए प्रयत्न न किए जाएँ। सदस्यों

को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि इस काम के लिए आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद यथासंभव अधिक से अधिक पद देने का प्रयत्न किया जाएगा ।

(3) रेलवे बोर्ड द्वारा राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन रोके जाएँ :

राजभाषा अधिनियम के अनुपालन पर जोर देते हुए श्री योगेंद्र शर्मा ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 3(3) में लगभग 15 मदें हैं जिनके संबंध में द्विभाषी व्यवस्था का अनुपालन होना चाहिए किन्तु देखा गया है कि अधिकांश कार्यालयों में ऐसा नहीं हो रहा है । इसके अलावा यह भी व्यवस्था है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं किन्तु इस का भी पूरी तरह पालन नहीं होता । उन्होंने कहा कि राजभाषा वर्ष में हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए भेजे जाने वाले मूल पत्र 66 प्रतिशत हिन्दी में भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसे पूरा किया जाना चाहिए । मंत्रालय द्वारा नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया जाना उचित नहीं है।

रेल मंत्री जी ने बताया कि उनके कक्ष से सभी हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है । उन्होंने यह भी कहा कि वे हिन्दी भाषी व्यक्तियों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में देते हैं और आवश्यकतानुसार कुछ पत्रों के साथ अंग्रेजी रूपांतर भी भेजते हैं ।

मंत्री जी ने आगे कहा कि रेलवे बोर्ड एक केन्द्रीय कार्यालय है जिसमें हिन्दी और अहिन्दी भाषी सभी क्षेत्रों के अधिकारी नियुक्ति पर आते हैं । अतः हिन्दी में काम करने में काफी कठिनाइयाँ सामने आती हैं । फिर भी धीरे-धीरे हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । पहले बोर्ड में इसका प्रतिशत 15 था जो अब बढ़कर 40 हो गया है ।

(4) पश्चिम रेलवे के 60 प्रतिशत मण्डल अधिसूचित हैं फिर भी प्रधान कार्यालय के लगभग हर विभाग से अधिकांश पत्र अंग्रेजी में जारी होते हैं। प्रधान कार्यालय में हिंदी कार्य का प्रतिशत 30 से बढ़ाकर 60 किया जाना चाहिए :

यह सुझाव दिया गया कि पश्चिम रेलवे के मुख्यालय में पत्र व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग का प्रतिशत जो इस समय 22 है, बढ़ाया जाना चाहिए । निदेशक, राजभाषा ने बताया कि पश्चिम रेलवे 'ख' क्षेत्र में स्थित है और वहाँ का लक्ष्य 30 प्रतिशत है । कोशिश की जाएगी कि लक्ष्य तक पहुँचा जाए।

(5) लोक सेवा आयोग के माध्यम से रेलवे प्रशासन के लिए चुने गए अधिकारियों के लिए ड्यूटी पर जाने से पूर्व राजभाषा के कार्य-साधक ज्ञान का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए :

इस सम्बन्ध में निदेशक, राजभाषा ने स्पष्ट किया कि इस तरह के हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में है । प्रोबेशनर रेल अधिकारियों के लिए स्टाफ कालेज, बड़ोदरा में भी प्रारम्भिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जहाँ तक हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता का संबंध है, यह नीति विषयक प्रश्न है जिस पर राजभाषा विभाग और कार्मिक विभाग ही निर्णय ले सकते हैं । इस विषय में राजभाषा विभाग को पत्र लिखा जाएगा ।

(6) अधिसूचित कार्यालयों में वे ही उच्चाधिकारी नियुक्त किए जाएँ जो राजभाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखते हों :

डा० नामवर सिंह ने सुझाव दिया कि हिन्दी क्षेत्र के कार्यालयों में हिन्दी जानने वाले अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि वहाँ हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हो । निदेशक, राजभाषा ने बताया कि ऐसा करने के लिए पहले से ही आदेश उपलब्ध हैं ।

(7) रेल मंत्रालय स्वयं अपने पुस्तकालय के लिए कम से कम 50 प्रतिशत मूल्य की हिंदी पुस्तकें खरीदे और उन्हें रेलों को भी वितरित करे, जिनका भुगतान रेल प्रशासनों द्वारा किया जाए :

निदेशक, राजभाषा ने स्पष्ट किया कि यदि रेल प्रशासनों के लिए पुस्तकें खरीदने का काम मंत्रालय में केंद्रित किया गया तो लगभग 250 पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें खरीदने, उन्हें पुस्तकालयों को भिजवाने और उनका लेखा जोखा रखने के काम के लिए अलग से स्टाफ रखना होगा, फर्नीचर और स्थान की भी जरूरत होगी और इन सब पर काफी खर्च आएगा । उन्होंने कहा कि मंत्रालय में गठित पुस्तक चयन उप समिति द्वारा अनुशंसित पुस्तकों में से ही रेलों द्वारा पुस्तकें खरीदी जाती हैं और वर्तमान व्यवस्था के अधीन पुस्तकों के खरीद का काम ठीक चल रहा है । उन्होंने कहा कि इस बात की कोशिश की जाएगी कि अच्छी पुस्तकें खरीदी जाएँ । टेंडर के स्थान पर कमीशन तय करने के बारे में वित्त विभाग से बात की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कमीशन अधिक मिलने के लोभ में घटिया पुस्तकें न खरीदी जाएँ ।

डा० नामवर सिंह ने सुझाव दिया कि इस विषय में उप समिति द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचना सलाहकार समिति को दी जानी चाहिए । निदेशक, राजभाषा ने ऐसा करने का आश्वासन दिया ।

(8) संशोधित स्टेशन संचालन नियम अंग्रेजी-हिंदी द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएँ :

सदस्य, यातायात, रेलवे बोर्ड ने बताया कि संशोधित जनरल रूल्स का हिंदी अनुवाद तैयार हो गया है । स्टेशन वर्किंग रूल्स को भी द्विभाषिक रूप में जारी किए जाने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी ।

(9) स्टेशनों पर लगे हुए सूचना पट,नाम पट आदि में लिपियों के प्रयोग के बारे में केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णय का कार्यान्वयनः

स्टेशनों पर लगे सूचना पट/नाम पट आदि में लिपियों के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समिति को बताया गया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में (तमिलनाडु को छोड़कर) नाम पटों/सूचना पटों/सूचनाओं और स्टेशनों के नाम पटों को पहले क्षेत्रीय भाषा में और बाद में हिन्दी और अंग्रेजी में प्रदर्शित करने के लिए तुरन्त अपेक्षित कार्रवाई किए जाने की हिदायतें दे दी गई हैं। इस प्रसंग में श्री गंगा शरण सिंह ने कहा कि बहुत जगहों पर इन हिदायतों का पालन नही हो रहा है, इसकी जाँच कराई जाए। उन्होंने कहा कि स्टेशनों के नाम भी गलत अंकित किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कुचावाँ स्टेशन का जिक्र किया, जो पहले कुचवन लिखा गया था और अब कुचमन हो गया है। इस विषय में सूचना मँगवाई जाए। रेल मंत्री जी ने कहा कि पहले पुणे के बारे में भी यह बात थी। उसे पूना लिखा जाता था बाद में यह ठीक हो गया। इससे पूर्व बोलते हुए श्री रमेश चौधरी ने कहा था कि नाम पटों पर नामों में अशुद्धियाँ उच्चारण गलत होने के कारण हैं। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में पूरी कोशिश की जाएगी।

(10) हिंदी भाषा क्षेत्रों में रेल कार्यालयों द्वारा चेक हिंदी में बनाए जाने चाहिए :

समिति को बताया गया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों द्वारा चैक हिन्दी में बनाए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(11) रेलवे सुरक्षा बल के बैजों के बारे में हिंदी सलाहकार समिति के निर्णय का कार्यान्वयन :

श्री गंगा बाबू ने सुझाव दिया कि रेलवे सुरक्षा बल में प्रयुक्त 'बल' शब्द के स्थान पर 'दल' शब्द रखना अधिक उचित होगा। सचिव, राजभाषा ने कहा कि इस प्रकार के विभिन्न संगठनों के संदर्भ में इस बात पर विचार हो रहा है और निर्णय से रेल मंत्रालय को अवगत करा दिया जाएगा।

(12) सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिया गया पुरस्कार कर्मचारी को मिलना चाहिए न कि उसके बच्चों को पुरस्कार के लिए पात्र कर्मचारी का निर्णय मुख्य राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, संबद्ध विभाग के उच्च अधिकारी तथा वित्त विभाग के अधिकारी की एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए :

श्री गंगा बाबू ने कहा कि सामूहिक पुरस्कार योजना का पुरस्कार कर्मचारी को मिलना चाहिए न कि उसके बच्चों को। श्री योगेंद्र शर्मा ने भी इसका समर्थन किया। रेल मंत्री जी ने कहा कि मार्गदर्शक सिद्धांतों में अपेक्षित संशोधन कर दिया जाएगा।

(13) रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें हमेशा महत्व के अहिंदी भाषी स्थानों पर हुआ करें क्योंकि इनका ज्यादा सही, संवैधानिक तथा सौजन्यपूर्ण प्रभाव पड़ता है :

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक अहिन्दी भाषी स्थानों पर आयोजित करने के बारे में समिति को बताया गया कि इस प्रस्ताव को पहले ही मान लिया गया है और पिछले वर्ष दो बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गयी थीं। सभी बैठकें दिल्ली से बाहर हों, यह वित्तीय दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता।

(14) **अन्य विषय** के अन्तर्गत जो चर्चा हुई वह इस प्रकार हैं :—

(क) श्री योगेन्द्र शर्मा ने सुझाव दिया कि राजभाषा अधिकारियों का एक अलग संयुक्त संवर्ग बनाया जाए। इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि रेल मंत्रालय का काम तकनीकी है अतएव यह संभव नहीं है। हम रेलों पर ही इस संवर्ग को धीरे-धीरे विकसित और गठित कर रहे हैं।

(ख) निरीक्षण के काम में यह बात भी शामिल होनी चाहिए कि 'क' क्षेत्र से संबंधित आदेशों का किस प्रतिशत तक पालन होता है। श्री योगेन्द्र शर्मा ने आग्रह किया कि राजभाषा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा और अन्य संवर्ग के अधिकारियों द्वारा भी रेल कार्यालयों और स्टेशनों पर हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का बराबर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) श्री रमेश कुन्तल मेघ ने जानना चाहा कि हिन्दी के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान क्या हैं। उन्हें प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हैं या नहीं। उन्हें आश्वासन दिया गया कि रेलों और रेलवे बोर्ड के हिन्दी कर्मचारियों/अधिकारियों और अन्य संवर्ग के अधिकारियों का तुलनात्मक विवरण भेज दिया जाएगा। श्री मेघ ने यह भी जानना चाहा कि हिंन्दी के लिए कम पद क्यों दिए गए हैं। सचिव, राजभाषा विभाग ने सुझाव दिया कि एक तालिका बना ली जाए जिसमें स्पष्ट किया जाए कि कितने पद दिए गए और कितने पद खाली हैं। इस सम्बन्ध में रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा।

(घ) श्री योगेन्द्र शर्मा ने कहा कि हिन्दी का काम करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाए, ताकि वे निर्भीक होकर संवैधानिक दायित्व का पालन कर सकें। रेल मंत्री जी ने कहा कि हिन्दी का काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को पूर्ण संरक्षण दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि ये कर्मचारी/अधिकारी निर्भीकता पूर्वक राजभाषा नियमों का परिपालन करा सकें। □□□

IV. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक का विवरण :

9 मई, 1979 को पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पर्यटन और नागर विमानन मंत्री जी ने कहा कि यद्यपि समिति की दूसरी बैठक बुलाने में काफी विलंब हुआ है तथापि आगे से यह बैठक नियमानुसार सामान्यतः तीन महीने में एक बार जरूर बुलाई जानी चाहिए। अच्छा होगा अगली बैठक का स्थान और समय पहले से निर्धारित कर लिया जाए जबकि संसद का अधिवेशन न हो ताकि संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित होकर समिति की बैठक में भाग लेने की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि अगली बैठक दिल्ली से बाहर रखी जानी चाहिए जैसा कि और समितियाँ भी कर रही हैं। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि डाकतार विभाग आदि कुछ मंत्रालयों/विभागों की समितियाँ पहले ही अपनी कुछ बैठकें दिल्ली से बाहर बुलाती हैं। अतः यह तय हुआ कि इस मंत्रालय की समिति भी अध्यक्ष की अनुमति से अगली बैठक बंगलौर/त्रिवेन्द्रम/मद्रास आदि किसी अहिन्दी भाषी क्षेत्र में रखे ताकि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की समस्याओं का साक्षात् निरीक्षण एवं विवेचन किया जा सके।

विमान परिचारिकाओं द्वारा हिन्दी में घोषणाओं के बारे में चर्चा करते हुए श्री ओम मेहता ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हिन्दी घोषणाओं के उच्चारण में पहले से काफी सुधार एवं प्रगति हुई है। श्री शम्भू नाथ सक्सेना जी के यह पूछने पर कि क्या मंत्री जी वर्तमान प्रगति से संतुष्ट हैं उन्होंने मत व्यक्त किया कि अहिन्दी भाषी विमान परिचारिकाओं से पूर्णतया हिन्दी के प्रान्तीय उच्चारण और लहजे की प्रत्याशा करना कदाचित अव्यावहारिक होगा। फिर भी दोनों एयरलाइनों द्वारा उच्चारण में अधिकाधिक सुधार के प्रयत्न निरंतर जारी हैं।

डा० विश्वनाथ अय्यर ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारतीय जनता के लिए दक्षिण भारत के संबंध में हिन्दी में और अधिक पर्यटन साहित्य प्रकाशित करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। डा० अय्यर ने समिति का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि पर्यटन के संबंध में इस समय हिन्दी की जो पुस्तिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, वे अंग्रेजी के अनुवाद के रूप में ही प्रकाशित हो रही हैं और सुझाव दिया कि ये पुस्तिकाएँ मौलिक रूप से हिन्दी में तैयार की जानी चाहिए। यह और अधिक अच्छा होगा कि विभिन्न राज्यों में जो योग्य व्यक्ति हैं उनकी तरफ से अच्छी सामग्री तैयार कराई जाए या इसे राज्यों से सहायता लेकर तैयार कराया जाए। श्री दवे ने सूचित किया कि हिन्दी में *और अधिक* पर्यटन साहित्य तैयार किए जाने को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र एक संपादक की नियुक्ति की जा रही है जिसके हो जाने पर इस दिशा में काफी उल्लेखनीय प्रगति हो सकेगी। इसके बाद विचारणीय विषयों पर एक-एक करके विचार किया गया। इस संबंध में लिए गए प्रमुख निर्णय नीचे दिए जा रहे हैं:—

1. इंडियन एयरलाइंस की टिकटें हिंदी एवं अंग्रेजी में छपाई जानी चाहिए :

श्री जी० डी० माथुर, कार्यवाहक प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइंस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि विमान टिकट के मुख्य पृष्ठ पर इंडियन-एयरलाइन्स का "लोगो" हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपा होता है। यात्रा टिकटों पर जो शर्तें छपी रहती हैं उनके बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है कि क्या उन्हें टिकट पर छापना अनिवार्य है। इस बीच इन शर्तों का हिन्दी अनुवाद करवाया जा रहा है। यदि कानूनी सलाह के अनुसार इन शर्तों को टिकट पर छापना अनिवार्य समझा गया तो टिकटों की अगली छपाई के समय ये शर्तें हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपाई जाएँगी। मंत्री महोदय ने कहा कि विमान टिकटों को दोनों भाषाओं में छपाया जाना ही उचित है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एयर इंडिया के संबंध में यह बताया गया कि यात्रा संबंधी शर्तें दोनों भाषाओं में छापी जा रही हैं। कूपन भाग भी दोनों भाषाओं में छपवाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

2. हवाई जहाजों के अंदर जो भी सूचनाएँ एवं संकेत लिखे रहते हैं उन्हें साथ-साथ हिंदी में भी लिखा जाना चाहिए :

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों ने सूचित किया कि उनके सभी विमानों में प्रदर्शित सूचनाएँ एवं संकेत अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी लिखे रहते हैं। जहाँ कहीं कमी पायी जाती है उन्हें दूर करने के तुरन्त प्रयत्न किए जाते हैं। इनके मानकीकरण की दिशा में भी निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया कि यदि विमानों में रखी सुझाव पुस्तिका को भी द्विभाषी रूप दे दिया जाए तो अच्छा होगा। श्री गौरी शंकर शर्मा, सहायक कार्मिक प्रबंधक, इंडियन एयरलाइंस ने सूचित किया कि नया स्टाक द्विभाषी रूप में ही छपाया गया है। कहीं-कहीं पुराना स्टाक अभी अंग्रेजी में भी चल रहा है, उसका निकालना भी जरूरी है। हो सकता है सदस्य महोदय

के देखने में वही स्टाक आया हो । पर्यटन और नागर विमानन सचिव, श्री एस० एम० एल० भटनागर ने सुझाव दिया कि सुझाव पुस्तकों के पुराने स्टाक पर द्विभाषी मुहर लगाई जा सकती है।

3. देश की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रति गौरव और आस्था की भावना हो, इस पर विचार करना चाहिए, साथ ही हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों से इस संबंध में विचार-विमर्श के लिए समिति को समय-समय पर जाना चाहिए :

यह स्पष्ट किया गया कि इस विषय का सीधा सम्बंध समिति के कार्यक्षेत्र से नहीं है । समिति का कार्य पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों एवं उसके नियंत्रणाधीन उद्यमों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित मामलों में सरकार को सलाह देना है । जनसाधारण में हिन्दी के प्रति गौरव और आस्था जगाने का व्यापक प्रश्न केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति जैसे किसी अधिक व्यापक एवं सक्षम अभिकरण के कार्यक्षेत्र का विषय है ।

जहाँ तक पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का सम्बन्ध है उसके अधीनस्थ कार्यालयों, विशेषत: एयरपोर्टों, होटलों, आदि में जहाँ मंत्रालय जनता के अधिक सम्पर्क में आता है, राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा के प्रति गौरव की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अधिकतम सतर्कता एवं सक्रियता बरतने के निदेश पहले से दिए गए हैं । इस ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य, ने ध्यान आकृष्ट किया कि पर्यटक गाइड हिन्दी भाषी होते हुए भी हिंदी बोलना पसंद नहीं करते । वे अंग्रेजी में बोलना ही बेहतर समझते हैं । जो गाइड अंग्रेजी हिन्दी दोनों जानते हैं उन्हें तो दोनों ही भाषाओं में बोलना चाहिए और हिन्दी में पूछे गए प्रश्नों का तो हिन्दी में ही उत्तर देना चाहिए।

पर्यटन विभाग के श्री कुदेसिया ने बताया कि पर्यटन विभाग के गाइडों को कई भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है और जो लोग हिन्दी जानते हैं उनके साथ बातचीत करते समय उन्हें हिन्दी में ही उत्तर देने के लिए कहा जाता है।

समिति का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि टूरिस्ट कोचों के साथ जाने वाले गाइड प्राय: हिन्दी में सूचना नहीं देते और हिन्दी नहीं बोलते । समिति ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत पर्यटन विकास निगम को अपने टूरिस्ट कोच गाइडों को अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी में भी घोषणा करने और हिन्दी जानने वालों के साथ हिन्दी में बात करने के लिए कहा जाना चाहिए । यदि गाइड हिन्दी नहीं जानते तो उन्हें हिन्दी सिखाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री ओम मेहता, संसद सदस्य ने बताया कि यूरोप में गाइडों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, आदि दो या तीन भाषाओं में बोलें और उन्होंने सुझाव दिया कि इसी तरह भारत में गाइडों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी बोलें और सूचनाएँ हिन्दी में भी दें । मंत्री जी ने इससे सहमति प्रकट की और पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम से अपेक्षा की कि वे अपने गाइडों के लिए हिन्दी जानना और यदि वे हिन्दी नहीं जानते तो हिन्दी सीखना अनिवार्य करें और उन्हें हिदायत दें कि वे हिन्दी जानने वालों के साथ हिन्दी में बोलें ।

4. उन देशों में जहाँ भारतीय अधिक हैं मंत्रालय की हिंदी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाए जिससे विदेशों में बसे हुए भारतीयों तथा उनके संसर्ग में आए हुए विदेशियों को भारत के अनेक नए पर्यटन स्थलों से अवगत कराते हुए उनकी हिंदी के प्रति रुचि को जागृत किया जा सके

यह स्पष्ट किया गया कि विदेशों में बैठकें आयोजित करना तथा विदेशों में बसे हुए भारतीयों एवं उनके संसर्ग में आने वाले विदेशियों में भारत के पर्यटन स्थलों और हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने का काम हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर है ।

पर्यटन विभाग विदेशी-पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए जहाँ इस समय इंग्लिश, फ्रेंच, स्पैनिश, आदि विदेशी भाषाओं में पर्यटन साहित्य प्रकाशित कर रहा है वहीं अब अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी में भी अधिकाधिक पर्यटन-साहित्य प्रकाशित करने की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है । इस समय तीस से ऊपर बड़े-बड़े पोस्टर अंग्रेजी-हिन्दी, दोनों भाषाओं में छप रहे हैं और अन्तर्देशीय पर्यटकों के लिए 7 फोल्डर हिन्दी में प्रकाशित किए जा रहे हैं । हिन्दी में और अधिक पर्यटन-साहित्य निकालने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं । इनसे विदेशों में बसे हुए भारतीय और उनके संसर्ग में आने वाले विदेशी भी लाभ उठा सकते हैं ।

पर्यटन विभाग ने सूचित किया कि काफी भारतीय समुदाय के लोग ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, सिंगापुर और मलेशिया में बसे हुए हैं । मलेशिया को छोड़कर (जो पर्यटन कार्यालय सिंगापुर के कार्यक्षेत्र में आता है) उक्त सभी देशों में भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय विद्यमान हैं । वे इन भारतीय मूल के समुदायों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रचार सामग्री एवं सूचना उपलब्ध कराते रहते हैं । समिति द्वारा दिए गए सुझावों/सिफारिशों को, कार्यान्वयन के लिए इन पर्यटक कार्यालयों को भेजा जा सकता है ।

श्री ओम मेहता और श्री एडुआर्डो फैलीरो ने सुझाव दिया कि जब कभी इस समिति का कोई सदस्य किसी भी

19 HA/79—4

उपलक्ष में विदेश के दौरे पर जाए और यदि वहाँ इस मंत्रालय का कोई कार्यालय हो और वह सदस्य उस कार्यालय में हो रही हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति देखना चाहे तो वह कार्यालय उस सदस्य को पूरा सहयोग एवं सुविधा प्रदान करे । मंत्री महोदय ने इस प्रस्ताव को सराहा और इसका समर्थन किया । मंत्रालय के सचिव श्री एस० एम० एल० भटनागर ने कहा कि यदि सदस्य महोदय अपने विदेश कार्यक्रम की पूर्व सूचना दे दें तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

5. प्रादेशिक सरकारों को, विशेष कर हिंदी भाषी प्रदेशों को प्रेरित किया जाए कि वे अपने प्रदेश के पर्यटन स्थलों के संबंध में व्यापक रूप से साहित्य प्रकाशित करें। यह कहना उचित नहीं है कि पर्यटक केवल विदेशी ही होते हैं और देश वासियों में पर्यटन के लिए विशेष रुचि नहीं होती। वास्तव में लोग दक्षिण भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में पर्याप्त सूचनापूर्ण साहित्य चाहते हैं। इस दिशा में हिंदी परामर्शदात्री समिति उनका पथ निर्देश कर सकती है :

यद्यपि भारत सरकार के पर्यटन विभाग के लिए सभी प्रादेशिक भाषाओं में पर्यटन साहित्य के प्रकाशन का कार्य अपने हाथ में लेना व्यवहार्य नहीं है तथापि पर्यटन विभाग विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों से यह प्रश्न उठा सकता है और उन्हें अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अधिकाधिक पर्यटन साहित्य प्रकाशित करने के लिए प्रेरित कर सकता है ।

जहाँ तक विभिन्न प्रदेशों के दर्शनीय स्थलों के बारे में हिन्दी में पर्याप्त पर्यटन साहित्य प्रकाशित करने का सम्बन्ध है, पिछली बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि पर्यटन-विभाग विभिन्न प्रदेशों के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में प्रदेशों के पर्यटन विभागों अथवा पर्यटन विकास निगमों से जानकारी प्राप्त करके उनके बारे में उपयुक्त पर्यटन साहित्य के सृजन और वितरण की व्यवस्था करे।

जहाँ तक दक्षिण के बारे में उपलब्ध पर्यटन साहित्य का संबंध है इस समय "घूमिए मद्रास और दक्षिण भारत" शीर्षक फोल्डर उपलब्ध है । "भारत एक झलक" और "भारत" नामक फोल्डरों में भी दक्षिण के बारे में कुछ सूचना दी गई है । पर्यटन विभाग दक्षिण भारत पर एक और क्षेत्रीय फोल्डर भी प्रकाशित कर रहा है । आशा की गई कि यह फोल्डर शीघ्र ही वितरण के लिए उपलब्ध हो जाएगा ।

इस बात पर भी सहमति हुई कि जब पर्यटन के बारे में मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें हों तब अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों से अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं में, विशेषकर हिन्दी-भाषी राज्यों से हिन्दी में, और अधिक व्यापक पर्यटन साहित्य प्रकाशित करने के लिए कहा जाए ।

6. हिंदी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त हो कि वे प्रदेशों के पर्यटन विभाग की हिंदी प्रगति से अवगत हो सकें और सुझाव दे सकें। इसके लिए प्रादेशिक सरकारों को यह समिति सुझाव दे :

यह स्पष्ट किया गया कि प्रदेशों के पर्यटन विभाग इस मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आते । इसलिए, प्रदेशों के पर्यटन विभागों में हो रही हिन्दी की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना अथवा उन्हें किसी प्रकार के सुझाव देना इस समिति के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता ।

जहाँ तक विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय पर्यटन विभाग के कार्यालयों का संबंध है वहाँ हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए वे सब कदम उठाए जा रहे हैं जो इस मंत्रालय के अंतर्गत अन्य विभागों/उद्यमों/कार्यालयों में उठाए गए हैं । यदि इस समिति की ओर से इन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त होते हैं तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए इन कार्यालयों को निदेश जारी कर दिए जाएँगे ।

7. पर्यटन संबंधी प्रचार सामग्री में हिंदी का प्रयोग :

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के उपयोग के लिए बहुत प्रकार की प्रचार सामग्री वितरित की जाती है । चूंकि भारतीय पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है इसलिए आवश्यक है कि यह सामग्री हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो ।

पर्यटन विभाग द्वारा अब तक हिन्दी में 31 बड़े-बड़े "वाल पोस्टर" और 7 फोल्डर/ब्रोशर प्रकाशित किए जा रहे थे । अब पर्यटन विभाग द्वारा "भारत" और "उत्तरी क्षेत्र" नामक दो और नए ब्रोशर हाल ही में निकाले गए हैं। हिन्दी में और अधिक पर्यटन साहित्य निकालने के प्रयत्न जारी हैं ।

मंत्री महोदय ने बल देते हुए कहा कि जो साहित्य अंग्रेजी में प्रकाशित होता है वह सब हिन्दी में भी प्रकाशित होना चाहिए ।

कुमारी अंजनी मेहता, अपर महानिदेशक, पर्यटन विभाग ने सूचित किया कि पर्यटन विभाग अंग्रेजी की "यात्री" पत्रिका के मुकाबले हिन्दी में "मुसाफिर" नाम से एक पत्रिका भी निकालने जा रहा है । मंत्री महोदय ने कहा कि पत्रिका के नाम पर पुनः विचार करके इसका प्रकाशन शीघ्र आरम्भ किया जाए ।

इस बात पर भी सहमति हुई कि हिन्दी में प्रकाशित पर्यटन साहित्य चाहे वह केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया हो अथवा हिन्दी भाषी राज्यों द्वारा केन्द्रीय पर्यटन विभाग के सभी कार्यालयों, काउंटरों, भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों और देश के सभी महत्वपूर्ण हवाई अड्डों और राज्यों के पर्यटन कार्यालयों के सभी काउंटरों पर उपलब्ध होना चाहिए और हिन्दी जानने वाले पर्यटकों को उदारतापूर्वक वितरित किया जाना चाहिए ताकि उसका सही और पूरा उपयोग हो सके और अंतर्देशीय पर्यटन को उचित बढ़ावा मिल सके ।

8. होटलों में "मीनूकार्डों", "डिशेज" आदि के नामों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी लिखा जाना चाहिए :

इस बात पर सहमति हुई कि भारत पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत होटलों में "मीनू कार्डों" को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपाने की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए । भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

यह भी तय हुआ कि जहाँ अंग्रेजी या विदेशी डिशों के नाम हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं, उन अंग्रेजी या विदेशी नामों को ही देवनागरी लिपि में लिख दिया जाना चाहिए । जिन डिशों के हिन्दी या भारतीय नाम हैं, उन्हें देवनागरी में लिखने के साथ-साथ विदेशियों की जानकारी के लिए रोमन लिपि में भी लिख दिया जाना चाहिए ।

समिति को सूचित किया गया कि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अतिथियों के प्रयोग के लिए रखी जाने वाली लेखन सामग्री में पत्र-शीर्ष लिफाफे पहले ही द्विभाषी रूप में तैयार किए जा रहे हैं । पुराना स्टाक समाप्त होने पर ऐसी सामग्री की अन्य मदों को भी द्विभाषी रूप में ही प्रस्तुत करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है । श्री ओम मेहता ने भारत पर्यटन विकास निगम में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि इनमें और तीव्रता लाई जाएगी । समिति ने इस बात पर संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त की कि एयर इंडिया अपने "मीनू कार्ड" पहले से ही द्विभाषी रूप में छपा रहा है और उनकी छपाई बड़ी सुन्दर एवं आकर्षक है ।

समिति को बताया गया कि एयर इंडिया के अन्तर्गत होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के अधीनस्थ सैंटोर होटल के मीनू कार्ड और सभी लेखन, सामग्री द्विभाषी रूप में छपाने की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है । समिति ने इसकी सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह काम शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा ।

9. यह देखा गया है कि इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के कई कार्यालयों में साइन बोर्ड केवल अंग्रेजी में हैं। वे सब द्विभाषिक/त्रिभाषिक होने चाहिए। विदेशों में इन के कार्यालयों के बोर्ड हिंदी में भी होने चाहिए :

समिति को बताया गया कि मंत्रालय के अधीनस्थ सभी विभागों/कार्यालयों/उद्यमों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने साइन बोर्ड हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित करें । अहिन्दी भाषी, राज्यों में साइन बोर्डों को सब से ऊपर प्रादेशिक भाषा, फिर हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ।

मंत्रालय की जानकारी के अनुसार मंत्रालय के अन्य सभी कार्यालयों की तरह एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में भी इन निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है । यदि किसी कार्यालय में यह देखने में आता है कि नियमानुसार कोई बोर्ड आदि द्विभाषी या त्रिभाषी रूप में प्रदर्शित नहीं किए गए हैं तो उन्हें तत्काल इन निर्देशों को क्रियान्वित करने की हिदायत दे दी जाती है ।

मंत्रालय के सभी विभागों उद्यमों से अपेक्षा की गई कि वे अपने सभी कार्यालयों में साइनबोर्डों के द्विभाषी रूप में प्रदर्शन की स्थिति की पुनः समीक्षा करें और यथावश्यक कार्रवाई करके मंत्रालय को निर्देशों के पूर्णतः क्रियान्वन की सूचना दें ।

संसद सदस्य, श्री पतितपावन प्रधान ने यह मत व्यक्त किया कि जब तक अंग्रेजी का प्रयोग रोका नहीं जाएगा तब तक हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को यथोचित प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होगा । अतः साइन बोर्डों को केवल प्रादेशिक भाषा और हिन्दी में ही प्रदर्शित करना उचित होगा । मंत्री महोदय और श्री ओम मेहता ने इस संबंध में सांविधानिक स्थिति स्पष्ट की और कहा कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार सहभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग को तब तक नहीं रोका जा सकेगा जब तक संविधान में परिवर्तन न कर दिया जाए । अतः स्थिति यथावत् बनी रहनी चाहिए ।

10. इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के हवाई जहाजों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों से विमान परिचारिकाओं आदि द्वारा हिंदी में वार्तालाप तथा हिंदी पत्र पत्रिकाओं की सुविधा :

श्री ओम मेहता ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि अनेक बार देखा गया है कि इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया की विमान परिचारिकाएँ हिन्दी भाषियों के साथ भी अंग्रेजी में बातचीत करने लगती हैं और हिन्दी में पूछी गई बातों का भी उत्तर प्रायः अंग्रेजी में ही देती हैं । इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए ।

इंडियन एयरलाइंस के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विमान परिचारिकाओं के चुनाव अखिल भारतीय आधार पर किए जाते हैं और चयन के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य नहीं है, इसलिए ऐसी विमान परिचारिकाओं का भी चयन हो सकता है जिन्हें हिन्दी नहीं आती । ऐसी विमान परिचारिकाएँ हिन्दी नहीं बोल पातीं और हिन्दी में पूछी गई बातों का हिन्दी में उत्तर नहीं दे पातीं । कुछ विमान परिचारिकाएँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हिन्दी आती है पर वे अंग्रेजी बोलने में विशेष गौरव मानती हैं । इनकी समस्या मनोवैज्ञानिक है ।

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस दोनों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि हिन्दी भाषी विमान कार्मिक हिन्दी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में ही दें । एयर इंडिया ने बताया कि हिन्दी न जानने वाली विमान परिचारिकाओं को प्रशिक्षण के दौरान बोलचाल की हिंदी भी सिखाने के प्रयत्न किए जाते हैं । इंडियन एयरलाइन्स से भी अपेक्षा की गई कि जिस तरह वे हिन्दी में घोषणाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह हिंदी न जानने वाली विमान परिचारिकाओं को प्रशिक्षण के दौरान बोलचाल की हिंदी सीखने का प्रयत्न करने के लिए भी प्रोत्साहित करें । मंत्री महोदय ने कहा कि यदि प्रश्न अंग्रेजी में किया जाता है तो उसका उत्तर अंग्रेजी में दिया जाए परन्तु यदि प्रश्न हिंदी में किया जाता है तो हिंदी जानने वाले कर्मचारी द्वारा इसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए । मंत्रालय के सचिव श्री एस० एम० एल० भटनागर ने सुझाव दिया कि हिंदी जानने वाली विमान परिचारिकाएँ और अन्य विमान कार्मिक जो बात करें वह बातचीत हिंदी से आरंभ करें । लेकिन अगर कोई किसी दूसरी भाषा में बातचीत करना चाहता है तभी उस भाषा में बोलें, वरना हिंदी में ही बात करें । मंत्री महोदय ने इसका समर्थन किया और एयरलाइंनों के अलावा दूसरे उपक्रमों के जन-सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों से भी ऐसी ही अपेक्षा की ।

इंडियन एयरलाइंस के उप कार्मिक प्रबंधक श्री जी० एस० शर्मा ने बताया कि एयरलाइंस में बोलचाल में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं । अब विमान परिचारिकाएँ और टेलीफोन एक्सचेंज से जवाब देने वाली लड़कियाँ भी "गुड मार्निंग" के स्थान पर "नमस्कार" करने लगी हैं । समिति ने इसकी सराहना की ।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमानों में पत्र-पत्रिकाओं की सप्लाई के संबंध में एयर इंडिया ने सूचित किया कि वे अपनी उड़ानों में यात्रियों को अंग्रेजी की पत्रिकाओं के अलावा हिंदी की नवभारत टाइम्स, ब्लिट्स, धर्मयुग, मनोहर कहानियाँ, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, पराग, सरिता आदि पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध कराते हैं ।

इंडियन एयरलाइंस ने सूचित किया कि उनके यहाँ केवल प्रातः की सभी उड़ानों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के दैनिक समाचार पत्र रखे जाते हैं जो दोपहर बाद हटा लिए जाते हैं । हिंदी के समाचार-पत्र वर्तमान आवश्यकाओं के अनुरूप पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाते हैं । हिंदी समाचारपत्रों की आवश्यकता का समय समय पर पुनरीक्षण भी किया जाता है और यदि आवश्यकता बढ़ती है तो इन समाचारपत्रों की संख्या में यथोचित वृद्धि कर दी जाती है।

11. अन्य विषय :

(क) श्री ओम मेहता, संसद सदस्य ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की ओर से हिंदी-भाषी क्षेत्रों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ पत्र-व्यवहार अधिकाधिक हिन्दी में किया जाना चाहिए । मंत्री महोदय ने इसका समर्थन किया।

(ख) यह भी निर्णय किया गया कि भविष्य में समिति की बैठकों के विचारणीय विषय, उनके संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ और कार्यवृत्त गृह मंत्रालय के निदेशानुसार और सदस्यों की सुविधा के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने चाहिए ।

(ग) सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि अन्य मंत्रालयों की तरह इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कुछ बैठकें भी दिल्ली से बाहर आयोजित की जानी चाहिए । राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के यह स्पष्ट करने पर कि डाक तार विभाग, आदि अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें दिल्ली के बाहर भी आयोजित कर रहे हैं, यह निर्णय किया गया कि समिति की अगली बैठक अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गोवा, बंगलौर, मद्रास, त्रिवेन्द्रम आदि किसी अहिन्दी-भाषी क्षेत्र में रखी जाए ताकि सदस्यगण अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों की समस्याओं तथा वहाँ हो रही प्रगति का साक्षात् मूल्यांकन कर सकें । □□□

कृपया ध्यान दें :—

○पत्रों का उत्तर हिंदी में भेजिए ।

○पत्रों पर हिंदी में हस्ताक्षर कीजिए ।

○आप हिंदी जानते हैं अतः हिंदी में ही अपना कामकाज कीजिए ।

हिंदी के बढ़ते चरण :

पुनर्वास विभाग में हिंदी के प्रयोग की स्थिति

—आर० तिरुमलै
सचिव, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

पुनर्वास विभाग में नकद पुरस्कार तथा विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण सदस्यों को हिंदी प्रमाण-पत्र वितरण के इस पाँचवे समारोह के अवसर पर मैं आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है। राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 तथा राजभाषा नियम, 1976 के उपबन्धों में की गई व्यवस्था का विभाग में पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

विभाग में अधिकांश अनुभागों तथा डेस्कों में नोटिंग और ड्राफ्टिंग हिन्दी में की जाती है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी हिन्दी में प्रस्तुत की गई फाइलों पर हिन्दी में ही टिप्पणी लिखते हैं।

हिन्दी भाषी राज्यों तथा उन राज्यों के साथ, जिन्होंने केन्द्र के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार करने की सहमति दे दी है, पत्र व्यवहार हिन्दी में ही किया जा रहा है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभाग में प्रयुक्त होने वाले मानक मसौदों का हिन्दी अनुवाद करके उनके स्टेंसिल काटकर अनुभागों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी अधिकारियों तथा अनुभागों की सुविधा के लिए सहायक साहित्य उपलब्ध करा दिया गया है।

विभाग का प्राप्ति एवं निर्गम अनुभाग एक प्रभावी "चैक प्वाइंट" के रूप में कार्य कर रहा है और इस बात का ध्यान रखता है कि कोई परिपत्र या सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी न हो और हिन्दी भाषी राज्य सरकारों को जाने वाले पत्र हिन्दी में ही जाएँ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए हमारे विभाग का 21 नवम्बर, 1976 को दौरा किया था और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के बारे में संतोष व्यक्त किया था।

विभाग के 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारी/कर्मचारी या तो हिन्दी का ज्ञान रखते हैं या उन्होंने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी आधार पर 5 जनवरी, 1978 को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन गृह मंत्रालय, के राजभाषा विभाग द्वारा पुनर्वास विभाग को अधिसूचित कर दिया गया है।

विभाग में राजभाषा कार्यान्वियन समिति कार्य कर रही है जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव हैं। इसके अलावा निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री जी हैं। उक्त समितियाँ सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा तथा इसमें और वृद्धि लाने के उपायों के बारे में निर्णय लेती हैं। समिति की बैठकों में किए गए निर्णयों के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही भी की जाती है।

स्टाफ सदस्यों में हिन्दी में सरकारी कामकाज करने की रुचि उत्पन्न करने की दृष्टि से विभागीय पुस्तकालय में पर्याप्त हिन्दी पुस्तकों की व्यवस्था कर दी गई है।

वर्ष 1977-78 के लिए टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से शुरू की गई नकद पुरस्कार योजना में 9 व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें सर्वश्री जगदीश शरण गुप्त तथा श्री प्रेम सिंह, सहायक को क्रमशः 150 रुपए तथा 75 रुपए के द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार और श्री होशियार सिंह तूर, उच्च श्रेणी लिपिक को 50 रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया है।

हिन्दी टाइपिंग के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित सर्वश्री सत्य नारायण गर्ग और सुदेश कुमार माखीजानी तथा श्रीमती शैलेश के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने क्रमशः 200, 200 और 100 रुपए के पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

इस अवसर पर मैं आप सभी महानुभावों से यह अनुरोध करूँगा कि हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए हम सबका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनन्य हिन्दी प्रेमी माननीय मंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और इनके कुशल नेतृत्व में विभाग के सभी सदस्य अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। □□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में हिंदी

—प्रेम लाल शर्मा

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय

आम लोगों में यह एक बड़ी भ्रांति यह है कि हिन्दी देश की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। सम्भवतः इसीलिए तकनीकी संस्थाओं में वह अभी भी कुछ झिझकती हुई प्रवेश कर रही है। यह प्रसन्नता की बात है कि ऐसी किसी भी संस्था में जहाँ उसने एक बार प्रवेश किया, वहाँ वह उपर्युक्त भ्रांत धारणा को तोड़ने में सफल हुई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसमें उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय भी सम्मिलित हैं, निस्संदेह एक तकनीकी मंत्रालय है और यह सभी जानते हैं कि आयुर्विज्ञान शिक्षा का माध्यम अभी तक एक मात्र अंग्रेजी ही बनी हुई है। सन् 1955-56 में हिंदी झिझकती हुई यहां के प्रशासनिक कार्यों की फाइलों में प्रविष्ट हुई, लेकिन जब कभी अधीनस्थ कार्यालयों और शोध संस्थाओं को अपनी रिपोर्ट आदि हिंदी में तैयार करने की बात चली तो प्रारम्भ में लोग चौंके। परन्तु मंत्रालय इस दिशा में कुछ आगे बढ़ा और उसने ऐसी संस्थाओं की कुछ रिपोर्टों का अनुवाद करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान; दिल्ली, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, अखिल भारतीय वाक् और श्रवण चिकित्सा संस्थान, मैसूर जैसी विभिन्न संस्थाओं की अनूदित रिपोर्टें जब उन संस्थाओं के पास गईं और उन्होंने उन्हें पढ़ा तो उन्हें धीरे-धीरे यह विश्वास होने लगा कि हिन्दी निश्चित ही आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में सफलतापूर्वक सम्प्रेषण का कार्य कर सकती है। प्रसन्नता की बात है कि अगले वर्ष से ऐसी सारी रिपोर्टें उन्हीं संस्थानों से अनदित होकर आने लगीं। धीरे-धीरे चिकित्सकों की यह धारणा कि हिंदी आयुर्विज्ञान का सम्प्रेषण माध्यम नहीं बन सकती, दूर होती गई।

यह इस मंत्रालय का और विशेषकर हिंदी का सौभाग्य रहा कि इस मंत्रालय का प्रशासनिक और राजनैतिक नेतृत्व लगभग सदैव हिंदी के विद्वानों के हाथों में रहा, जिससे प्रेरणा पाकर अन्य अधिकारी भी अपना न्यूनाधिक कार्य हिंदी में करने लगे। सम्भवतः यह मंत्रालय भारत सरकार के उन गिने-चुने मंत्रालयों में से है, जिन्होंने वित्तीय मामलों वाले पत्र, तार आदि भी हिन्दी में भेजने प्रारम्भ कर दिए हैं।

यह सभी स्वीकारते हैं कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कार्य को बढ़ाने के लिए देवनागरी टाइपराइटर जैसी यांत्रिक सुविधाओं की अत्यन्त आवश्यकता होती है। मंत्रालय ने इस आवश्यकता को समझा और यह निश्चय किया कि ऐसे सभी अनुभागों को जहाँ सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग की गुंजाइश है, एक-एक देवनागरी टाइपराइटर दे दिया जाए और टाइपराइटर के साथ-साथ हिंदी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित टाइपिस्ट की नियुक्ति भी कर दी जाए। इस समय मंत्रालय के छोटे बड़े कुल मिला कर 68 अनुभागों के लिए मंत्रालय में 55 देवनागरी के टाइपराइटर उपलब्ध हैं और सभी टाइपराइटरों का यथोचित उपयोग हो रहा है। अभी फिलहाल कहीं-कहीं एक साथ बैठे दो अनुभागों को एक टाइपराइटर दिया गया है। टाइपराइटर की आवश्यकता का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता रहता है और आवश्यकता समझी जाने पर वहाँ टाइपराइटर दे दिया जाता है और उसके साथ ही हिंदी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित टाइपिस्ट भी नियुक्त कर दिया जाता है।

हिंदी के प्रयोग को कैसे बढ़ाया जाए और अहिंदी-भाषी अधिकारी और कर्मचारी कैसे सहर्ष हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने लगें, इस आशय से सचिवों और मंत्रियों के स्तर पर बैठकें भी समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। अधिकांश अधिकारियों के यह कहने पर कि वे हिंदी बोल तो सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते हैं, यह निर्णय किया गया कि ऐसे सभी अधिकारियों के लिए हिंदी आशुलिपिकों की सेवाएँ सुलभ कराने के लिए मंत्रालय में हिंदी आशुलिपिकों का एक पूल बनाया जाए। इस निर्णय का पालन करते हुए मंत्रालय में इस समय 11 आशुलिपिकों (ग्रेड-2) का एक पूल कार्य कर रहा है और जिस किसी अधिकारी को हिंदी में डिक्टेशन देनी होती है, उसे अविलम्ब हिंदी आशुलिपिक की सेवाएँ उपलब्ध करवा दी जाती हैं। स्मरण रहे कि ये आशुलिपिक उन आशुलिपिकों से भिन्न हैं जो मूलतः अंग्रेजी के कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं और जिन्हें हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपिक में प्रशिक्षित किया गया है।

मंत्रालय से प्रकाशित होने वाली सारी सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकले, इसके लिए सम्पादक आदि जैसे कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय से इस समय 4 प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं जिनमें से "स्वस्थ हिन्द" और "सेंटर कालिंग" अंग्रेजी में हैं तो "आरोग्य संदेश" और "हमारा घर" हिन्दी में। इनके अलावा भी कुछ और बुलेटिन आदि प्रकाशित किए जाते हैं जो अभी तक निस्संदेह अंग्रेजी में हैं किन्तु इस वर्ष से उन्हें हिंदी में भी प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। रिपोर्टें आदि दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। जो एक-आध रिपोर्टें अभी भी केवल अंग्रेजी में निकल रही है, उन्हें भी हिंदी में निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि हिंदी को किसी न किसी तरह से अनुवाद के कटघरे से बाहर निकाला जाए। भले

ही ऐसा करने में कुछ समय लगे किन्तु इसका परिणाम निस्संदेह बहुत सुन्दर होगा और मंत्रालय में अनुवाद के स्थान पर हिंदी का मूलतः प्रयोग होने लगेगा।

सरकारी कार्यालयों में जो लोग हिंदी जानते हैं, वे भी सरकारी कामकाज में उसका प्रयोग करने में झिझकते हैं। राजभाषा विभाग की सलाह के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ऐसे अधिकारियों की झिझक को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और प्रसन्नता की बात है कि इसमें लोगों ने काफी संख्या में भाग लिया और उन कार्यशालाओं से निकल कर अपने दैनिक सरकारी कामकाज में कुछ-न-कुछ हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए मंत्री जी की अध्यक्षता में एक हिंदी सलाहकार समिति भी काम कर रही है। इस समिति की हर बैठक में सदस्यों ने अपने विचार विमर्श को सरकारी फाइलों तक ही सीमित नहीं रखा है, अपितु, व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

(1) हिंदी को आयुर्विज्ञान शिक्षा का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है।

(2) स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थाओं में भारतीय वातावरण कैसे तैयार किया जा सकता है।

(3) आयुर्विज्ञान कालेजों के पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाना।

(4) दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्रचलित चिकित्सा संबंधी शब्दावली तथा वाक्यांशों के हिंदी के पर्याय लिप्यांतरित हिंदी रूपांतर संकलित करना।

(5) स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान विषयों पर उच्च स्तरीय पुस्तकों का मूलतः हिंदी में लिखा जाना।

(6) केंद्रीय सरकार के अस्पतालों और औषधालयों में रोगियों की पर्चियों पर उनका नाम हिंदी में लिखने और बी०डी०एस०, टी०डी०एस० के स्थान पर दिन में दो बार, दिन में तीन बार जैसे संकेत अंकित करना।

(7) हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित परा चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाना आदि।

जहाँ तक हिंदी को आयुर्विज्ञान शिक्षा का माध्यम बनाने या आयुर्विज्ञान शिक्षा की पाठ्यचर्या में क्षेत्रीय भाषाओं को एक वैकल्पिक विषय के रूप में और तमाम आयुर्विज्ञान कालेजों में मानविकी को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने का संबंध है, यह प्रस्ताव भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को विचारार्थ भेज दिया गया है और उस परिषद ने इन विषयों को अपनी अगली कार्यकारिणी की बैठक में विचारार्थ सम्मिलित करना मान लिया है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थाओं में भारतीय वातावरण तैयार करने के लिए ऐसी संस्थाओं के नाम-पट्ट, साइनबोर्ड आदि दोनों भाषाओं में तैयार कर दिए गए हैं। इन संस्थाओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने चिकित्सकों आदि से यह कहें कि जो भी रोगी उनसे हिंदी में बात करे, वे उनसे हिंदी में ही बात करें। साथ ही यह भी प्रयास किया जाए कि रोगियों की पर्चियों पर जहाँ तक हो सके, उनका नाम हिंदी में लिखा जाए और "दिन में दो बार", "दिन में तीन बार" जैसे चिकित्सीय संकेत भी हिंदी में ही दिए जाएं। केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत इस समय दिल्ली में जो तीन अस्पताल कार्य कर रहे हैं, वे हैं—सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली। इन तीनों अस्पतालों में हिंदी का काम करने के लिए हिंदी अधिकारी और अन्य सहयोगी स्टाफ दे दिया गया है, ताकि वहाँ हिंदी का प्रयोग करने में कोई व्यवधान न आने पाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ आदि जैसी स्वशासी संस्थाओं में भी ऐसे स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है। मंत्रालय के अधिकांश शोध संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् जैसे स्वशासी निकाय हैं। वहाँ भी यह प्रयास किया जा रहा है कि व्यवहारिकता को दृष्टि में रखते हुए हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक जितना बढ़ सकता है, उसे बढ़ाया जाए।

दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्रचलित चिकित्सा संबंधी शब्दावली के हिंदी रूपांतर संकलित करने का काम भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय परिषद को सौंप दिया गया है और यह कार्य इस समय चल रहा है। इस संकलन के तैयार होने से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ काफी समीप आ सकती हैं।

यह एक विशेष प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय ने आयुर्विज्ञान विषयों पर विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें हिंदी में लिखे जाने के काम को प्रोत्साहन देने के लिए एक पुरस्कार योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत फिलहाल ऐसे 13 विषयों को सम्मिलित किया गया है जिनमें प्रत्येक में लिखी सर्वोत्तम पाई जाने वाली कृति के लेखक को प्रतिवर्ष पाँच-पाँच हजार रु० का पुरस्कार दिया जाएगा। विषयों की सूची को आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।

जहाँ तक राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के विभिन्न उपबंधों के पालन का प्रश्न है, यह कार्य यथासंभव किया जा रहा है। इस कार्य को और अधिक सरल बनाने के लिए मंत्रालय ने अपने यहाँ प्रयोग में आने वाले सभी मानक मसौदों का हिंदी रूपांतर तैयार करके उन्हें विभिन्न विभागों में वितरित कर दिया है। नाम पट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष आदि सभी द्विभाषिक रूप में उपलब्ध हैं। औषधालयों और अस्पतालों में प्रयुक्त होने

[शेष पृष्ठ 53 पर]

भिलाई इस्पात संयंत्र में राजभाषा हिंदी का प्रयोग

—मृत्युंजय शर्मा
प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ

सरकार की भाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित संस्थानों की विशेष जिम्मेदारियाँ हैं। हिन्दी भाषा-भाषी राज्य मध्यप्रदेश में भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थित होना स्वयं में एक ऐसा तथ्य है जो इसके कार्यकलाप में हिन्दी व्यवहार की अनिवार्यता के सन्दर्भ में विशेष महत्व रखता है। हम गौरवपूर्वक यह कह सकते हैं कि भिलाई ने इन जिम्मेदारियों को न केवल अच्छी तरह समझा है वरन् उन्हें यथासंभव कार्यान्वित करने की दिशा में सुदृढ़ प्रयास भी किए हैं।

'अनेकता में एकता' लिए हुए भारत के लघु प्रतिरूप, हमारे संयंत्र, द्वारा हिन्दी के लिए सहज स्वीकार्य परिवेश बनाया जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप प्रबन्ध और श्रमिकों के द्विपक्षीय मंचों में अधिकतर हिन्दी में ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और हमारे प्रायः अधिकारीगण भी हिन्दी में सम्बोधित करने में गर्व का अनुभव करते हैं।

राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सरकार और हमारे मुख्यालय, भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र ने जो भाषा नीति अपनाई है उसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है :—

भिलाई में हिंदी प्रकोष्ठ

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी राजभाषा-कार्यान्वयन सम्बन्धी आदेशों के अनुपालन हेतु 1970 में नियमन अनुभाग में एक हिन्दी टाइपिस्ट और मानदेय के आधार पर अनुवादक की नियुक्ति की गई। तदुपरान्त 1972 में नियमित रूप से हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति की गई। क्रमशः बढ़ते हुए कार्यों की अधिकता को देखते हुए हिंदी संचार सहायक को भी हिन्दी-कार्यान्वयन के लिए पदस्थ किया गया और संसदीय समिति के आगमन के पूर्व सहायक कार्मिक प्रबन्धक श्री आनन्द शंकर ठाकर को हिन्दी अधिकारी और कालान्तर में उन्हें ही राजभाषा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

इस प्रकार नियमन अनुभाग में हिन्दी का कार्य प्रारम्भ हुआ और क्रमशः प्रगति करते हुए राजभाषा अधिकारी के नेतृत्व में हिन्दी प्रकोष्ठ एक स्वतन्त्र अनुभाग के रूप में कार्य करने लगा जिसमें आजकल निम्नलिखित अधिकारी और कर्मचारी हैं :—

1. राजभाषा अधिकारी 2. हिन्दी संचार सहायक 3. हिन्दी समन्वयक 4. हिन्दी टाइपिस्ट 5. हिन्दी अशुलिपिक 6. सहायक

हिन्दी अधिकारी और अनुवादक के पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक को सीधे रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों को मानसेवी अनुवादक तथा अन्य कार्यालयों को मानसेवी हिन्दी टाइपिस्ट और टाइपराइटर उपलब्ध कराए गए हैं। जन सम्पर्क विभाग में भी पूर्णकालिक हिन्दी आशुलिपिक और अनुवादक की नियुक्ति की गई है।

संयंत्र में राजभाषा कार्यान्वयन

प्रारम्भिक कदम के रूप में संयंत्र के अधिकारियों और कार्यालयों के सभी नामपट्ट, सूचनाफलक, नोटिस बोर्ड आदि अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी बनाए गए। संयंत्र के वाहनों पर भी हिन्दी में नाम लिखने के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवस्था हेतु आदेश जारी किए गए :—

—हिन्दी में प्राप्त पत्रों की डायरी हिन्दी में ही की जाए।

—हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएँ। इस विषय में प्रत्येक तिमाही में प्राप्त आँकड़ों के आधार पर हिन्दी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देने वाले विभागों का ध्यान नियमित रूप से इस ओर आकर्षित किया जाता है।

—कार्यालय में प्रयुक्त लेखन सामग्री जैसे पत्रशीर्ष, फाइल कवर, निमंत्रण पत्र, लिफाफों पर पते आदि हिन्दी में छपते हैं।

—रबर की मोहरें अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी बनाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सतर्कता बरती जाती है और सभी रबर की मोहरें अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी बनाई जाती हैं।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के आदेशों/अनुदेशों तथा राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक शीर्ष स्तरीय समिति के रूप में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन एक कानूनी आवश्यकता है। तदनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कार्मिक प्रबन्धक की अध्यक्षता में 31 मार्च, 75 को किया गया और कालान्तर में इस विषय में सेल से निदेश प्राप्त होने पर राजभाषा समिति का पुनर्गठन किया गया और संयंत्र के प्रमुख श्री शिवराज जैन, प्रबन्ध निदेशक अब इसके अध्यक्ष हैं।

इसके अतिरिक्त गैर हिन्दी मातृभाषी कार्मिकों के लिए वर्ष में दो बार आयोजित हिन्दी निबन्ध और वाक

प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाले कार्मिकों को भी एक वर्ष के लिए इस समिति में सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाता है। राजभाषा अधिकारी श्री आनन्द शंकर ठाकर इस समिति के सचिव हैं।

राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक यथासम्भव प्रत्येक तिमाही में होती है तथा इस बैठक में मुख्य रूप से हिन्दी प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। जिन क्षेत्रों में कमी पाई जाती है उन पर सम्बन्धित उपस्थित सदस्यों के विचार और दृष्टिकोण पूछकर निर्णय लिए जाते हैं।

1 अगस्त, 76 को महाप्रबन्धक के आदेश द्वारा निम्नलिखित विषयों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया गया :—

1. सभी कार्यालयों में उपस्थिति रजिस्टर (प्रचालनेतर कर्मचारियों के लिए) 2. छुट्टी के रजिस्टर, 3. नई खोली जाने वाली सेवा पंजियाँ 4. नए बनाए जाने वाले मेडिकल कार्ड, 5. नए बनाए जाने वाले राशन कार्ड।

मात्र आदेश जारी कर देने से कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो जाता। हिन्दी-प्रकोष्ठ द्वारा सतत इस दिशा में विभाग और सहकर्मियों का इन आदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। व्यक्तिगत चर्चा, समारोह, पुरस्कार आदि के माध्यम से लोगों में स्वयं प्रेरणा स्फुरित करने का प्रयास किया जाता है।

हमारे प्रबन्ध निदेशक, महाअधीक्षक एवं अन्य सभी शीर्ष अधिकारियों को जहां एक ओर राजभाषा हिन्दी को अपनाने की उत्कृष्ट इच्छा है वहीं वे इस बात का निरन्तर प्रयास करते हैं कि भिलाई का हमारा परिवार स्वयं अपनी पहल करे ताकि किसी को यह अनुभव न होने पाए कि हिन्दी उन पर लादी जा रही है।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा वर्ष 1979-80 के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में प्राय: सभी कदम संयंत्र में उठाए गए हैं। कार्यक्रम की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं :—

(क) **पर्याप्त संख्या में हिंदी (देवनागरी) टाइपराइटरों की व्यवस्था** :—आजकल हमारे यहां हिन्दी के 63 टाइपराइटर हैं तथा वर्ष 1979-80 में 12 और हिन्दी टाइपराइटर मँगाए जा रहे हैं।

(ख) **अधीनस्थ सेवाओं तथा पदों के लिए की जाने वाली भर्ती परीक्षओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग** :—सरकारी निर्देशों के अनुसार भर्ती की सभी परीक्षाओं में हिन्दी का वैकल्पिक माध्यम दिया जाता है।

(ग) **प्रशिक्षण केंद्रों में हिंदी के वैकल्पिक माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था** :—प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों को यथासंभव हिन्दी में भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, भिलाई तकनीकी संस्थान में विशेष कर प्रयास जारी है।

(घ) **विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का वैकल्पिक प्रयोग** :—भिलाई इस्पात संयंत्र की सभी विभागीय परीक्षाओं में तथा व्यावसायिक परीक्षाओं में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की छूट दी गई है।

(च) **आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु (चेक प्वाइंटों) की स्थापना** :—राजभाषा संबंधी अधिनियम, नियम के पालन हेतु सभी फार्म हिन्दी और अंग्रेज़ी में मुद्रित कराए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं. इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस, संगठन और प्रणाली विभाग तथा प्रकाशन अधिकारी को (चैक प्वाइंट) बनाया गया है।

(छ) **कार्यालयों का निरीक्षण** :—कार्यालयों के निरीक्षण करते समय हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भी निरीक्षण किया जाता है।

हिंदी शिक्षण योजना :

हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी पढ़ाने के लिए सितम्बर, 75 से भिलाई इस्पात संयंत्र में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित हिन्दी शिक्षण योजना की कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अब तक हमारे कार्मिकों ने इन परीक्षाओं में प्राय: शत प्रतिशत सफलता प्राप्त की है। हिन्दी शिक्षण की अंतिम परीक्षा प्राज्ञ में अब तक 68 परीक्षार्थी सफल हो चुके हैं। प्रशिक्षण नि:शुल्क रूप से कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए दो केन्द्रों (भिलाई तकनीकी संस्था और सेक्टर-10) में दिया जाता है। प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें भी नि:शुल्क दी जाती हैं।

जिन लोगों को कक्षाओं का समय सुविधाजनक नहीं है तथा वे कक्षाओं में नहीं जा सकते उन्हें केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण हेतु भी प्रेरित किया जाता है। यथासंभव कुछ कर्मचारी और अधिकारी पत्राचार पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए निर्णय किया गया है कि इन पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित 20 रुपए का शुल्क संयंत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

हिंदी कार्यशाला :

इस्पात मंत्रालय एवं भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निर्देशानुसार हमारे संयंत्र के कार्मिक विभाग के हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों के लिए, जिन्हें अभ्यास नहीं होने की वजह से हिन्दी में सरकारी कामकाज करने में झिझक/कठिनाई महसूस होती है, हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। प्रबन्ध निदेशक श्री शिवराज जैन द्वारा उद्घाटित कार्यशाला

का समापन तत्कालीन कार्मिक प्रबन्धक श्री कमल किशोर के मुख्य आधित्य में संपन्न हुआ, कार्यशाला अत्यन्त ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध हुई। कार्यशाला में सम्मिलित कर्मचारियों ने कार्मिक-विभाग के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया है। वर्ष 1980 में विभिन्न विभागों में अनेक स्तरों पर कार्यशालाएं चलाए जाने की योजना है।

अनुवाद—प्रशिक्षण :

अनुवाद से संबंधित कर्मचारियों या अनुवाद कार्य के प्रति रुचि रखने वाले कार्मिकों को हिन्दी कार्यशाला की भांति एक महीने का अनुवाद प्रशिक्षण/अभ्यास पाठ्यक्रम स्थानीय तौर पर संचालित किए जाने का कार्य विचाराधीन है, इस संबंध में सेल को योजना भेजी गई है तथा राजभाषा कार्यान्वियन समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

सेल द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ :

हमारे मुख्यालय सेल द्वारा गैर हिन्दी मातृभाषी कार्मिकों के लिए हिन्दी निबंध और वाक् प्रतियोगिताओं का यूनिट और केन्द्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिताओं से कार्मिकों की हिन्दी प्रयोग के प्रति रुचि में अभिवृद्धि होती है।

इनमें निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाते हैं :—

	यूनिट स्तर पर	केन्द्रीय स्तर पर
प्रथम	150	300
द्वितीय	100	200
तृतीय	25	50
अन्य आठ सांत्वना पुरस्कार	25	50

प्रतियोगिता यूनिट स्तर पर अब वर्ष में दो बार की जानी है। प्रतियोगिताओं को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से इन प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले कार्मिक को उसकी पद स्थिति पर विचार किए बिना उसे संयंत्र की राजभाषा कार्यान्वियन समिति में सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाता है।

प्रकाशन और सहायक साहित्य :

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सहायक साहित्य के रूप में निम्नलिखित प्रकाशन मँगाकर आवश्यकतानुसार ग्रंथालयों को उपलब्ध कराए गए हैं :–

—केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित समेकित प्रशासन शब्दावली।

—केन्दीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा प्रकाशित कार्यालय सहायिका एवं अन्य शब्दावलियाँ।

—हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित अधिकारी पदनामावली

—दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास द्वारा प्रकाशित हिन्दी स्वयं शिक्षक पुस्तकें।

—अंग्रेजी–हिन्दी, हिन्दी-अंग्रेजी तथा हिन्दी-हिन्दी के अनेक शब्दकोश।

जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ और अन्य प्रकाशन भी अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भिलाई तकनीकी संस्थान, सुरक्षा इंजीनियरी विभाग, अग्नि शमन विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग आदि विभागों के विभिन्न प्रकाशनों में यथासम्भव हिन्दी को स्थान दिया जा रहा है। उत्पादन आयोजन और नियंत्रण (प्रोडक्शन प्लानिंग और कन्ट्रोल) विभाग के तकनीकी प्रकाशनों को भी द्विभाषिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा अनुवाद कार्यो के अतिरिक्त विभागों से प्राप्त हुए स्थायी प्रकार की सामग्रियों का भी हिन्दी अनुवाद कराया जाता है। अब तक हेवी मेन्टेनेन्स इलैक्ट्रिकल द्वारा प्रकाशित काम में खतरे, शिकायत निवारण प्रक्रिया, संयुक्त समितियाँ, यूनियन से वेतन समझौता, दुर्घटना निवारणनीति, विभिन्न विभागों के लिए प्रकाशित विभागीय सुरक्षा अनुदेश, कर्मचारी सुझाव योजना तथा अन्य विभिन्न अवसरों पर प्रशस्ति पुस्तिकाओं आदि को हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया है।

संयंत्र के केन्दीय ग्रंथालय तथा भिलाई तकनीकी संस्थान और हिन्दी प्रकोष्ठ के ग्रंथालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सहायक साहित्य के रूप में प्रकाशित और उपलब्ध सभी तरह की पुस्तकें मँगाई गई है जिसमें केन्दीय निदेशालय की पारिभाषिक शब्दावलियों के सभी भाग, इंजीनियरी शब्दावली, विविध शब्दावली और अन्य सभी तरह के हिन्दी-अंग्रेजी तथा अंग्रेजी हिन्दी के शब्दकोष सम्मिलित हैं। संघ की राजभाषा नामक पुस्तिका की 100 प्रतियाँ मँगाने हेतु मुख्य कार्मिक प्रबन्धक महोदय ने अनुमति प्रदान की है। संयंत्र के अन्य पुस्तकालयों वाचनालयों में अधिक से अधिक हिन्दी पुस्तकों की खरीद के संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके है। उपलब्ध हिन्दी की पुस्तकों की और पत्र-पत्रिकाओं की सूचियाँ भी भेजकर उनमें से अधिकाधिक पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाओं को मँगाने का अनुरोध किया गया है।

संयंत्र की मनोरंजन एवं क्रीड़ा परिषद सामुदायिक विकास विभाग के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य दृश्य और श्रव्य माध्यमों में भी हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। संयंत्र में हिन्दी प्रकोष्ठ वर्ष 1974 से ही प्रारम्भ हुआ है। यह गौरव की बात है कि केन्दीय सचिवालय हिन्दी परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित आखिल भारतीय टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में हमारे दो कार्मिकों (एक स्वयं लेखक) को अखिल भारतीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इतनी कम अवधि में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के समकक्ष पहुँचने का यह प्रयास देखकर निश्चित रूप से आशा की जा सकती है कि जिस तरह से भिलाई इस्पात संयंत्र इस्पात निर्माण के क्षेत्र में अग्रगण्य है उसी तरह हिंदी प्रयोग के क्षितिज पर भी यह चमकेगा। □□□

केंद्रीय सरकार के निगमों एवं कंपनियों के दूसरे राजभाषा सम्मेलन के संदर्भ में

हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में हिंदी की प्रगति :

—बी० एल० पाटिल
वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

1. राजभाषा कार्यान्वयन समितियां तथा परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प देना :

सभी प्रभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ पहले ही स्थापित की गई हैं । हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए इन समितियों की समय-समय पर बैठकें होती हैं । साथ ही ये हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उपाय भी सुझाती है ।

प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में देने की अनुमति के साथ साथ चयन द्वारा अथवा पदोन्नति से उन्नत पदों के लिए चलाई जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में भी कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग का विकल्प दिया गया है ।

2. राजभाषा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन :

कंपनी द्वारा हिंदी के प्रयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से मंत्रालय तथा सरकारी उद्यम कार्यालय को भेजी जा रही हैं ।

3. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना तथा मूल रूप में हिंदी में पत्र जारी करना :

हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित प्रभागों द्वारा हिंदी पत्रों का उत्तर तो हिंदी में दिया ही जा रहा है अन्य प्रभागों द्वारा भी हिंदी पत्रों का उत्तर यथा संभव हिंदी में दिया जाता है ।

हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से मूल पत्र व्यवहार हिंदी में किया जा रहा है जब कि अन्य प्रभागों तथा कार्यालयों के लिए योग्य हिंदी स्टाफ के अभाव में मूल पत्र व्यवहार हिंदी में आरम्भ करना संभव नहीं हो पाया है, फिर भी इन प्रभागों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है ।

4. हिंदी एककों की स्थापना तथा हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादकों आदि की समुचित व्यवस्था करना :

कंपनी के सभी प्रभागों में स्थापित हिंदी एककों के अंतर्गत एक सहायक पर्यवेक्षक वेतनमान 525-21-630-22-960 रुपए में और एक लिपिक और टंकक वेतनमान 405-12-645 रुपए में नियुक्त हैं । उचित ग्रेड में हिंदी अधिकारी की नियुक्ति करके, हिंदी विभाग की वृद्धि का कार्य प्रबंध के विचाराधीन है ।

5. सरकारी उद्यमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण की और हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना :

कंपनी के कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले हिंदी/हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए नामांकित किए जा रहे हैं।

6. देवनागरी टाइपराइटरों की समुचित व्यवस्था :

कंपनी के सभी प्रभागों में देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था की गई हैं तथा जहाँ आवश्यकता हो, रोमन लिपि के टाइपराइटरों को देवनागरी टाइपराइटरों में बदल देने के अनुदेश जारी किए गए हैं ।

7. फार्मों तथा स्टेशनरी को द्विभाषिक रूप में छपवाना तथा रबर की मोहरों नामपट्टों सूचना पट्टों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार कराना :

विभिन्न फार्मों तथा स्टेशनरी सामग्री जैसे आवेदन पत्र, अवकाश पत्र, अवकाश आवेदन पत्र, सामान्य आवेदन पत्र, फाइल कवर, शीर्ष नामें, लिफाफे आदि जो कंपनी में प्रयोग में लाए जाते हैं उनका हिंदी तथा अंग्रेजी में उपयोग किया जाता है । सभी कार्यालयों/अधिकारियों आदि के नाम फलक द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में लगाए गए हैं । जन साधारण की सूचना के लिए कार्यालय के बाहर सभी फलक/नाम पट/बोर्ड त्रिभाषी/द्विभाषी रूप में लगाए गए हैं ।

(शेष पृष्ठ 53 पर)

द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलनः आयोजन और उपलब्धियाँ

—राजमणि तिवारी
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
एवं संपादक, राजभाषा विभाग

मई, 1976। नई दिल्ली का एक भवन। गोधूलि वेला। हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों एवं प्रेमियों का जमघट। मारिशस के हिन्दी प्रेमी मंत्री श्री दयानंद लाल बसंत राय, अगस्त, 1976 में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की सफलता के लिए हिन्दी प्रेमियों से सहयोग का अनुरोध कर चुके थे। उपस्थित जन-समुदाय हर्ष और उल्लास की एक अनिर्वचनीय कल्पना से आविष्ट था। प्रत्येक वक्ता एक-एक से बढ़कर सहयोग का आवश्वासन दे रहा था। सभी चाहते थे कि मारिशस सरकार का यह महान आयोजन धूमधाम से निर्विघ्न संपन्न हो। फिर भी, कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह सभी के चेहरों पर उठते नजर आ रहे थे। इतना बड़ा सम्मेलन केवल 3 महीने की अल्पावधि में पूरा कैसे होगा। भारतीय जनता और हिन्दी प्रेमी क्या सहयोग प्रदान करेंगे? भारत सरकार कब, कैसे और क्या सहायता देगी? इत्यादि।

उपस्थित अधिकारियों की उत्साह और प्रेरणामयी वक्तृता सुनकर मैं भी पुलकित हो रहा था और बार-बार यह सोच रहा था कि यदि इस सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर मुझे भी प्राप्त होता तो कितना अच्छा होता। किन्तु, दूर देश में आयोजित होने के कारण मन में आशा और निराशा की अनेक लहरें उठ रही थीं।

13 जून, 1976। मध्याह्न वेला। नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में राजभाषा सचिव का कक्ष। राजभाषा विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री सुधाकर द्विवेदी ने मुझे बुलाकर कहा कि द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन में भारत सरकार की तरफ़ से दिए जाने वाले सहयोग के समन्वय का कार्य राजभाषा विभाग को सौंपा गया है। विदेश मंत्री जी ने भी अपनी सहमति दे दी है। अब हमें तत्काल कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। समय बहुत थोड़ा है। इस बीच भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों और विद्वानों का चयन करना है, जलयान और वायुयान से उनके जाने की व्यवस्था करनी है, उनके लिए विदेशी मुद्रा इत्यादि का प्रबंध करना है, प्रदर्शनी की व्यवस्था करनी है, स्मारिका का प्रकाशन करना है, इत्यादि, इत्यादि। इस कार्य के लिए हमें शीघ्र विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, इत्यादि से संपर्क करना है और उनकी एक संयुक्त बैठक भी बुला लेनी है। इसे सुनते ही एक बार मैं सिहर उठा, किन्तु एक महान कार्य से सम्बद्ध होने का अवसर पाकर एक अनिर्वचनीय आनन्द से पुलकित भी हो उठा। मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि मेरे पास तो बहुत ही कम स्टाफ है, इतना विशाल कार्य इतने कम समय में कैसे किया जा सकेगा। उन्होंने कहा चिन्ता की कोई बात नहीं, कार्य प्रारम्भ कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। उनका आदेश मानकर मैं इस विशिष्ट आयोजन की तैयारी में जुट गया।

16 जून, 1976 को राजभाषा सचिव के कक्ष में संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव ने प्रदर्शनी लगाने और स्मारिका के प्रकाशन में सहयोग का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शनी के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करने और स्मारिका के प्रकाशन के लिए आर्थिक व्यवस्था करने का वचन दिया। पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ने जलयान और वायुयान से प्रतिनिधियों को भेजने की तत्काल व्यवस्था कर देने का आश्वासन दिया और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने पासपोर्ट बनवाने और वैदेशिक संपर्क संबंधी सभी समस्याओं को शीघ्र सुलझा देने की तत्परता प्रकट की।

सभी दिशाओं में यथोचित कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। देखते ही देखते कार्य की बाढ़ आ गई। दिन दूनी और रात चौगुनी ही नहीं, बल्कि शतगुनी। और उसी अनुपात में हमारा तथा हमारे संयुक्त सचिव और सचिव का कार्यभार भी बढ़ गया। सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक लोगों के पत्रों की भरमार, सरकारी प्रतिनिधि मंडल का गठन, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का चयन, स्मारिका की तैयारी और प्रकाशन, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था, पासपोर्ट बनवाना और कितने ही कार्य उत्पन्न हो गए। प्रातः 9.00 बजे से कार्य प्रारंभ हो जाता और रात 10-11 बजे तक चलता रहता। छुट्टी के दिनों में भी यही क्रम रहता।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल के गठन की घोषणा हो गई। तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डा० कर्ण सिंह को नेता तथा शिक्षा उप मंत्री श्री डी० पी० यादव को उप नेता नामित किया गया। भारत के सभी भाषावर्गों

के विशिष्ट विद्वानों को प्रतिनिधि मंडल में स्थान दिया गया। इन सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं--(1) श्री एम० बी० कृष्णराव, (2) श्री सुधाकर पाण्डेय, (3) श्री शंकर दयाल सिंह, (4) श्री योगेन्द्र शर्मा, (5) श्री चन्दू लाल चन्द्राकर, (6) श्री श्रीकान्त वर्मा, (7) फादर कामिल बुल्के, (8) डा० हरिवंश राय बच्चन, (9) डा० मलिक मोहम्मद (10) श्री विमल मित्र, (11) श्रीमती अमृता प्रीतम, (12) श्री वेणी शंकर झा, (13) श्री विश्वनाथ मल्होत्रा (14) श्रीमती महादेवी वर्मा (15) श्री देवेन्द्र शर्मा, (16) श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, (17) श्री भगवती चरण वर्मा, (18) श्री बेकल उत्साही, (19) डा० नीलिमा सिंह, (20) श्री कृष्ण स्वरूप, (21) श्री नजीर बनारसी, (22) श्री रामचन्द्र विकल, (23) श्री रमाप्रसन्न नायक, (24) श्री के० एन० प्रसाद, (25) श्री सुधाकर द्विवेदी, (26) श्री श्रीवत्स पुरुषोत्तम, (27) श्री सनत कुमार चतुर्वेदी, (28) श्री हरवंश लाल शर्मा। इनके अतिरिक्त हिन्दी के 10 विशिष्ट विद्वानों को शिक्षा मंत्रालय ने अपनी ओर से भेजा। हिन्दी की अनेक संस्थाओं, संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों आदि ने भी अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे।

22 अगस्त, 1976 को भारतीय प्रतिनिधि मंडल के दो सदस्यों अर्थात् श्री रमाप्रसन्न नायक और श्री वेणी शंकर झा के साथ अग्रिम दल के रूप में मैंने मारिशस के लिए प्रस्थान किया। बम्बई हवाई अड्डे पर विदेश मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी श्री बी० पी० सिन्हा तथा शिक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों से भेंट हुई। सभी एक अजीब उत्साह से भरे हुए थे और सम्मेलन की सफलता के लिए पूर्णतया समर्पित थे।

मारिशस के दक्षिण-पश्चिमी तट पर माननीय श्री दयानंद बसंतराय द्वारा प्रतिनिधियों के स्वागत के अवसर पर लिया गया चित्र

23 अगस्त को प्रातः हमारा वायुयान बम्बई से मारिशस के लिए रवाना हुआ। उसमें भारत के अनेक लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, कवि यहाँ तक कि हिन्दी प्रेमी व्यावसायी और डाक्टर भी जा रहे थे। मारिशस के प्रधान मंत्री सर्वश्री शिवसागर रामगुलाम तथा एक अन्य मंत्री श्री खेर जगत सिंह भी श्रीलंका में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात् उसी वायुयान से अपने देश लौट रहे थे। भारतीय विद्वानों को देखकर वे अत्यन्त गद्गद् हुए और उनके सहयोग के लिए आभार भी प्रकट किया।

रास्ते में अरब सागर की अपार जलराशि के बीच एक छोटे से शिखर पर बसे सीशेल द्वीप में थोड़ी देर तक ठहरने के पश्चात् हम लोग सांध्य वेला में मारिशस के सुरम्य द्वीप में उतरे। सूर्य की लालिमा आकाश तथा पृथ्वी दोनों को ही अपनी अरुणाभा से आलोकित कर रही थी। हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए आए वहाँ के सज्जनों का स्नेह देख कर सभी भारतीय मंत्रमुग्ध रह गए। ऐसा प्रतीत होता था मानों वर्षों से बिछुड़े हुए भाई गले मिल रहे हों।

मारिशस सरकार ने अतिथियों के ठहरने की बहुत ही सुन्दर व्यवस्था की थी। एक-एक समूह के लिए अलग-अलग होटलों में ठहरने का प्रबंध किया गया था। सभी के लिए अलग-अलग गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। वहां के अनेक हिन्दी अध्यापक अतिथियों की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए थे। इस व्यवस्था को देख कर ऐसा लगता था मानों मारिशस सरकार अतिथियों को किसी प्रकार का कष्ट न होने देने के लिए कृतसंकल्प हो। 24–27 अगस्त की अवधि में अग्रिम दल के रूप में आए हुए सभी लोगों ने सम्मेलन की व्यवस्था में पूरा-पूरा योगदान किया और सम्मेलन के आयोजन को पूरी तरह संवारने का काम किया। इस बीच हमें मारिशस के अनेक रमणीक स्थलों और नगरों के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर न केवल मारिशस की राजधानी पोर्टलुई और सम्मेलन स्थल महात्मा गांधी संस्थान को बड़ी सुरुचि के साथ सजाया गया था, बल्कि रंगबिरंगे स्वागत द्वारों द्वारा संपूर्ण देश को सुसज्जित किया गया था।

27 अगस्त को सायंकाल दो वायुयानों से अधिकांश भारतीय प्रतिनिधि और विद्वानों का शुभागमन हुआ। उस समय का दृश्य देखते ही बनता था। मारिशस और भारतीय प्रतिनिधि ऐसे मिल रहे थे मानों दो समुद्र अपनी सीमाएँ तोड़ कर गले मिल रहे हों। प्लेजां हवाई अड्डे पर आतिथ्य, सौजन्य और स्नेह की विलक्षण त्रिवेणी प्रवाहित हो रही थी।

28 अगस्त, 1976। प्रातःकालीन वेला। मारिशस के रमणीक स्थल मोका में स्थित महात्मा गांधी संस्थान। इन्द्र देव अपनी झीनी-झीनी फुहारों से रह-रह कर सभी को अभिषिक्त कर रहे थे। संस्थान का संपूर्ण प्रांगण विश्व की चुनी हुई मनीषा और पांडित्य के सानिध्य से आप्लावित हो रहा था। इस सम्मेलन में भारत, इंगलैंड, फ्रांस, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, जापान, जर्मन जनवादी गणतंत्र, चेकोस्लाविया, इटली, स्वीडन, हंगरी कीनिया, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, रोड्रिग्स, रियूनियन द्वीप समूह तथा अन्य कई देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। विशाल पंडाल में उपस्थित अपार जनसमूह के सम्मुख मारिशस, भारत और अन्य देशों के विद्वान मंच पर बैठे थे। मारिशस की कुछ बालिकाओं ने गणेश वन्दना के बाद निम्नलिखित प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया :—

हे जग त्राता, विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे,
प्रेम के सिंधु, दीन के बंधु, दुख दारिद्र बिनाशन हे।

इस प्रेरणा गीत के शब्दों ने उस वातावरण को ऐसे पुनीत मंत्र से अभिभूत कर दिया जो केवल अनुभव का विषय है, वाणी का नहीं। इस के पश्चात् प्रारम्भ हुआ द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का कार्यक्रम।

सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री दयानन्द लाल बसन्त राय ने कहा—"आज मारिशस, के इतिहास में यह एक सुनहरा दिन है जब इस देश में द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आज हमारा हृदय अत्यन्त हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है और हम इस सम्मेलन में पधारे हुए अपने सभी सम्मानित अतिथियों, प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य आमंत्रित भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा ध्यान खास तौर पर उन उदारमना अतिथियों की ओर जाता है जो भारत सहित अनेक दूर-दूर के देशों से यात्रा के कष्ट और असुविधाओं को सहन कर हमारे देश में पधारे हैं। उनके आगमन से हमारे इस विराट आयोजन की शोभा बढ़ी है। आप सब के स्वागत में केवल यहाँ की हिन्दी भाषी जनता ही नहीं, अपितु समूचे मारिशस के तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि भाषाएँ बोलने वाले भी सम्मिलित हैं।" इसके बाद मारिशस के प्रधान मंत्री डा० शिव सागर राम गुलाम ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "मारिशस में हिन्दी का विकास हमारे समाज के विकास का दस्तावेज है। हमारे जो पूर्वज यहाँ आए थे वे खाली हाथ थे। उनके पास लड़ने का कोई हथियार नहीं था। उन्होंने बहुत दुख सहा। जानवर की तरह खेतों में रात दिन काम किया। अपने शरीर को गलाया लेकिन आत्मा को ऊँचा रखा। अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जतन से बचाए रखा। क्योंकि उनके पास अपनी भाषा थी। वे हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी बोलते थे। इन भाषाओं में बहुत ऊंचा ज्ञान और साहित्य है। अपनी भाषा की डोरी से उन्होंने अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बाँध रखा था।" मारिशस में हिन्दी के विकास का क्रम बताते हुए उन्होंने आगे कहा, "मेरा विश्वास है कि हिन्दी प्यार और एकता की भाषा

है । यह हमेशा से जनता की भाषा रही है । भारत और मारिशस दोनों को स्वतन्त्र कराने में हिन्दी का हाथ रहा है ।"

इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता डा० कर्ण सिंह ने अपना मार्मिक भाषण प्रस्तुत किया जिसकी प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—"मारिशस की भूमि हमारे पूर्वजों की तपोभूमि रही है, कर्मभूमि रही है । जिन दुस्सह यातनाओं को झेलकर उन लोगों ने अद्‌भुत धैर्य, सहिष्णुता और गरिमा के साथ इस धरती के भाल पर लगा दण्ड-भूमि का कलंक पोंछ कर इसे विश्व के गण्य देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा किया, यह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है । मानव की प्रकृति यात्रा में यह पराक्रम अद्‌भुत और अतुलनीय है । यह उन्हीं के परिश्रम का फल है कि हम यहाँ एकत्र होकर उस भाषा के विषय में विचार-विमर्श कर रहे हैं जो कठोर प्रतारणाओं के बीच उनके जीवन को रस सिंचित करती रही और सुनहरे भविष्य का संदेश देती रही ।"

यह सम्मेलन तीन दिन तक चलता रहा । सम्मेलन में जिन 4 प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श हुआ वे इस प्रकार हैं :—

1. हिंदी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, शैली और स्वरूप;
2. जनसंचार के साधन और हिंदी;
3. स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका;
4. विश्व में हिन्दी के पठन-पाठन की समस्याएँ ।

प्रत्येक विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए 3-3 विद्वानों का एक-एक अध्यक्ष मंडल बनाया गया था । इस अध्यक्ष मंडल का एक सदस्य मारिशस का, दूसरा भारत का और तीसरा इनसे भिन्न अन्य किसी देश का विद्वान होता था । इनके अतिरिक्त एक विद्वान विषय के संयोजन का कार्य करता था । पहले विषय पर बनाए गए अध्यक्ष मंडल में श्री खेर जगत सिंह (मारिशस) प्रो० डी० पी० यादव (भारत) तथा डा० लोठार लुत्से (जर्मन संघीय गणराज्य) शामिल थे । डा० धर्मवीर भारती ने इसका संयोजन किया था । इस विषय पर भाग लेने वालों में श्री जय नारायण राय, श्री रामदेव धुरन्धर, श्री सोमदत्त बखौरी, श्री लेनार्ट पियर्सन, श्रीमती निकोल बलबीर, श्री ओडोलेन स्मेकल, श्रीमती कोहेन तथा प्रो० के० दोई प्रमुख थे ।

"जन-संचार के साधन और हिंदी" नामक विषय पर विचार करने के लिए श्री बासुदेव सिंह (भारत), प्रो० के० दोई (जापान) और श्री मोहन लाल मोहित (मारिशस) का अध्यक्ष मंडल बनाया गया था । इसके संयोजक श्री चन्दूलाल चन्द्राकर थे । वक्ताओं में सर्वश्री शंकर दयाल सिंह, महावीर अधिकारी, दीप चन्द बिहारी, मनोहर श्याम जोशी, ए० रमेश चौधरी अरिगपूडि, कमलेश्वर तथा श्री राजेन्द्र अवस्थी प्रमुख थे ।

"हिन्दी के प्रचार-प्रसार में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका" नामक विषय पर हुए विचार-विमर्श के अध्यक्ष मंडल में श्री सूरज प्रसाद सिंह मंगर (मारिशस), श्री एम० वी० कृष्णराव (भारत) और श्रीमती निकोल बलबीर (फ्रांस) शामिल थीं । इसका संयोजन भारत के श्री आंजनेय शर्मा ने किया । वक्ताओं में श्री मधुकर राव चौधरी, श्री मोहन लाल मोहित, डा० मलिक मुहम्मद, श्री यशपाल जैन और डा० रत्नाकर पांडेय इत्यादि प्रमुख थे ।

चौथे सत्र में "विश्व में हिन्दी के पठन-पाठन की समस्या" विषय पर वचार-विमर्श हुआ जिसके अध्यक्ष मंडल में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी शामिल थे । इसका संयोजन प्रो० रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने किया । जिन-जिन विद्वानों ने इसमें भाग लिया, उनमें प्रो० हरबंश लाल शर्मा, श्री के० के० मंडल, श्री गोपाल शर्मा, डा० नामवर सिंह, प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी, डा० कामिल बुल्के तथा श्री सुधाकर पांडेय के नाम उल्लेखनीय हैं ।

सभी सत्रों में विचार-विमर्श का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का रहा । इनमें हिन्दी के प्रचार, प्रसार, प्रयोग, प्रशिक्षण इत्यादि सभी पहलुओं पर गंभीरता और विस्तार से विचार किया गया । इस विचार मंथन के परिणामस्वरूप सम्मेलन के अंत में एक मंतव्य प्रचारित किया गया जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

1. इस अधिवेशन ने प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के बोधवाक्य—"वसुधैव कुटुम्बकम्" को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार, विश्व की, एक परिवार के रूप में कल्पना की गई है । इस सम्मेलन का विश्वास है कि आज जब मानवता एक चौराहे पर जा खड़ी है, हिन्दी को प्रेम, सेवा और शांति की भाषा के रूप में उन सारी शक्तियों को बल देना चाहिए जो "एक विश्व एक परिवार" के आदर्श को सुदृढ़ करे और जहाँ मानव के लिए जाति, धर्म, वर्ण और राष्ट्रीयता की सीमाएँ न हों । यह सम्मेलन उसी दृष्टिकोण को दुहराना चाहता है जिसे प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन ने भी स्वीकार किया था कि वह हिन्दी के मामले में किसी भी प्रकार की जोर-जबरदस्ती या लादने की दृष्टि नहीं रखता है और इसी प्रकार यह मानता है कि जो भाषा स्वेच्छा से स्वीकार की जाएगी, वही सारे विश्व में लोकप्रियता और मान्यता प्राप्त करेगी ।

2. सम्मेलन ने प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में पारित इस प्रस्ताव का फिर समर्थन किया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान मिले और यह सिफारिश की कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए । सम्मेलन को यह जानकर संतोष हुआ कि प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के अन्य निर्णयों के बारे में भी ठोस कदम उठाए गए हैं जिनमें विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना का निर्णय भी शामिल है ।

3. सम्मेलन में भारत में समाचार-पत्रों क संकलन के बारे में निर्गुट देशों के उस सम्मेलन का भी स्वागत किया गया जिसमें सभी संवाद-सामग्री, का एक "पूल" बनाने का निर्णय लिया गया । सम्मेलन की धारणा है कि जन-संचार के अन्य सभी साधनों जैसे—रेडियो, टेलिविजन, फिल्म तथा अन्य प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उपयोग किया जाए ताकि वह "एक विश्व एक परिवार" की उदात्त भावना का प्रचार कर सके।

4. सम्मेलन की धारणा है कि मारिशस, भारत, फीजी, त्रिनिडाड, गियाना, जैसे अन्य देशों में वहाँ की स्वैच्छिक संस्थाओं ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह माना गया कि इन सभी संस्थाओं को उन देशों की सरकारों तथा जनता से सहायता मिलनी चाहिए । मारिशस और भारत जैसे देशों में तो हिन्दी का अभियान राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना के आंदोलन से ही जुड़ा रहा है लेकिन इन देशों की संस्थाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपना हिन्दी प्रचार कार्य जारी रखा है ।

5. सम्मेलन ने विश्व के अनेक देशों में हिन्दी के पठन-पाठन संबंधी समस्याओं पर भी विचार किया और इसमें पाठ्य-पुस्तकों, वैज्ञानिक उपकरणों तथा अन्य बातों के अभाव में किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पर भी विचार किया । इन कठिनाइयों को दूर करने का अवश्य ही प्रयत्न होना चाहिए । साथ ही साथ यह भी विचार प्रकट किया गया कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को विशिष्ट गोष्ठियों का आयोजन कर इन समस्याओं के बारे में व्यावहारिक सुझाव और समाधान प्रस्तुत करने चाहिए । विश्व हिन्दी सम्मेलन जैसे विशाल मंच पर तो इन समस्याओं का निदेश-मात्र दिया जा सकता है ।

6. द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन मारिशस में हुआ है, इस बात पर सभी प्रतिनिधियों ने अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और उसका मुक्त कंठ से अभिनन्दन किया । सम्मेलन जिस कुशलता के साथ संचालित हुआ, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई । अनेक प्रतिनिधियों ने यह इच्छा व्यक्त की कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मेलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किसी संगठन का विचार किया जाए। एक विशेष सुझाव दिया गया कि मारिशस में ही एक विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना की जाए जो सारे विश्व की हिन्दी गतिविधियों का समन्वय कर सके और एक अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन हो जो भाषा के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके जिसमें मानव विश्व का नागरिक बन कर रहे और विज्ञान और अध्यात्म की महान शक्ति एक नए समन्वित सामंजस्य का रूप ले सके । सम्मेलन के विचार में यह उचित होगा कि इस कार्य के नेतृत्व के लिए मारिशस के प्रधान मंत्री डा० सर शिवसागर रामगुलाम जी से ही निवेदन किया जाए जो द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष हैं और जिनका सुयोग्य, अनुभवी एवं प्रज्ञायुक्त मार्गदर्शन इसके लिए परम उपयोगी होगा।

7. द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों का यह अभिमत रहा है कि यह सम्मेलन मात्र हिन्दी के इतिहास में ही नहीं, वरन् मानवता की निरंतर यात्रा में भी एक युगांतरकारी घटना है । इसलिए यह सम्मेलन विश्व के उन समस्त स्त्री-पुरुषों की ओर स्नेह और मैत्री का हाथ बढ़ाता है जो ऐसे ही महान आदेशों के लिए काम कर रहे हैं । सम्मेलन में यह सुदृढ़ धारणा प्रकट की गई कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन होने तक की अवधि तक हिन्दी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में आदर्श प्रगति कर लेगी ।

मुख्य सम्मेलन के अतिरिक्त 27 अगस्त की रात्रि में महात्मा गांधी संस्थान के विशाल हाल में एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारत तथा मारिशस के अनेक प्रतिष्ठित कवियों ने भाग लिया और अपनी-अपनी मर्मस्पर्शी एवं हृद्यग्राही कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लिया । 28 अगस्त को मारिशस के कलाकारों ने मोहन राकेश लिखित "आसाढ़ का एक दिन" नाटक का बहुत ही सुन्दर मंचन किया । इनके अतिरिक्त मारिशस की अनेक संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा भी कई क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिनमें विश्व के भिन्न-भिन्न देशों से आए विद्वानों, विशेषकर भारतीय प्रतिनिधियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और अपने-अपने विचारों से स्थानीय जनता को लाभान्वित किया । इस प्रकार मारिशस के कोने-कोने में इन विद्वानों ने न केवल वहाँ के निवासियों की जिज्ञासा की तृप्ति की, बल्कि अपने सामगर्भित व्याख्यानों, कविताओं इत्यादि द्वारा उनका ज्ञान वर्धन और मनोरंजन भी किया । इन आयोजनों में "ग्रा-बासें" (गंगा तालाब) के तट पर हिन्दू महासभा की तरफ से आयोजित सम्मेलन, पोर्ट लूई में मारिशस सनातन धर्म मंदिर संघ के केन्द्र भवन के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित समारोह, महात्मा गांधी संस्थान, मौका में आयोजित मानस ग्रंथावली के तृतीय खंड का विमोचन समारोह तथा लौंग माउंटेन के हिन्दी भवन में आयोजित समारोह अत्यन्त स्मरणीय एवं उल्लेखनीय हैं।

मारिशस के हिन्दी प्रेमियों ने अपने देश के रमणीक स्थलों पर भारत तथा विश्व के हिन्दी विद्वानों के स्वागत के लिए भी तरह-तरह के आयोजन किए । इनमें लारोजा और वाक्वा क्षेत्र की जनता की तरफ से लारोजा में, प्रधान मंत्री श्री शिवसागर राम गुलाम की तरफ से पाम्प्लेमूस के विशाल और सुन्दर उद्यान में, माननीय दयानंद बसंतराय की तरफ से दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर, माननीय आर० घरबरन् की तरफ से त्रु-ओ-बीश में तथा त्रिओले के निवासियों की तरफ से उनके विशाल ग्राम में आयोजित स्वागत समारोह अविस्मरणीय हैं । इन स्वागत समारोहों में मारिशस वासियों के जिस स्नेह, सौजन्य, शिष्टाचार और आतिथ्य प्रेम का दृश्य देखने को मिला उससे उनके हिन्दी के प्रति अगाध प्रेम की झलक मिलती है ।

द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात् भारत लौटने पर इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग पर आई। तब से यह विभाग लगातार इस दिशा में कार्रवाई करता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग के सचिव/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में 4 बैठकें बुलाई गई हैं और विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों से इस संबंध में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता रहा है। इस संबंध में हुई अद्यतन प्रगति की स्थिति इस प्रकार है :—

1. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक कार्यक्रम तैयार किया है और इस संबंद्ध में अन्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ औपचारिक परामर्श भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद हिन्दी में भी प्रस्तुत करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के उन दस्तावेजों और प्रकाशनों की प्रारंभिक सूची तैयार की गई है जिन्हें अनुवाद और प्रकाशन की दृष्टि से उपयोगी समझा गया है। इन दस्तावेजों के अनुवाद, प्रकाशन तथा वितरण की लागत तथा अन्य संबंधित बातों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखा गया है।

2. विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी के कार्य की गति तेज की जा रही है। पिछले 2 वर्षों में इन मिशनों को कुल 88 हिन्दी टाइपराइटर भेजे गए हैं। आशा है 1980 के अंत तक सभी मिशनों में कम से कम एक-एक हिन्दी टाइपराइटर भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मिशन में एक-एक प्रशिक्षित टाइपिस्ट और हिन्दी आशुलिपिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रसंग में आशुलिपिकों के 14 पद मंजूर किए गए हैं।

3. द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यमों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में निम्नलिखित कार्य किए हैं :—

(1) गीत और नाटक प्रभाग ने हिन्दी गीत तथा नाटक और हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य कार्यक्रम पहले से लगभग $1\frac{1}{2}$ गुना अधिक कर दिए हैं।

(2) पत्र सूचना कार्यालय ने प्रेस रिलीजों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से ग्रामीण पत्र सेवा, यूनेस्को फीचर सेवा और कृषि पत्रिका आरम्भ की है।

(3) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के पहले विभिन्न हिन्दी समाचार पत्रों को लगभग 6,500 विज्ञापन दिए थे। वर्ष 1976-77 और 1977-78 में हिन्दी समाचार पत्रों को क्रमशः 10,668 और 9,454 विज्ञापन दिए गए।

(4) दूरदर्शन के प्रसारणों में हिन्दी को उच्च स्थान दिया जाता है। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित हिन्दी कार्यक्रमों का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

दिल्ली	56.00 प्रतिशत
बम्बई	34.25 ,,
कलकत्ता	24.00 ,,
मद्रास	13.09 ,,
श्रीनगर	22.00 ,,
अमृतसर	49.00 ,,
लखनऊ	83.00 ,,

(5) फिल्म प्रभाग ने द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के बाद मूल रूप से हिन्दी में पहले की अपेक्षा अधिक डाकुमेंट्री फिल्में बनाई हैं। जो फिल्में मूल रूप से हिन्दी में नहीं बनाई जातीं, उनका भी हिन्दी रूपांतर तैयार किया जाता है। इसमें भी पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

4. शिक्षा मंत्रालय ने सूरिनाम, त्रिनिडाड तथा गुयाना में एक एक हिन्दी प्राध्यापक की व्यवस्था की है। इन अध्यापकों का चुनाव और नियुक्ति भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा की जाती है और इनके वेतन तथा भत्तों पर होने वाला व्यय शिक्षा मंत्रालय वहन करता है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 1977-78 तथा 78-79, के दौरान अकेले मारिशस को ही 90,000 रु० मूल्य की हिन्दी पुस्तकें दी गईं। वर्ष 1977-78 और 78-79 के दौरान, प्रति वर्ष 2 लाख रु० मूल्य की पुस्तकें विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को उन देशों में हिन्दी के प्रचार के लिए भेजी गई। वर्ष 1978-79 के दौरान गुयाना को भी 50,000 रु० मूल्य की हिन्दी पुस्तकें भेजी गईं।

मारिशस, फिजी और श्रीलंका में हिन्दी के प्रचार का कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के उपयोग के लिए अनेक हिन्दी टाइपराइटर भी भेजे गए।

फिजी के हिन्दी-भाषी लोगों के बच्चों को हिन्दी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की सहायता से हिन्दी पाठ्य पुस्तकों की छपाई की एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना पर लगभग 2.50 लाख रु० व्यय होगा जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होगा कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। मारिशस में एक विश्व हिन्दी केन्द्र स्थापित करने और वहाँ से विश्व हिन्दी पत्रिका प्रकाशित करने के संबंध में कार्रवाई चल रही है। साथ ही विश्व के अन्य भागों में भी, जहाँ अधिक संख्या में हिन्दी भाषी अथवा भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, 4-5 विश्व हिन्दी केन्द्रों की स्थापना के संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है। आशा है अब देश-विदेश की हिन्दी प्रेमी संस्थाएँ, विद्वान एवं अधिकारीगण तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के संबंध में भी विचार-विमर्श करेंगे और इस अभियान को नई गति देंगे। □□□

यांत्रिक साधन और सुविधाएँ:

वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी

—डा० शिवगोपाल मिश्र
रीडर, रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
तथा प्रधान मंत्री, विज्ञान परिषद, इलाहाबाद

भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात् देश की भाषिक एकता एवं जन समुदाय की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान तथा तकनीक के अधिकांश विषयों पर पारिभाषिक शब्दावली का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके पीछे यह दूरदृष्टि काम कर रही थी कि इस प्रकार जो शब्दावली बने वह क्रमागत शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरी करती हुई अन्ततः उच्चस्तरीय शोधकार्यों के लिए भी लाभप्रद हो। वस्तुतः 1965 ई० तक आते-आते जब शैक्षिक जगत में इण्टरमीडिएट स्तर तक की पाठ्यपुस्तकों में इस शब्दावली का व्यवहार होने लगा तब विश्वविद्यालयों के उपयोग के लिए शब्दावली का प्रश्न उठा। उसे भी अल्पकाल में पूरा कर दिया गया और पारिभाषिक कोश दो खंडों में छपकर 1970 के पूर्व ही बाजारों में आ गया। अनुवाद तथा मौलिक लेखन में इस कोश का धड़ल्ले से उपयोग होने लगा।

इंटरमीडिएट तक विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को शिक्षण के माध्यम के रूप में अपना लिए जाने के बाद भी कुछ शिक्षा विशारद तथा अध्यापक यह कहने लगे कि यदि जल्दी में विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रयोग होने लगेगा तो शिक्षा स्तर में गिरावट आ जाएगी और इस तरह शीघ्रता बरतने से लाभ की बजाय हानि हो सकती है। संभवतः कुछेक विश्वविद्यालयों को छोड़कर शेष ने हिन्दी को माध्यम बनाए जाने का प्रश्न टाल दिया। लेकिन सरकार अपना काम करती रही। उसने पहले तो 1965-1968 में विभिन्न स्तरों पर विश्वविद्यालयों के लिए अनूदित एवं मौलिक ग्रंथों के रचे जाने की योजना बनाई जिसके अनुसार विभिन्न संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में हिंदी एककों की स्थापना की गई। लेकिन कार्य कुछ मंद गति से हुआ अतः 1970 ई० में विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों को एक-एक करोड़ रुपए देकर हिन्दी ग्रंथ अकादमियाँ स्थापित करने की सलाह दी गई। उनकी स्थापना से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अकादमियों ने बड़े उत्साह से कार्य प्रारंभ किया। वे वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के साथ ही मानविकी पर भी विविध ग्रंथ लिखने का कार्य करने लगीं। परिणामस्वरूप विगत 7-8 वर्षों पूर्व जहाँ पहले एक सौ से भी कम पुस्तकें वैज्ञानिक विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की थीं, वहीं अब उनकी संख्या 500 से भी ऊपर पहुँच गई हैं।

इस प्रकार 28 वर्षों में वातावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अब यदि कोई यह कहे कि पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों अथवा उच्चस्तरीय मानक ग्रंथों के अभाव के कारण विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं हो पाया तो यह मिथ्याभाषण होगा। इसके लिए हमें किसी अन्य कारण की खोज करनी होगी। गत वर्ष अगस्त मास में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की ओर से एक द्विदिवसीय 'विज्ञान मेला' इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा विज्ञान परिषद की ओर से आयोजित किया गया। उसमें प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों विज्ञान संकायों के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों, हिन्दी प्रेमियों के अतिरिक्त वैज्ञानिक संस्थाओं एवं प्रमुख रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार-विमर्श का मुख्य विषय था 'विज्ञान संकायों में हिन्दी का प्रवेश निषिद्ध क्यों ?" इस मेले की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि पहली बार सभी ने यह स्वीकार किया कि वैज्ञानिक या तकनीकी साहित्य के अभाव

के कारण नहीं बल्कि हम अपनी मानसिक अस्थिरता के कारण हिन्दी का चतुर्दिक व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं।

हिन्दी को व्यवहार की भाषा बनाने में अनेक संस्थाओं ने योगदान दिया है। प्रारंभ में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, राष्ट्र भाषा परिषद्, बिहार, हिन्दुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का कार्य उल्लेखनीय रहा है। लेकिन दिशानिर्देशक कार्य तो विज्ञान परिषद ने ही किया। इसकी स्थापना 1913ई० में विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के लिए हुई थी। अपने जन्म काल से ही यह "विज्ञान" नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती रही हैं। साथ ही पाँच दर्जन से अधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। 1958 से इसने अनुसंधान पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करके देश में शोध कर्त्ताओं के विचारों के आदान-प्रदान का सर्वथा नवीन द्वार खोला। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अब तक एक हजार से अधिक शोध पत्रों को हिन्दी में छाप कर इसने विदेशों में भी हिन्दी को प्रतिष्ठित किया है। आज हिन्दी, विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की उसी प्रकार से भाषा बन चुकी है जैसे प्रारंभ में अंग्रेजी बनी हुई थी।

संभवतः विशुद्ध वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा सम्प्रयुक्त विज्ञान या तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का विरोध अब भी जारी है। ऐसा कहा जाता है कि हिन्दी पंडिताऊ (संस्कृतनिष्ठ) स्वरूप इस क्षेत्र में नहीं चल सकेगा क्योंकि सभी स्तर के कर्मियों को भाषा संबंधी कठिनाई का अनुभव हो सकता है। प्रायः राजनीतिज्ञ ी दुरूह हिन्दी की आलोचना करते रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प राजनीतिज्ञों का पहले है, शिक्षाविदों का बाद में। वे यह भूल जाते हैं कि ज्ञान के विभिन्न स्तरों के अनुसार भाषा का मानदंड (स्तर) भी बदलता है। यह ठीक है कि प्रारंभ में सामान्य कर्मियों को कठिनाई होगी, शायद इसीलिए वे अंग्रेजी को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अनंत काल तक चलने वाला नहीं। वे स्वयं हिंदी की ओर मुड़ेंगे क्योंकि वे किसी से कम राष्ट्रीय नहीं है।

इंजीनियर तथा डाक्टर ही वे मुख्य तकनीकी लोग हैं। जिन्हें हिंदी से चिढ़ है जब कि उनका संपर्क जनता से सर्वाधिक होता है। शायद वे आज की स्थिति से संतुष्ट रहकर आगे नहीं देखना चाहते। अन्यथा हिन्दी का प्रवाह कतिपय विरोधियों से रूकने वाला नहीं है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी नहीं है और न ही राष्ट्र प्रेमियों का तोड़ा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कुछ कर्मठ व्यक्ति हिंदी को प्रतिष्ठित कराने में लगे हैं। विगत दस वर्षों में ट्राम्बे, रुड़की, दिल्ली आदि में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में हिंदी को प्रतिष्ठित कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स तो विगत 30 वर्षों से हिन्दी में एक जरनल निकाल कर राष्ट्र में अभियांत्रिकी का प्रचार करता रहा है। इसी प्रकार वन अनुसंधान देहरादून काफी सामग्री हिन्दी में प्रकाशित करता आया है।

इस प्रकार अब विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों या प्रौद्योगिक केंद्रों में हिंदी के प्रति अनुराग जागा तो है लेकिन वे पथप्रदर्शन नहीं करना चाहते, अभी भी वे बगलें झाँकते हैं—विशेष रूप से लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यावहारिकता, शोध स्तर के गिरने का भय तथा विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों की कठिनाइयों का बारम्बार उल्लेख किया जाता है। यह सब ठीक है किन्तु हमें जापान अथवा चीन का उदाहरण अपने सामने रखना होगा। इन राष्ट्रों ने अपने ही देश की भाषा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करनी प्रारंभ कर दी है। इस संदर्भ में हमें भारतेंदु हरिश्चन्द्र की निम्न पंक्तियाँ स्मरण रखनी होंगी

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति कर मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को शूल।।

और हमें राष्ट्र के उन्नयन में अपने दायित्व एवं अवदान को नहीं भूलना होगा।

विज्ञान के शैक्षिक जगत में हिन्दी का प्रवेश ऐसा पक्ष था जिसमें यह मानकर चला जा रहा था किसी क्षेत्र विशेष के प्रशिक्षित अथवा विद्वज्जन परस्पर हिंदी के एक स्वीकृत रूप को ग्रहण करें जिससे पूरे देश में अथवा राष्ट्र में विचारों के आदान-प्रदान में एकरूपता आए। वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के गढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यही था। इसमें हमें सफलता मिली है। इन शब्दों के व्यवहार से यह एकरूपता अक्षुण्ण रखी जा सकती है।

ऐसे प्रयत्नों का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा जिसके फलस्वरूप सामान्य शिक्षित जनों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी को प्रसारित करने में सहायता मिल सकती थी, या मिली है। किसी बात को आमजन तक पहुँचाने में पत्र-पत्रिकाएँ इसके लिए सर्वोत्तम साधन होती हैं। वे सामान्य जन के साथ ही छात्रों, अध्यापकों तथा शोधार्थियों को अपनी रूचियों के अनुसार ज्ञानार्जन करने में सहायक बन सकती हैं। देश में वैज्ञानिक परिवेश बनाने का यह अनूठा साधन है। हिन्दी के माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी को प्रचारित करने में जिन पत्रिकाओं ने विशेष योगदान दिया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

लोकोपयोगी पत्रिकाएँ : विज्ञान, विज्ञान प्रगति, विज्ञान लोक, विज्ञान जगत, वैज्ञानिक, विज्ञान भारती, किसान भारती, खेती, कृषि तथा पशुपालन।

तकनीकी पत्रिकाएं : आविष्कार, समीक्षा, विज्ञान परिचय, खाद्य विज्ञानी, जरनल आफ दि इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स।

उच्चस्तरीय वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	रसायनी, रसायन समीक्षा, विज्ञान परिषद् अनुसंधान पत्रिका, कृषि शोध पत्रिका, कृषि चयनिका ।

इन पत्रिकाओं द्वारा सामयिक विज्ञान एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त होने के साथ ही वैज्ञानिकों के अपने विचारों को व्यक्त करने तथा शब्दों को उनके वास्तविक प्रसंग में व्यवहृत करने एवं शैली अपनाने का अभूतपूर्व अवसर मिलता रहा है।

वज्ञानिक क्षेत्र में हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य सृजित करने एवं उसे अन्य भाषाओं से अवतरित करने में हजारों वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से कार्य किया है । फलस्वरूप विशिष्ट लेखक उत्पन्न हुए हैं और उनके पाठकों का समूह भी उभर कर सामने आया है ।

अनुवाद कार्य अत्यन्त कठिन एवं नीरस होता है । यह किसी भी भाषा की गौण शैली होता है, इससे पेट भरा जा सकता है, लेकिन विशिष्टता नहीं लाई जा सकती । फिर भी विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में सामयिक विदेशी ज्ञान का अनुवाद होता ही है अतः अनुवाद को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, न ही अनुवादकों को द्वितीय कोटि का लेखक मानना चाहिए ।

शायद अनुवाद के क्षेत्र में हम से एक त्रुटि हुई है—वह है पुरानी पुस्तकों का अनुवाद । चाहिए तो यह था कि आधुनिकतम पुस्तकों का अनुवाद कराया जाता लेकिन कापीराइट आदि संबंधी झंझट के कारण ऐसा नहीं हो पाया जिससे जितना भी अनूदित साहित्य है, वह प्रायः रद्दी बन कर रह गया है और उसी के कारण चतुर्दिक हमारी आलोचना हो रही है । शायद जल्दी के कारण सुपात्र अनुवादकों का चयन भी नहीं हो पाया, जिससे एक वर्ग क्षुब्ध है ।

अनुवाद के पचड़े में पड़ने से अच्छा तो यह हुआ होता कि केवल मौलिक पुस्तकों के सृजन एवं प्रकाशन पर ध्यान दिया गया होता । हमारे हिंदी प्रदेशों में ऐसे विद्वानों की कमी नहीं, जो यह कार्य आसानी से कर नहीं सकते और यदि भाषा उनके आड़े आती तो उन्हें भाषा सहायक दिए जाने की व्यवस्था कर दी जाती । तब इसका प्रभाव अच्छा हुआ होता । चोटी तक के विद्वानों का हिंदी का समर्थन एवं सहयोग मिलने पर विरोध की गुंजाइश ही न रह जाती । लेकिन ऐसा नहीं हो पाया । फलस्वरूप हिंदी में मौलिक लेखन का कार्य मंद एवं रास्ते से भटका हुआ रहा है ।

विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी कृति स्थायी महत्व की नहीं होती । हर दस वर्ष में किसी भी वैज्ञानिक प्रकाशन का महत्व घट जाता है और इस अवधि में नए-नए लेखक तथा नई-नई कृतियाँ जन्म ले लेती हैं । फिर भी हिंदी में अभी ऐसा नहीं हो पाया । अभी भी हिंदी में विज्ञान संबंधी लेखन एक व्यवसाय बन कर रह गया है । वह उच्चस्तरीय शैली से समन्वित कला का रूप धारण नहीं कर पाया है ।

इधर अनेक अनुसंधानशालाएँ तथा संस्थान अपने शोध कार्यों को हिन्दी में प्रकाशित करने के प्रति जागरूक दिखाई पड़े हैं । उनमें हिन्दी सहायकों की नियुक्तियाँ अथवा हिन्दी सेलों की स्थापनाएँ हुई हैं और उनके द्वारा अनेक कार्य-शालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ है । बहुतों ने अपनी-अपनी पत्रिकाएँ, रिपोर्टें या बुलेटिनें प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया है । यह शुभ लक्षण है । इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली ने गत एक वर्ष के भीतर ऐसे प्रयास किए हैं । कृषि अनुसंधान परिषद, दिल्ली तो बहुत पहले से हिन्दी में विपुल साहित्य प्रकाशित करता रहा है । इधर उसने विशेषज्ञों द्वारा हिंदी में ही अनेक उपयोगी मोनोग्राफ लिखाए हैं जो मुद्रणाधीन हैं । डा० आत्माराम के महानिदेशक काल में भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद ने 'भारत की सम्पदा' नामक संदर्भ ग्रंथ की योजना हाथ में लेकर युगांतकारी कार्य किया है । शायद कुछ शोध जरनल भी अब हिन्दी में छपें । पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने हिंदी में कृषि संबंधी प्रभूत साहित्य प्रकाशित कर दिया है और हिंदी को शिक्षा का माध्यम भी स्वीकार किया है। हिंदी राज्यों में ग्रंथ अकादमियों ने विश्वविद्यालयों के लिए सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर पुस्तकें छापी हैं । इधर सैन्य विज्ञान में भी हिन्दी साहित्य रचा जा रहा है । देहरादून के वन संस्थान ने वानिकी विषयों पर मौलिक साहित्य रचे जाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना गत वर्ष से चालू की है। इसी प्रकार विज्ञान परिषद् स्वामी हरिशरणानंद पुरस्कार द्वारा हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करती है।

तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत, सामूहिक, संस्थागत तथा सरकारी सभी प्रकार के प्रयासों के फलस्वरूप विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी प्रवेश कर चुकी है, उसका परिष्कार भी होने लगा है । वह दिन दूर नहीं जब सभी एक स्वर से हिंदी की सत्ता को स्वीकारेंगे । हमारे देश के कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक यथा डा० आत्माराम, डा० रामचरण मेहरोत्रा, स्वामी सत्यप्रकाश, डा० ब्रजमोहन, प्रो० फूलदेवसहाय वर्मा हिन्दी के प्रबल समर्थक ही नहीं, वे उच्च कोटि के हिन्दी लेखक भी हैं।

OOO

वास्तुकीय नक्शों में हिंदी का प्रयोग

—इंद्रदेव रस्तोगी
वास्तुक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

प्रशासन और उसके विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सरकार की नीति और विभिन्न आदेशों को ध्यान में रखते हुए, वास्तुकीय नक्शे भी हिंदी में बनने लगे हैं। भारतीय भाषाओं का प्रयोग वास्तुकला के क्षेत्र में नया नहीं है। इस क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। वास्तुकला और नगर आयोजना से सम्बन्धित विषयों पर संस्कृत और विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्राचीनतम ग्रन्थ उपलब्ध हैं परन्तु समय के साथ इन ग्रन्थों में उपलब्ध ज्ञान केवल मंदिरों के निर्माण के लिए विकसित होने और आम लोगों के लिए भवन निर्माण की कला की उपेक्षा के कारणों से यह विषय—धरोहर आम ज्ञान का विषय नहीं बन सका। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्य के विनष्टीकरण से और प्राचीन वास्तु-साहित्य की उपेक्षा से इस ज्ञान का पठन एवं वर्धन प्रायः विलुप्त हो गया।

आधुनिक वास्तुकीय शिक्षा अंग्रेजों की देन है और इसी वजह से इसकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा वस्तु विषय भी पाश्चात्य है। यही कारण है कि अभी तक वास्तुकीय नक्शों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने में कुछ कठिनाइयाँ पेश आ रही हैं। इसके बावजूद हिन्दी में वास्तुकीय नक्शे बनने लगे हैं और धीरे-धीरे यह प्रयोग बढ़ ही रहा है।

वास्तुविज्ञान नगर आयोजना से सम्बन्धित क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग के विस्तार में कुछ कठिनाइयाँ हैं जिनमें मुख्य ये हैं :—

उच्च शिक्षा का माध्यम और पाठ्य पुस्तकें :—भारतीय भाषाओं में इन विषयों पर पुस्तकों का अभाव तो है ही साथ ही अभी शिक्षण संस्थाओं में प्राध्यापक अंग्रेजी माध्यम को ही इन विषयों की शिक्षा प्रसार का प्रमुख माध्यम मानते हैं। इसलिए अब भी इन विषयों के स्नातक जो इन शिक्षण संस्थाओं से निकल रहे हैं, सब की विचार-धारा, अभिव्यक्ति और कार्य करने के ढंग में अंग्रेजी का बोलबाला है। इसी कारण इन विषयों पर हिन्दी माध्यम में पाठ्य पुस्तकें लिखने का कोई प्रोत्साहन नहीं है और न ही इन विषयों के ज्ञाताओं ने अपनी भाषा में लिखने का गंभीर प्रयास किया है। इस तरफ तत्काल बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

2. संदर्भ पुस्तक और उपयुक्त यंत्रों का अभाव :

दूसरा मुख्य कारण हिन्दी में इस विषय की उपयोगी संदर्भ पुस्तकों का न होना है। अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाओं में इन विषयों पर बहुत ही ज्यादा संदर्भ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और हो रही हैं। हिन्दी और भारतीय भाषाओं में इन पुस्तकों के लिखने का या अनूदित करने का काई विशेष प्रयास ही नहीं किया गया है। जिसके कारण हमारे वास्तुकीय विज्ञान में जो भी मानक बने हैं या जो भी कार्य विदेशी मानकों के माध्यम से किए जाते हैं वह आम भारतीयों के दक्ष-प्रयोग के उपयुक्त नहीं होते हैं।

इसके अतिरिक्त ड्राइंग बनाने में उपयुक्त यंत्र जैसे हिंदी की स्टेंसिल प्लेटें और इनके उपयोग करने में अनभ्यास भी अरुचि के कारण हैं।

वास्तुकीय और नगर आयोजना नक्शों में हिंदी का प्रयोग :

मुश्किलें तो होती हैं पर इनमें कोई भी ऐसी नहीं है जो हल न की जा सके। इसी कारण सरकारी नीति का पालन करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नक्शों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। यह प्रयोग चार चरणों में हुआ है। सबसे पहले जोर दिया गया केवल ड्राइंगों के शीर्षकों पर, जो दो चरणों में किया गया। पहले रोमन लिपि में ही हिन्दी शीर्षक लिखे गए। फिर जब कर्मचारी इसके अभ्यस्त हो गए, तो हिन्दी का प्रयोग देवनागरी लिपि में ही होने लगा। तत्पश्चात नगर विन्यास जिसमें लिखने का काम कम होता है, उनको हिन्दी में बनाना शुरू किया गया। ऐसे बहुत से नक्शे बनने पर दूसरे विन्यास भी हिन्दी में बनने लगे। और तो और अब नगर निगम में भी कई विन्यास हिन्दी में ही स्वीकृति के लिए भेजे जा रहे हैं।

[शेष पृष्ठ 33 पर]

सहायक साहित्य :

रक्षा शब्दावली : सृजन तथा प्रयोग

–मणिराम
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, रक्षा मंत्रालय

वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग की स्थापना अक्तूबर 1961 में हुई थी। इससे पूर्व रक्षा शब्दावली के क्षेत्र में कुछ ठोस काम शुरू हो गया था। शिक्षा मंत्रालय ने रक्षा सेनाओं के विशेषज्ञों की सहायता से रक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की अन्तरिम सूचियाँ बनानी शुरू कर दी थीं। इतना ही नहीं, इस दौरान कमान शब्दावली का निर्माण रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी भारी उपलब्धि रही। कमान शब्दावली के निर्माण का श्रेय रक्षा संगठन के भूतपूर्व मंत्री श्री महावीर प्रसाद त्यागी को जाता है। जिस दृढ़ता और लगन से उन्होंने कमान शब्दावली का निर्माण रक्षा मंत्रालय में तीनों सेनाओं की सहायता से करवाया, वह निःसन्देह उनके साहस और संविधान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का परिचायक था। यद्यपि प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आईं, लेकिन सेनाओं की अनुशासनप्रियता और संविधान के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के सामने कठिनाइयाँ सहज हो गईं और 1957 में तीनों सेनाओं में कमान शब्दावली का प्रयोग एक निश्चित तारीख से शुरू हो गया। वस्तुतः इस शब्दावली को तैयार करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। अंग्रेजी में कमान शब्दों का उच्चारण करने पर भी सारा शब्द ज्यों का त्यों न पढ़कर सैनिकों की विशेष चाल, फुर्ती, आदि के अनुसार बोला जाता रहा और चूंकि अंग्रेजी में ये शब्द बहुत समय से चले आ रहे थे इसलिए वे अच्छी तरह सेना में रच-पच गए थे। लेकिन हिन्दी में उन्हें उसी खूबी से ले आना पहले तो असंभव सा जान पड़ा लेकिन प्रयोगकर्त्ताओं के सहयोग से सब मुश्किलें आसान हो गईं और अब हिन्दी कमान शब्द अपने आप इतने ओजपूर्ण ढंग से बोले जाते हैं कि अंग्रेजी के कमान शब्द अपनी खासियत में पीछे रह गए हैं। उदाहरण के लिए; "Attention" शब्द का उच्चारण करते समय इसे दो शब्दों में तोड़कर अर्थात् एटें+शन उच्चरित किया गया। इसका हिन्दी पर्याय "सावधान" रखा गया जिसे कवायद के समय तोड़कर इस प्रकार उच्चरित किया गया "सा+व्+धान्"। बहुत से शब्दों के हिन्दी पर्याय बन जाने के बाद, व्यवहार रूप में लाने पर, उनमें संशोधन किया गया जैसे "Left" और "Right" के लिए पहले क्रमशः "बायाँ" और "दायाँ" रखा गया, लेकिन बाद में प्रयोग करने पर ऐसा लगा कि कवायत के समय इन दोनों शब्दों को जोर से बोलने पर कुछ को एक जैसा लग रहा है, इसलिए इनका रूप बदलकर "Right" के लिए "दाहिना" और "Left" के लिए "बायाँ" शब्द निश्चित किया गया। नौसेना में पहले से ही कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता रहा जोकि यद्यपि अर्थ की दृष्टि से कुछ भी हों, लेकिन वे एक विशेष तकनीकी संकल्पना अथवा संक्रिया के द्योतक बन गए। उन शब्दों को उसी रूप में नहीं लिया गया बल्कि उनके पीछे निहित भावना को देखते हुए उनका एक विशेष पर्याय निर्धारित किया गया जैसे "Abox" (कैंची-कसना), "Head" (शौचालय), "Starbord" (जमना), "Painter" (रस्सा), आदि।

तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले रैंकों और पदनामों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि चूँकि रैंकों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द पहले ही अन्तरराष्ट्रीय मान्यता पा चुके हैं, इसलिए उन्हें उसी रूप में देवनागरी लिपि में लिया जाए। रैंकों में General, Colonel, Brigadier, Field Marshall, Admiral आदि इसी रूप में देवनागरी लिपि में लिखना पर्याप्त समझा गया। पदनाम शब्द जैसे Division Commander, Company Commander आदि को यथावत रूप में देवनागरी में रखा जाना अधिक सुविधाजनक समझा गया लेकिन अन्य पदनामों के लिए जो सिविल विभागों में भी उपलब्ध हैं, जैसे— Assistant Chief Inspector, Director General, Director के लिए क्रमशः सहायक मुख्य निरीक्षक, महानिदेशक, निदेशक निश्चित किया गया।

सेनाओं की स्थैतिक यूनिटों के नाम भी हिन्दी में निर्धारित किए जा चुके हैं और उन्हें सबकी सूचना के लिए प्रकाशित भी किया जा चुका है। यूनिटों और रेजिमेंटों के नाम हिन्दी में निर्धारित करने के लिए इस बात का बराबर ध्यान रखा गया है कि वे सरल और सुबोध हों और यदि ऐसा करने में कोई कठिनाई हो तो उसी रूप में देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए।

इस समय आर्डनेंस मदों के हिन्दी पर्याय तैयार करने के संबंध में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। ये शब्द भी अपने आप में लगभग 45 हजार के करीब हैं। लेकिन जब तक इनके हिन्दी पर्याय तैयार नहीं हो जाते तब तक रक्षा संगठन के सभी कार्यालयों से यह कहा गया है कि वे अपने काम-काज में हिन्दी का इस्तेमाल करते हुए आर्डनेंस मदों को उसी रूप में देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं।

अब तक लगभग 40 हज़ार रक्षा शब्दों के हिन्दी पर्याय तैयार किए जा चुके हैं। एक जैसे अर्थ बोधक शब्दों का

ग्रुप बनाकर शब्दावली विशेषज्ञों ने यह प्रयास किया कि हर शब्द का एक स्वतंत्र शब्द निर्धारित किया जाए और वे उसमें सफल भी हुए । उदाहरण के लिए हम एक ग्रुप में इन शब्दों को ले सकते हैं :—assault, attack, aggression, invasion & charge इन सबके लिए सामान्य रूप से एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता था । लेकिन इनमें से प्रत्येक शब्द का किसी खास अवसर पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए काफी विचार करने के बाद इनका हिन्दी पर्याय क्रमश: इस प्रकार निश्चित किया गया—प्रहार, हमला, आक्रमण, चढ़ाई और धावा ।

युद्ध सम्बन्धी उपर्युक्त शब्दों के अलावा उपस्कर, उपकरण, उनके खेने, चलाने और उड़ाने के विभिन्न तौर-तरीकों के लिए विशेष शब्दों का निर्माण करने के विचार से शब्दावली विशेषज्ञ विभिन्न निर्माणियों, भण्डारों, डिपुओं, आदि में गए और प्रत्येक उपकरण के विशेष प्रकार के कार्यों को देखते हुए कई अंग्रेजी शब्दों के सटीक हिन्दी पर्याय बनाने का प्रयास किया गया । सेमीनार भी लगाए गए और साथ ही इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखा गया कि जिन शब्दों का प्रयोग अन्य विज्ञानों में हो रहा है उनके पूर्व निर्धारित हिन्दी पर्यायों में तब तक परिवर्तन न किया जाए, जब तक बहुत जरूरी न हो ।

शब्दावली समन्वय समिति का भी ध्यान हाल ही में हमारी रक्षा शब्दावली की ओर गया और जिन शब्दों के बारे में उन्हें थोड़ा-बहुत भी सन्देह हुआ उसे समिति की बैठक में रखकर अन्तिम रूप देने का प्रयास किया गया । इस प्रकार के कुछ शब्द जो उस समिति ने फिर निर्धारित किए हैं उनका प्रकाशन रक्षा मंत्रालय की सैनिक समाचार पत्रिका में नियमित रूप से होता रहा है और अब उन सभी शब्दों को जो इस समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में शब्द समन्वय की दृष्टि से फिर से निर्धारित किए हैं उन्हें भी सैनिक समाचार पत्रिका में आजकल विभिन्न किश्तों में प्रकाशित किया जा रहा है ताकि देश के विभिन्न भागों में जहाँ भी यह पत्रिका जाए शब्द विशेष के हिन्दी पर्याय के सम्बन्ध में समन्वय समिति का सर्वसम्मत निर्णय सबको मालूम हो और हिन्दी पर्याय में जहाँ तक हो सके एकरूपता बनी रहे।

रक्षा शब्दावली की 20 हजार प्रतियाँ इस समय नासिक प्रेस में छप रही हैं और आशा है इस साल के अन्त तक ये प्रतियाँ छपकर तैयार हो जाएँगी और सभी यूनिटों, फार्मेशनों आदि में पहुँच जाएँगी । शब्द निर्माण का काम यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता । यह एक शाश्वत प्रक्रिया है जिसमें बहुत से शब्द एक विशेष अर्थ के लिए स्वत: रूढ़ हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल ही नए अर्थों में प्रयोग होने लगते हैं । इस प्रकार शब्दावली की समीक्षा करते रहने से भाषा समृद्ध होती चली जाती है और विभिन्न संकल्पनाओं के लिए शब्दों के नए प्रयोग अपने आप सामने आने लगते हैं । कहना न होगा कि जो रक्षा शब्दावली इस समय प्रेस में है उसका भी कुछ सालों के बाद हमें पुनरीक्षण करना होगा और उसमें तब तक सैनिक शास्त्र में आए नए शब्दों के समावेश के साथ-साथ पुराने शब्दों के नए अर्थ देने होंगे। □□□

[पृष्ठ 31 का शेष]

चौथा चरण जो कुछ मुश्किल है, वह है भवनों के लिए बनने वाले कार्यकारी नक्शों का हिन्दी में बनाना । इन नक्शों में बहुत सारी तकनीकी सूचनाएँ दी जाती हैं, जिसके लिए विभागीय विनिर्देशों का उपयोग करना पड़ता है । अभी तक यह हिन्दी में उपलब्ध नहीं था परन्तु अब उनका भी हिन्दी संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का यह कदम हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है । कुछ दिनों के बाद वास्तुविज्ञान क्षेत्र में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की आशा की की जा सकती है ।

हिन्दी का और अन्य भारतीय भाषाओं का वास्तुकीय विज्ञान तथा नगर अयोजना में अधिकाधिक प्रयोग करने से, कई लाभ होंगे । सबसे मुख्य लाभ तो यह होगा कि इससे वास्तुविद और भवन निर्माण में लगे हुए ठेकेदार, मिस्त्री इत्यादि के बीच की दूरी (Communication Gap) खत्म हो जाएगी । हिन्दी में नक्शे बनने से भवन निर्माण में लगा हुआ मिस्त्री भी ड्राइंगें समझेगा और इससे उसमें भी समानता की भावना आएगी । यह प्रयोग भवन निर्माण उद्योग में लगे हुए सब वास्तुकीय अभियन्ताओं, ठेकेदारों, मिस्त्रियों, मजदूरों में समानता की भावना तथा समाजवाद लाने में सफल होगा ।

वास्तुविज्ञान में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए कुछ बहुत ही जरूरी सुझाव हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. भवन निर्माण में उपयोगी संदर्भ पुस्तकों का हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराना ।
2. भवन निर्माण से सम्बन्धित सब मानकों को भारतीय स्थिति के अनुकूल बनाना और उनका भारतीय भाषाओं के माध्यम से अधिकाधिक प्रचार करना।
3. भवन निर्माण में उपयोगी उद्योगों की निर्मित-समान सूचना (साहित्य) हिन्दी में प्रकाशित करना ।
4. शिक्षण संस्थाओं में वास्तुविज्ञान की शिक्षा के लिए धीरे-धीरे हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग ।
5. अलग से ही एक वास्तुविज्ञान और नगर आयोजना में प्रयोग होने वाली शब्दावली और सर्वज्ञान पुस्तक का प्रकाशन और प्रचार । □□□

किसी सरकारी कर्मचारी के पेंशन के कागजपत्र लेखा अधिकारी को भेजने का प्रपत्र

संख्या ——————————————
भारत सरकार
——————————————मंत्रालय
विभाग/कार्यालय——————————————
दिनांक ——————————————

सेवा में,

वेतन तथा लेखा अधिकारी/महालेखाकार
——————————————
——————————————

विषय :——पेंशन प्राधिकरण के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————————
के पेंशन के कागज पत्र

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के ——————————————श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————————के पेंशन के कागज पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

1. उन सरकारी देयों के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं जो सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख को बकाया होंगे और जिन्हें मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाना चाहिए :—

(क) गृह निर्माण अथवा वाहन अग्रिम धन की शेष राशि——————————रु०

(ख) छुट्टी के वेतन सहित वेतन तथा भत्तों की अधिक अदायगी——————————रु०

(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत स्रोत पर काटे जाने वाला आय-कर——————————रु०

(घ) सरकारी आवास के कब्जे के लिए लाइसेंस फीस की बकाया राशि ——————————रु०

(ङ) सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद दो महीने की स्वीकार्य अवधि के लिए सरकारी आवास रखे जाने के लिए लाइसेंस फीस की राशि ——————————रु०

(च) कोई अन्य मूल्यांकित देय और उसकी प्रकृति ——————————रु०

(छ) गैर मूल्यांकित देय, यदि कोई हो, के समयोजन के लिए रोकी जाने वाली उपदान की राशि——————————रु०

जोड़——————————रु०

अनुरोध है कि इसका भुगतान प्राधिकृत करने से पहले मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान में से उपर्युक्त देय वसूल किए जाएँ ।

2. आपका ध्यान अनुलग्नकों की सूची की ओर आकृष्ट किया जाता है जो इसके साथ अग्रेषित की जाती है ।

3. इस पत्र की पावती भेज दी जाए और इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय ने सूचित किया है कि सम्बन्धित संवितरण अधिकारी को पेंशन तथा मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान के संवितरण के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

अनुलग्नकों की सूची :

1—प्रपत्र 5*, प्रपत्र 6 और प्रपत्र 7 विधिवत् पूर्ण

2—असमर्थता का चिकित्सा प्रमाणपत्र (यदि अशक्तता पेंशन का दावा है)

3—प्रभावी बचतों का विवरण और अन्यत्र रोजगार न किए जा सकने के कारण (यदि प्रतिकर पेंशन तथा उपदान के लिए दावा है)

4—सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में सेवा निवृत्ति की तारीख इंगित की जानी है)

5—(क) किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा विधिवत् सत्यापित दो नमूना हस्ताक्षर अथवा अपने नाम के हस्ताक्षर तक न करने वाले अशिक्षित पेंशन भोगी के मामले में किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा विधिवत सत्यापित बाँए हाथ का अंगूठा तथा उंगलियों के निशान की दो स्लिपें ।

**(ख) कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत सत्यापित पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ की 3 प्रतियाँ (या एक साथ अथवा अलग अलग)

(ग) विधिवत सत्यापित ऊँचाई तथा पहचान चिन्ह् के ब्यौरे की दो स्लिपें ।

6—सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के 6 महीने पहले कागज अग्रेषित न किए जाने के मामले में विलम्ब के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण ।

7—केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 67 के अन्तर्गत अपेक्षित सरकारी कर्मचारी का एक लिखित बयान यदि कोई हो ।

8—निलम्बित होने, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, सेवा से हटाए जाने अथवा पदच्युत किए जाने के बाद सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति के मामले में सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति के संक्षिप्त विवरण ।

टिप्पणी :—जब परामर्शी विभिन्न अभिलेखा में सरकारी कर्मचारी के आद्याक्षर अथवा नाम गलत है अथवा हैं, तो इस तथ्य का इस पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए ।

---

*यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा से अनिवार्य निवृत्ति है और सरकारी कर्मचारी से प्रपत्र 5 लेने में प्रत्याशित बिलम्ब है तो कार्यालय अध्यक्ष बिना प्रपत्र 5 के पेंशन के कागज लेखा अधिकारी को भेज दें । सरकारी कर्मचारी से प्राप्त होते ही प्रपत्र यथाशीघ्र भेज दिया जाए ।

**निम्नलिखित स्थिति में पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ की केवल दो प्रतियाँ ही भेजनी चाहिए:—

(i) जब सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 द्वारा शासित है और अविवाहित अथवा विधुर अथवा विधवा है ।

(ii) जब सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 55 द्वारा शासित होता है ।

□□□

आदेश-अनुदेश :

तत्काल

सं० 11/20034/5/79-रा०भा० (क-2)

भारत सरकार

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल, 1979

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में मंत्रालय तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की नियमित रूप से सूचना देना ।

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की जो हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं उनकी बैठक तीन महीने में एक बार होनी चाहिए। इन बैठकों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न कार्यक्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की अनेक प्रकार से समीक्षा की जाती है।

2. केन्द्रीय हिन्दी समिति की 17 मार्च, 1979 को हुई बैठक में, हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय किया गया कि "मंत्रालय, उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, कम्पनियों, निगमों आदि में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति" शीर्षक एक विषय, नियमत रूप से, रखा जाए। इस विषय के अन्तर्गत मुख्यत: निम्नलिखित चार मदों पर जानकारी दी जाए :—

1. मंत्रालय के कामकाज में राजभाषा अधिनियम, नियम तथा अनुदेशों के अनुसार हिन्दी के प्रयोग की स्थिति,
2. सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति,
3. मंत्रालय/विभाग की कार्यान्वयन समितियों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा, तथा
4. मंत्रालयों में हिन्दी के बारे में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी।

3. यह आशा की जाती है कि यदि संबंधित मंत्रालय/विभाग उपरोक्त मदों पर जानकारी हिन्दी सलाहकार समितियों के सदस्यों को दे दें तो बैठक में चर्चा उपयोगी हो सकेगी। उपर्युक्त चार मदों में पहली मद के विषय में जानकारी संलग्न प्ररूप के अनुसार रखी जानी उचित होगी।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में, नियमित रूप से, उपर्युक्त चार मदों पर जानकारी दें ।

5. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजें।

विष्णु स्वरूप सक्सेना,
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
2. नौवहन और परिवहन मंत्रालय
3. वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)
4. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)
5. उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
6. इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग)
7. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)
9. निर्माण आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (निर्माण विभाग)
10. गृह मंत्रालय (हिन्दी अनुभाग)
11. ऊर्जा मंत्रालय, (कोयला विभाग)
12. विदेश मंत्रालय
13. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
14. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
15. डाक तार विभाग
16. कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)
17. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग)
18. श्रम मंत्रालय
19. पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग)
20. रक्षा मंत्रालय

हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में मंत्रालय तथा उससे संबद्ध सभी अधीनस्थ कार्यालयों, कंपनियों, निगमों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति बताने के लिए प्ररूप

हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में मंत्रालय उसके संबद्ध सभी अधीनस्थ, कार्यालयों, कंपनियों निगमों आदि में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति बताने के लिए प्ररूप

1. पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी

क. कर्मचारियों की संख्या
कितनों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है
कितनों को प्रवीणता प्राप्त है
कितनों को प्रशिक्षित किया जाना है

ख. कितने कार्यालय नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिए गए हैं, इनमें से कितने कार्यालयों को नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. साधनों की व्यवस्था :

क. मंत्रालय में कुल कितने टाइपराइटर हैं ?
इनमें देवनागरी के कितने हैं
कुल कितने टाइपिस्ट और आशुलिपिक हैं ?
इनमें कितने हिन्दी में प्रशिक्षित हैं ?

ख. कुल कितने कोड, मैनुअल आदि हैं ?
इनमें से कितनों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है ?
इनमें से कितने द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जा चुके हैं ?

ग. कितने प्रकार के फार्म उपयोग में आ रहे हैं
इनमें से कितने द्विभाषी हैं

3. धारा 3(3) के अनुपालन की स्थिति :

क. संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ आदि कितनी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी की गईं। ?

ख. कितनी सिर्फ अंग्रेजी में जारी की गईं, और

ग. कितनी केवल हिन्दी में जारी की गईं ?

4. हिन्दी के प्रयोने की स्थिति:

क. हिन्दी भाषी राज्यों तथा उनमें स्थित व्यक्तियों आदि को कितने पत्र मूल रूप में हिन्दी में भेजे गए ?
कितने अंग्रेजी में भेजे गए ?

ख. हिन्दी में कितने पत्र प्राप्त हुए ?
इनमें से कितनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया ?
कितनों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया ?

ग. कितने कर्मचारी हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग करते हैं ?

(1) 25 प्रतिशत से अधिक काम हिन्दी में करने वालों की संख्या ?

(2) 25 प्रतिशत से कम काम हिन्दी में करने वालों की संख्या ?

5. विविध

क. कितने कार्यालयों में कार्यान्वियन समितियाँ हैं ?
उनकी बैठकों की क्या स्थिति है ?

ख. कर्मचारियों को कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। ?

संख्या 20034/13/79-पत्रिका एकक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूसरे मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के लिए समुचित स्टाफ उपलब्ध कराना और उन्हें समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के स्टाफ के समान वेतनमान आदि देना।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 16 फरवरी, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11034/7/77-अ०वि०एकक (प्रतिलिपि संलग्न है) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने यहाँ से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ की स्थिति की जाँच करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के लिए उतना स्टाफ अवश्य रखा जाए जितना समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए रखा गया है और उनके वेतनमान आदि भी समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के स्टाफ के वेतनमान के बराबर किए जाएँ। यह भी अनुरोध किया गया था कि ऐसी ही व्यवस्था सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, आदि द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के लिए भी कराई जाए।

उपर्युक्त निदेश केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के आधार पर जारी किए गए थे और इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा उक्त समिति की सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाना है। इस विभाग की जानकारी के अनुसार अब भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय विभागों में जो अधिकारी तथा कर्मचारी काम करते हैं उनके तथा समकक्ष अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के वेतनमान, पदनाम, सेवा शर्तों आदि में भेदभाव है।

अनुरोध है कि इस विभाग के 16-2-78 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के संबंध में जो कार्रवाई की गई हो उसकी रिपोर्ट राजभाषा विभाग को संलग्न प्रपत्र में अधिक से अधिक 30-12-79 तक अवश्य भेज दी जाए। यदि किसी मंत्रालय/विभाग या उस के किसी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय से कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित नहीं की जा रही है तो भी 'शून्य' सूचना भेज दी जाए।

राज कृष्ण बंसल,
उप सचिव, भारत सरकार
फोन नं० 619521

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग (गृह मंत्रालय सहित)
2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उद्यमों आदि को अग्रिम प्रति।

प्रपत्र

प्रत्येक (हिन्दी और अंग्रेजी) पत्रिका का नाम, प्रकाशन की अवधि, पृष्ठ संख्या, प्रिंट आर्डर तथा उसके स्टाफ के पदनाम और वेतनमान आदि का विवरण

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम	31-1-78 की स्थिति		31-10-79 की स्थिति		क्या प्रकाशित की जा रही हिन्दी/प्रादेशिक भाषा की पत्रिका स्वतंत्र पत्रिका है अथवा किसी अंग्रेजी पत्रिका का हिन्दी/प्रादेशिक भाषा संस्करण है? यदि संबंधित पत्रिका स्वतंत्र पत्रिका है तो किसी समकक्ष अंग्रेजी (सरकारी) पत्रिका की तुलना में या अलग से उसका विवरण दें।	अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं की तुलना में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ के पदनाम, वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तों में भेदभाव दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
	अंग्रेजी संस्करण	हिन्दी* संस्करण	अंग्रेजी संस्करण	हिन्दी संस्करण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क) पत्रिका संबंधी विवरण :						
1. पत्रिका का नाम तथा पता						
2. प्रकाशन अवधि						
3. पृष्ठ संख्या						
4. प्रिंट आर्डर की संख्या						
5. अन्य विवरण						
(ख) स्टाफ संबंधी विवरण :—	पदनाम, संख्या एवं वेतनमान	पदनाम, संख्या एवं वेतनमान	पदनाम, संख्या एवं वेतनमान	पदनाम, संख्या एवं वेतनमान		
1. मुख्य संपादक						
2. संपादक						
3. सहायक संपादक						
4. उप-संपादक						
5. कलाकार						
6. प्रूफ रीडर						
@7. अन्य						
(क)						
(ख)						

टिप्पणी:—*यदि अन्य भारतीय भाषाओं में भी कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित होती है तो अंग्रेजी की तुलना में उसके आँकड़े भी इसी प्रकार अलग-अलग दिए जाएं।

@ सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक आदि।

16 फरवरी, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11034/34/7/77-अ० वि० एकक की प्रतिलिपि

विषय:—सूचना और प्रसारण तथा दूसरे मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं को समुचित स्टाफ उपलब्ध कराना और उन्हें समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के स्टाफ की तरह वेतनमान देना।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अंग्रेजी और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं। कुछ पत्रिकाएँ मंत्रालयों के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भी प्रकाशित की जाती हैं। ऐसी पत्रिकाएँ प्रायः 2 प्रकार की हैं—एक तो स्वतंत्र पत्रिकाएँ हैं जो एक ही भाषा अंग्रेजी या हिन्दी में निकलती हैं और दूसरी वे पत्रिकाएँ हैं जो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं में भी निकलती हैं। उदाहरण के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की "इंडियन ऐंड फारेन रिव्यू" स्वतंत्र अंग्रेजी पत्रिका है और "आजकल" तथा "बालभारती" हिन्दी की स्वतंत्र मासिक पत्रिकाएँ हैं। इसी प्रकार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की "योजना" और "कुरुक्षेत्र" ऐसी पत्रिकाएँ हैं जिसके संस्करण हिन्दी और अन्य भाषाओं में निकलते हैं; रक्षा मंत्रालय का साप्तहिकि "सैनिक समाचार" भी ऐसी पत्रिका है। यह देखने में आया है कि प्रायः हिन्दी और भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के संपादकों का पदनाम तथा वेतनमान अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकों के पदनाम और वेतनमान से नीचा है। इसी प्रकार भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के संपादकों को मिलने वाली सुविधाएँ भी अंग्रेजी के संपादकों की तुलना में बहुत कम हैं। कहीं-कहीं संपादक के नाम पर किसी अन्य अधिकारी का नाम दिया जाता है जो वास्तव में संपादन का कार्य नहीं करता।

इस मामले पर 12 और 13 दिसम्बर, 1977 को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में विचार किया गया और यह तय किया गया कि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के जो अधिकारी तथा कर्मचारी काम करते हैं, उनके तथा समान प्रकार का अंग्रेजी में काम करने वाले व्यक्तियों, के वेतनमान, पदनाम तथा अन्य सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस बारे में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने यहाँ से प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ की स्थिति की जाँच करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के लिए उतना स्टाफ अवश्य रखा जाए जितना समकक्ष अंग्रेजी की पत्रिका के लिए रखा गया है और उनका वेतन भी समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के स्टाफ के वेतनमान के बराबर किया जाए। यह भी अनुरोध है कि ऐसी ही व्यवस्था सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि की तरफ से प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के लिए भी कराई जाए।

इस संबंध में जो कार्रवाई की जाए उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही राजभाषा विभाग को भेज दी जाए ताकि उसे केन्द्रीय हिन्दी समिति के सामने प्रस्तुत किया जा सके।

पत्रिकाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण देने के लिए 2 प्रपत्र अलग से संलग्न* हैं। कृपया इन्हें पूरी तरह भर कर 25-2-78 तक राजभाषा विभाग में भेज दिया जाए। यदि किसी मंत्रालय/विभाग या उसके किसी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय से कोई पत्रिका प्रकाशित नहीं की जा रही है तो भी "शून्य" सूचना भेजी जाए।

विष्णु स्वरूप सक्सेना
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग।
2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

---

*टिप्पणी: प्रपत्र इस बार नहीं दिए जा रहे हैं।

□□□□

संसदीय राजभाषा समिति : एक परिचय

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में यह व्यवस्था की गई थी कि 26 जनवरी, 1965 को संघ की राजभाषा हिंदी हो जाने के 10 वर्ष पश्चात् अर्थात् 26 जनवरी, 1975 के बाद लोकसभा के 20 और राज्य सभा के 10 चुने हुए सदस्यों को सम्मिलित करके एक संसदीय राजभाषा समिति बनाई जाएगी। इस समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करके अपनी सिफारिशों सहित राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

तदनुसार सन् 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। सन् 1977 में 5वीं लोकसभा भंग हो जाने पर समिति में लोकसभा से भरे गए 20 स्थान रिक्त हो गए जिनकी पूर्ति छठीं लोकसभा के सदस्यों द्वारा की गई। तदोपरांत सन् 1979 में छठीं लोकसभा के भंग हो जाने पर समिति में लोकसभा से भरे गए स्थान पुनः रिक्त हो गए ।

समिति अब तक केन्द्रीय सरकार के लगभग 1239 कार्यालयों में, जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान भी सम्मिलित हैं, हिंदी के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण कर चुकी है। इस प्रयोजन के लिए समिति को तीन उप-समितियों में बाँटा गया है। सातवीं लोकसभा के गठन हो जाने के फलस्वरूप अब समिति में लोकसभा से भरे जाने वाले 20 स्थानों की पूर्ति भी शीघ्र हो जाने की आशा है।

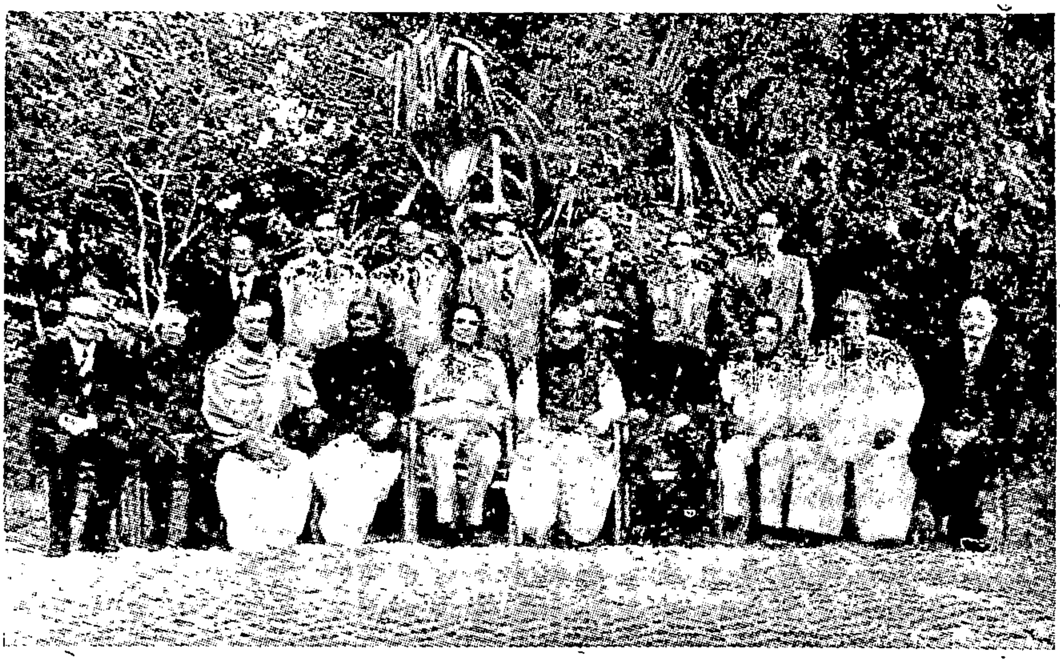

चित्र में समिति के सदस्य तथा अधिकारी दिखाई दे रहे हैं :

प्रथम पंक्ति (बाँए से दाएँ): श्री कृपा नारायण, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, श्री योगेंद शर्मा (सदस्य), डा० लोकेशचन्द्र (सदस्य), श्री शिवचन्द्र झा (सदस्य), श्री ओम मेहता (सदस्य एवं उपाध्यक्ष), श्री भीष्म नारायण सिंह (सदस्य एवं केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री), श्री गुरुदेव गुप्त, (सदस्य), श्री बी० वेन्का (सदस्य), श्री गणपत हीरालाल भगत (सदस्य), और श्री मुनीश गुप्त, समिति के सचिव एवं संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग।

दूसरी पंक्ति (बाएँ से दाएँ) : समिति सचिवालय के अधिकारीगण सर्वश्री नूर नबी अब्बासी, राजेन्द्र कुमार गुप्त, कृष्ण कुमार ग्रोवर, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, भीष्मराज तलवाड़, ब्रह्म दत्त चड्ढा तथा राजरूप राय।

समाचार :

राँची में आयोजित राजभाषा सम्मेलन और उसकी उपलब्धियाँ :

बिहार राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों और कंपनियों आदि के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा कार्यान्वियन में आने वाली कठिनाइयों एवं बाधाओं पर विचार करने के लिये हिंदी परिषद भारी अभियंत्रण निगम, रांची के तत्वाधान में तारीख 27 और 28 अक्तूबर, 1979 को एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन का उद्घाटन डा० फादर कामिल बुल्के ने किया। प्रथम गोष्ठी में सरकारी उपक्रमों से संबंधित राजभाषा संबंधी अधिनियम/नियम/आदेशों की कानूनी व्यवस्था पर विचार किया गया। इसकी अध्यक्षता डा० बद्री दास, निदेशक राजभाषा विभाग, बिहार सरकार ने की। दूसरी गोष्ठी में सरकारी उपक्रमों में राजभाषा नीति के कार्यान्वियन पर विचार किया गया और इसकी अध्यक्षता श्री सुधाकर द्विवेदी, आयकर आयुक्त, पटना ने की।

28 अक्तूबर को तीसरी गोष्ठी में सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में नियुक्ति तथा विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा ज्ञान की अनिवार्यता पर विचार किया गया। चौथी गोष्ठी में सरकारी उद्यमों में हिंदी/हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण तथा कर्मचारियों के लिए कार्यशाला की व्यवस्था आदि पर विचार किया गया। इन गोष्ठियों की अध्यक्षता राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, श्री हरबंश लाल सपड़ा ने की। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्य तथा महत्व के संबंध में जानकारी दी तथा यह बताया कि नोटिंग, ड्राफ्टिग में किस प्रकार सरल और सुबोध हिंदी का प्रयोग किया जाए।

पाँचवीं गोष्ठी में यांत्रिक साधनों आदि पर विचार किया गया। इसकी अध्यक्षता श्री राम दयाल पाण्डेय, अध्यक्ष, हिंदी प्रगति समिति ने की। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने देवनागरी टाइपराइटरों, पतालेखी मशीनों, पिन प्वाइंट टाइपराइटरों, टेलीप्रिंटरों और कम्प्यूटरों आदि की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि "टैलेक्स" आदि अन्य यंत्रों में हिंदी के प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा पहल की जाए तथा इस बात पर ध्यान दिया जाए कि देवनागरी टाइपराइटरों के टाइप फेस अधिक सुन्दर और आकर्षक बनाए जाएँ।

सम्मेलन में बिहार स्थित उपक्रमों तथा राँची स्थित केन्द्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी लोग इस बारे में एकमत थे कि राजभाषा विभाग के अधिकारी कभी-कभी निगमों/कंपनियों में हिंदी के प्रयोग का अध्ययन करें तथा उनका मार्गदर्शन करें। प्रतिनिधियों ने यह भी राय व्यक्त की कि हिंदी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में हिंदीकरण का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए तथा हिंदी का ज्ञान निश्चित अवधि के अन्दर प्राप्त कर लिया जाए।

इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि दिल्ली स्थित भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा पत्र हिंदी में नहीं भेजे जाते। यदि दिल्ली से हिंदी में पत्र भेजे जाएँ तो अधीनस्थ कार्यालयों का मनोबल बढ़ेगा। एक शिकायत यह भी गई कि कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा जो सामान्य आदेश जारी किये जाते हैं उनकी भाषा सरल नहीं होती। राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी पत्र व्यावहार में बोल चाल की भाषा का प्रयोग करने के लिए मंत्रालयों/विभागों पर जोर डाला जाना चाहिए।

श्री अजीत चंद्र चटर्जी, अध्यक्ष भारी इंजीनियरी निगम, रांची द्वारा 78–79 के लिए सबसे अधिक हिंदी के प्रयोग करने से संबंधित शील्ड, श्री पुरुषोत्तम कुमार शर्मा, सचिव, मेकन (मेटालार्जिकल इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट्स (इं०) लिमिटेड) को दी गई। एक शील्ड अहिंदी भाषी कर्मचारी श्री सुखदेव कुंडू, उप महाप्रबंधक, हेवी मशीन बिल्डिंग, प्लांट को हिंदी में सबसे अधिक काम करने के लिए दी गई।

सम्मेलन में निम्नलिखित 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए :—

(1) राजभाषा संबंधी सभी नियमों, अधिनियमों, आदेशों और निदेशों को सभी उपक्रमों में तत्परता पूर्वक लागू किए जाए।

(2) सरकारी उपक्रमों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी अपनी नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर निर्धारित हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण कर लें।

(3) राजभाषा अधिनियम सरकारी कार्यालयों में जिस तरह लागू किए जाते हैं, उसी प्रकार सरकारी उपक्रमों में भी लागू किए जाएँ।

(4) 'क' प्रदेशों में स्थित केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के उपक्रमों से अनुरोध किया जाए कि वे आपस में तथा 'क' क्षेत्र के राज्य और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार हिंदी में ही करें।

(5) यह सम्मेलन विभिन्न उपक्रमों के अध्यक्षों से राजभाषा अधिनियम, आदेशों, निदेशों तथा उनकी बाध्यताओं को समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू करने का अनुरोध करता है।

(6) यह सम्मेलन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में देवनागरी टंकण मशीन का एक कारखाना खोलें।

यह सम्मेलन काफी सफल रहा क्योंकि इसे राँची स्थित सभी निगमों का आपसी सहयोग मिला और हिंदी परिषद के सदस्यों ने इसे सफल बनाने के लिए दिन रात अनथक परिश्रम किया। राजभाषा विभाग के भूतपूर्व संयुक्त सचिव, श्री सुधाकर द्विवेदी ने सभी गोष्ठियों के संचालन तथा राजभाषा नीति के स्पष्टीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

राँची स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति :

29 अक्तूबर, को रांची नगर राजभाषा कार्यविन्यन समिति की बैठक श्रीमती सरस्वती रामचंद्र राव, वरिष्ठ उप महाप्रन्धक की अध्यक्षता में हुई जिसमें नगर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की स्थिति पर विचार किया गया। स्थिति को देखने से पता चला कि क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में काफी अधिक काम हिंदी में किया जा रहा है। वे अगले महीने से पे बिल आदि भी हिंदी में बनाने जा रहे हैं।

मेकन निगम में हिंदीकरण की दिशा में काफी प्रयास हो रहा है। इसके कुछ अनुभागों में सभी रजिस्टर और फाइलों में नोटिंग, ड्राफ्टिंग, हिंदी में होने लगी है। निगम में काफी अधिकारी/इंजीनियर्स हिंदी नहीं जानते हैं। वह चाहते हैं कि राजभाषा विभाग किसी अच्छे अध्यापक को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजकर उनकी सहायता करे। इस निगम के प्रयासों को देखते हुए ऐसी आशा की जा सकती है कि अन्य निगम और कंपनियाँ भी अपने प्रशासनिक कामों में हिंदी का काफी प्रयोग कर सकती हैं।

ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत करने के लिये उन्हें फाइलों पर छोटी छोटी टिप्पणियां और प्रारूप हिंदी में लिखने तथा कुछ चेक प्वांइट्स बनाने के सुझाव दिए गए। भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के जन संपर्क विभाग तथा हिंदी अनुभाग में हिंदी में काम हो रहा है, लेकिन निगम के प्रशासनिक काम में हिंदी का प्रयोग शुरू नहीं किया गया है। सभी सामान्य आदेश आदि अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं। निगम में 60 देवनागरी के टाइप राइटर मँगाए गए हैं और 120 कर्मचारी हिंदी टाइपिंग जानते हैं, लेकिन अभी उनका पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इसी प्रकार बिहार राज्य से एक प्रशिक्षक को भी एक वर्ष से प्रतिनियुक्ति के आधार पर बुलाया गया है, लेकिन हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की दिशा में उनकी सेवाओं का विशेष लाभ नहीं उठाया गया है जिन तीन अधिकारियों को हिंदी अनुवाद का प्रशिक्षण दिया गया है, उनका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन समस्याओं पर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काफी विचार विमर्श किया गया और उन्होंने इन समस्याओं का शीघ्र हल ढूँढ़ने का आश्वासन दिया।

अन्य कार्यालयों में हिंदी में थोड़ा-बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन नोटिंग और ड्राफ्टिंग मूल रूप से हिंदी में करने की शुरुआत नहीं की गई है जबकि पियन बुक, डायरी, डिस्पैच रजिस्टर, टेलीफोन, ट्रंक काल रजिस्टर, सरकारी तारों के आने और जाने के रजिस्टर, आदि सभी पूर्णतया हिंदी में रखे जा सकते हैं। सामान्य आदेश आदि द्विभाषी रूप में जारी करने के संबंध में चेक प्वाइंट्स बनाने तथा उन्हें प्रभावी बनाने की जरूरत है।

पत्र सूचना कार्यालय, श्रीनगर में राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक :

15 अक्तूबर, 1979 को पत्र सूचना कार्यालय, श्रीनगर के कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें 26 जुलाई, 1979 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हिंदी प्रयोग की प्रगति एवं उसके कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का पुनरीक्षण किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है :—

1. यह बताया गया कि इस कार्यालय को हिंदी टाइपराइटर प्राप्त हो चुका है और प्रतिदिन काम में आने वाले अंग्रेजी के प्रपत्रों का अनुवाद कराया जा रहा है।

2. यह निर्णय किया गया कि इस कार्यालय द्वारा मनोनीत कर्मचारियों को हिंदी कक्षाओं में नियमित रूप से भेजा जाए।

3. इस कार्यालय को गत तिमाही (जुलाई-सितंबर, 1979) में 29 पत्र, अधिनियम आदि हिंदी में प्राप्त हुए। चूँकि अधिकतर पत्रों का जवाब दिया जाना आवश्यक नहीं था, इसलिये इसमें से कुछ पत्रों का जबाब अंग्रेजी में दिया गया क्योंकि अभी

इस कार्यालय के प्रशासनिक अनुभाग में प्रथम श्रेणी का एक ही क्लर्क है जिसे अभी हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाना है। द्वितीय श्रेणी के लिपिकों के 2 पद रिक्त हैं।

4. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय में जुलाई--सितंबर, 1979 की तिमाही में कुल 31 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए जिनमें से 17 का जवाब हिंदी में तथा 5 का जबाबा अंग्रेजी में भेजा गया। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली को कुछ क्षेत्रीय प्रचार रिपोर्ट हिंदी में भेजने की शुरुआत की गई है। हिंदी में टिप्पणियाँ और मसौदे तैयार करने में भी कुछ प्रगति हुई है।

अंत में यह निर्णय किया गया कि चूँकि पत्र सूचना कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय डी०एफ०टी० को हिंदी टाइपराइटर उपलब्ध हो गए हैं, इसलिये उनका उपयोग करने के लिए हिंदी जानने वाले लिपिकों और आशुलिपिकों को हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण शिघ्र दिया जाए। उप प्रधान सूचना अधिकारी ने क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी से कहा कि उन्हें जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय कार्यालय और उसके अधीनस्थ 15 शाखा कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए।

बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना, सुरंगानी (हिमाचल प्रदेश) में गहन कार्यशालाओं का कार्यक्रम :

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के अनुरोध पर बैरा स्यूल परियोजना, सुरंगानी (हिमाचल प्रदेश) के कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी आदेशों की जानकारी देने तथा हिंदी कार्यशालाएं चलाकर उन्हें हिंदी में काम करने का कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन 10-10-79 से 16-10-79 तक गृह मंत्रालय (राजभाषा) के अवर सचिव श्री हरबंस लाल सपड़ा तथा कारपोरेशन के हिंदी अधिकारी डा० जगदीश प्रसाद गुप्त, ऊर्जा मंत्रालय के हिंदी अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र जैन--तीनों ने सम्मिलित रूप से किया।

यह कार्यक्रम परियोजना के सुरंगानी स्थित मुख्यालय में ही आयोजित करने का कार्यक्रम था। परियोजना के महाप्रबंधक श्री अजीत सिंह चतरथ ने स्वयं इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मिलित बैठक में सुरंगानी स्थित अधिकांश अधिकारियों और लगभग 200 कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री चतरथ ने इच्छा व्यक्त की कि ऐसी कार्यशालाएं सुरंगानी मुख्यालय में तथा तीसा, बनीखेत और पठान कोट केन्द्रों पर भी आयोजित की जाएँ ताकि सभी जगहों पर हिंदी में अधिक से अधिक काम हो सके। इस थोड़े से समय में जो कार्यशालाएं चलाई गई उनका विवरण नीचे दिया गया है :--

स्थान	भाग लेने वालों की संख्या	आयोजित कक्षाओं की संख्या और तिथियाँ
मुख्यालय, सुरंगानी	27	पाँच (10 और 11 अक्टूबर)
तीसा केन्द्र	23	छ: (12 और 13 अक्टूबर)
परेषण निर्माण-यूनिट बनीखेत	12	छ: (14 और 15 अक्टूबर)
संचार एवं भंडार प्रभाग, पठानकोट	28	तीन (16 अक्टूबर)
लाभान्वित व्यक्ति	90	कुल कक्षाएँ 20

प्रत्येक स्थान पर कार्यशाला का उद्घाटन वहाँ पर नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी ने किया जैसे सुरंगानी में वहाँ के महाप्रबंधक श्री चतरथ ने तीसा में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्री सुब्रमणियम् तथा पठानकोट में कार्यपालक इंजीनियर, श्री महाजन ने। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने भारत सरकार की राजभाषा नीति की व्याख्या की तथा यह समझाया कि सरकारी कामकाज हिन्दी में कैसे किया जाए और किस प्रकार की हिंदी लिखी जाए। अवर श्रेणी लिपिक से लेकर सुपरिटेंडेन्ट इंजीनियर तक की श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों ने इन कार्यशालओं में भाग लिया। कारपोरेशन अन्य परियोजनाओं में भी इसी प्रकार की कार्यशालाएँ चलाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ का रजत जयंती समारोह :

हिंदी व्यवहार संगठन, लखनऊ के महासचिव श्री मुकुल चंद पांडेय के प्रयासों के फलस्वरूप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन स्वायत्तशासी संस्था राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के रजत जयंती समारोह के अवसर पर पहली बार सारे कार्यक्रम द्विभाषिक रूप में संपन्न हुए।

मुख्य अतिथि के रूप में भाषण करते हुए तथा समारोह की अध्यक्षता करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सचिव प्रो० एम०जी०के० मेनन ने राजभाषा हिन्दी की उपयोगिता तथा वनस्पति के क्षेत्र में इसकी उपादेयता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों का आवाहन किया कि वे हिंदी में अधिक से अधिक काम करके राजभाषा हिंदी को उचित सम्मान दें।

संस्थान के निदेशक डा० त्रिलोकी नाथ ने भी अपना व्याख्यान हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से देते हुए सभी अतिथियों तथा वैज्ञानिकों से हिंदी में काम करने की अपील की उक्त अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में भी हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिया गया। डा० एस० एल० कपूर तथा वैज्ञानिक (हिंदी) श्री टंडन का इसमें विशेष योगदान रहा।

कार्यालय, कमांडमेंट 12 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, गुवाहाटी :

कमांडमेंट 12 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गुवाहाटी के कार्यालय में राजभाषा हिंदी की कार्यान्वियन समिति की बैठक दिनांक 15-9-79 को सहायक कमांडमेंट श्री के०एस० यादव की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों का ध्यान पिछली तिमाही में किए गए निर्णयों की ओर आकृष्ट किया तथा पिछली तिमाही से अब तक की गई प्रगति के बारे में विस्तार से बतलाया। साथ ही अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिये प्रोत्साहित किया तथा निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया :—

1. हमारे कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-छ-1/79-12 दिनांक 4-4-79 के अनुसार महीने में जो हिंदी आलेखन प्रतियोगिता हुई उसमें चार कर्मचारियों को हिंदी में अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। उक्त प्रतियोगिता फिर दिसंबर में आयोजित की जायगी। उसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों को भाग लेने के लिए उत्साहित करें।

2. हमारे कार्यालय आदेश सं० एच-छ-1/79–12 दिनांक 29-5-79 के अनुसार जो जाँच बिंदु बना कर सभी कंपनियों को भेजे गए थे उनमें दिए गए निदेशों का पूरी तरह पालनकरें, ताकि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में उक्त जाँच बिन्दु सहायक हो सकें। वैसे तो हमारे कार्यालय में सभी लिपिक वर्ग अहिंदी भाषी राज्यों के हैं, फिर भी हिंन्दी के प्रयोग को कार्यालयों में बढ़ावा देने के लिये भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है।

3. हिन्दी के 'कंधे' नम्बर हमारी बटालियन को प्राप्त हो चुके हैं। इस विषय पर औपचारिक कार्यवाई पूरी हो जाने के बाद उनको वितरित कर दिया जाएगा और नामपट्ट भी शीघ्र प्राप्त हो जाएँगे।

4. पिछली तिमाही में कुछ आवश्यक मोहरों को द्विभाषी बनाने को कहा गया था इसके लिए शीघ्र उचित कार्रवाई की जा रही है।

5. अक्सर देखने में आया है कि समय-समय पर जो आदेश दिए जाते हैं उनका उचित पालन नहीं किया जाता है। हिन्दी के प्रयोग से संबन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर नहीं आती है। भविष्य में सभी पुलिस उप अधीक्षक इस बात का उचित ध्यान रखेंगे।

6. सभी कम्पनियाँ अपने कार्यालय में साल भर में किए गए हिन्दी कार्य का विवरण हमारे कार्यालय को 25 दिसम्बर, 1979 तक प्रस्तुत करें।

नासिक में हिंदी दिवस :

श्री एस० पी० सिंह के प्रयास से केन्द्रीय विद्यालय, नासिक रोड में गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिन्दी दिवस अत्यन्त उल्लास एवं समारोहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय को हिन्दी से संबन्धित महापुरुषों की उक्तियों तथा हिन्दी संबन्धी अन्य चार्टों आदि से सजाया गया था। स्थान स्थान पर हिन्दी से संबन्धित उक्तियाँ, साहित्यकारों के परिचय, रचनाएँ, पुस्तकें एवं हिन्दी से संबन्धित देश-विदेश की गतिविधियों की जानकारी अत्यन्त सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई थी।

इस समारोह के विशेष अतिथि थे श्री आर० एम० तिवारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष थे श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, उप संपादक, 'राजभाषा भारती' गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली। आयोजन का प्रारम्भ सरस्वती बन्दना एवं कत्थक नृत्य से हुआ। तत्पश्चात् प्राचार्य श्री एम०डी० चौधरी ने अपने मान्य अतिथि एवं अध्यक्ष का परिचय एवं उनकी साहित्यिक सेवाओं की जानकारी दी तथा उनका आभार ज्ञापन किया। कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों ने वीर रस एवं हास्यरस की कविताओं का पाठ प्रस्तुत किया। कुछ छात्र-छात्राओं ने लघु नाटिका एवं सुन्दर सामूहिक नृत्य भी प्रस्तुत किए।

प्रमुख अतिथि श्री तिवारी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि केन्द्रीय विद्यालय में हिन्दी के प्रति यह अभूतपूर्व उत्साह देखकर मैं अभिभूत हो गया हूँ और हिन्दी के उज्जवल भविष्य के प्रति मेरी निष्ठा में और दृढ़ता आई है। लगता है कि देश राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद मानसिक दासता से भी मुक्त होने के लिए करवट बदल रहा है।

अध्यक्ष श्री द्विवेदी ने अपने भाषण में इस आयोजन के लिए प्राचार्य, छात्र, अध्यापक एवं आयोजकों को धन्यवाद दिया तथा आशा व्यक्त की कि आप अपने दैनिक व्यवहार में भी हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। हमें विश्व की हर भाषा को आदर की दृष्टि से देखना है किन्तु स्वभाषा के गौरव की कीमत पर नहीं।

अहिंदी भाषी रेल कर्मचारियों को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराने की दृष्टि से दौरे का आयोजन :

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में रेल मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत अहिन्दी

भाषी क्षेत्रों में स्थित दक्षिण मध्य, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, पैरम्बूर कोच फैक्टरी तथा चितरंजन लोको वर्कशाप के हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 25 रेल कर्मचारियों के एक दल ने हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से 6-11-79 को पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेलवे प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ का भ्रमण किया। मंडल कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में हिन्दी में किए जा रहे कार्यों से दल के सदस्य बहुत प्रभावित हुए और हिन्दी की प्रगति की सराहना की। निरीक्षण से पूर्व दल के सदस्यों का स्वागत करते हुए मंडल रेलवे प्रबन्धक, श्री एल० एम० भास्कर ने कहा कि आप लोग अपने भ्रमण से प्रेरणा प्राप्त कर अपना कार्य हिन्दी में करें। मंडल राजभाषा अधिकारी, श्री तेज बहादुर सिंह ने सलाह दी कि वापस अपने अपने मुख्यालय में पहुँचने पर हिन्दी में कार्य कर विशिष्टता प्राप्त करें।

महालेखाकार का कार्यालय, केरल, तिरुअनन्तपुरम में हिंदी दिवस

21 जुलाई, 1979 को इस कार्यालय में हिन्दी दिवस बनाया गया। इस संबन्ध में आयोजित एक साधयरण समारोह में इस कार्यालय के दो कर्मचारियों श्री एम० तंपी जोसफ, प्रवर श्रेणी लेखापरीक्षक और श्री एम० बालकृष्णन नायर, लेखा-परीक्षक को हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा पास होने पर वैयक्तिक वेतन दिए जाने के आदेश श्री डी०एस० अय्यर, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) द्वारा वितरित किए गए।

श्री जे०वी० कामत, लेखा अधिकारी ने आशा प्रकट की कि इस समारोह द्वारा हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी सीखने में नया प्रोत्साहन मिलेगा। अपने अध्यक्षीय भाषण में वरिष्ठ उपमहालेखाकार ने इन कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी का अपना ज्ञान निरन्तर अध्ययन के जरिए जारी रखें और कार्यालय के अपने काम में हिन्दी का प्रयोग करें। उन्होंने दूसरे हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों से अपील की कि वे उपर्युक्त कर्मचारियों का उदाहरण अपना लें।

भारत मौसम विज्ञान विभाग में 'हिंदी दिवस' के उपलक्ष्य में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन :

भारत मौसम विज्ञान विभाग में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13-9-79 को 'हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता' और दिनांक 15-9-79 को हिन्दी में टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिनांक 14-9-79 को मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (प्रशासन तथा सामग्री) की अध्यक्षता में हिन्दी वाद-विवाद एवं कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के मुख्यालय तथा दिल्ली स्थित कार्यालयों के राजपत्रित कर्मचारियों तक ने भाग लिया। ये सभी प्रतियोगिताएं राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा आयोजित की गई थीं। इस अवसर पर श्रोताओं के समक्ष हिन्दी दिवस मनाने के कारण तथा महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, (नासिक रोड) में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :

राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री राजमणि तिवारी, तथा राजभाषा भारती' के उपसंपादक श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी की उपस्थिति में इंडिया सिक्योरिटी प्रैस, के जनरल मैनेजर की अध्यक्षता में दिनांक 14 सितम्बर, 1979 को नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक हुई।

सर्व प्रथम इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड के मुख्य लेखा और प्रशासन अधिकारी श्री घनश्याम तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया और राजभाषा सम्बन्धी सामान्य समस्याओं पर प्रकाश डाला। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री सरनायक ने कहा कि राजभाषा में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वर्तमान प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है। राजभाषा विभाग को हिन्दी सम्बन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कर्मचारियों की राजभाषा में रूचि बढ़े।

हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापक श्री सी०डी० सिंह ने कहा कि भावनात्मक दृष्टि से किसी भी देश के लिए राजभाषा और संपर्क भाषा बहुत ही आवश्यक है। यह कार्य पहले संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी ने किया है। हिन्दी अपने गुणों के कारण राजभाषा और संपर्क भाषा बन चुकी है। भारत की सभी भाषाओं को अपना अपना स्थान लेना चाहिए। स्थानीय भाषाओं की प्रगति में हिन्दी की प्रगति और हिन्दी की प्रगति में स्थानीय भाषाओं की प्रगति है।

इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के नियंत्रण अधिकारी श्री वी० गो० साने ने कहा कि त्रिभाषी सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी भाषियों को दक्षिण की एक भाषा सीखनी थी, किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रकार राजभाषा कार्यान्वियन में पड़ने वाली बाधा के लिए हिन्दी भाषी भी उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। जब वे प्रशिक्षित होकर आते हैं, तो वे उस संबन्ध में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का राजभाषा में एक महीने का या दो महीने का विभागीय प्रशिक्षण भी होना चाहिए। यदि वे प्रशिक्षित होकर आएँगे तो राजभाषा के कार्यान्वियन के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। उनका कहना था कि जो कार्यालय ज्ञापन कर्मचारियों के अधिक फायदे के होते हैं, जैसे सी०डी० एस० भुगतान आदि, उनका हिन्दी ज्ञापन पहले भेज दिया जाए तो अफसर या स्टाफ के लोग उसे पढ़ने का जरूर कष्ट करेंगे। अंग्रेजी प्रतियाँ रहने से अभ्यासवश कर्मचारी

अंग्रेजी पढ़ते हैं और हिन्दी की कोई चिन्ता नहीं करते। इसलिए प्रयोग के तौर पर हिन्दी प्रति के बाद अंग्रेजी प्रति भेजी जाए।

बैठक के अध्यक्ष श्री मुखर्जी ने अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि सरकार ने प्रशिक्षण पर जितना जोर दिया है उतना कार्यान्वियन पर नहीं। उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के सर्व कार्यभारी अधिकारी के रूप में यह कहा कि नासिक में करीब-करीब प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हर स्थान पर होगी। अब हिन्दी शिक्षण योजना को राजभाषा कार्यान्वियन संबन्धी काम भी करना चाहिए। प्रशिक्षण में सफलता इसलिए मिली है कि राजभाषा विभाग की ओर से प्रशिक्षण के लिए योग्य हिन्दी प्राध्यापक रखे गए। उसी तरह प्रत्येक कार्यालय में यदि योग्य हिन्दी अनुवादक, राजभाषा अधिकारी आदि भी राजभाषा विभाग के होंगे तो कार्य में जरूर शीघ्रता आएगी। एक हमारा ही स्वतंत्र देश है जो विदेशी भाषा में काम करता है। रूस में हमने देखा कि यद्यपि भारत वर्ष की तरह वहाँ बहुत सी भाषाएँ है फिर भी केन्द्रीय सरकार का काम रूसी भाषा में होता है।

श्री राजमणि तिवारी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला और कहा जैसा कि नियंत्रण अधिकारी श्री साने ने कहा है, 'अधिकारियों का राजभाषा में गहन प्रशिक्षण होना चाहिए', उसकी व्यवस्था हो चुकी है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी में भारतीय सेवा के अधिकारियों को हिन्दी का सामान्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, के दिल्ली कैम्पस में अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए हिन्दी कार्यशालाओं की भी व्यवस्था की गई है। उसका ब्यौरा यहाँ के हिन्दी प्राध्यापक से मिल सकता है। श्री मुखर्जी का यह विचार उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि हिन्दी शिक्षण योजना कार्यान्वियन का भी काम हाथ में ले।

इंडिया प्रिंटिंग प्रेस, गांधी नगर के हिन्दी अधिकारी श्री हरिदत्त शर्मा ने बताया कि चूँकि औद्योगिक संस्थानों के लिए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य नहीं है इससे हम लोगों को राजभाषा कार्यान्वियन में बाधा पड़ रही है। यही बात अन्य औद्योगिक संस्थानों पर भी लागू होती है। अतः उनके लिए भी हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए और उन्हें भी सभी प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वियन समिति की 16वीं बैठक :

निगम के केन्द्रीय कार्यालय में 27-9-79 को विशेष अधिकारी (तकनीकी) श्री के०एच० चौरे की अध्यक्षता में हुई राजभाषा कार्यान्वियन समिति की 16वीं बैठक का विवरण इस प्रकार है:—

1. हिंदी समन्वय सेवा में संलग्न कर्मचारियों का प्रोत्साहन : हिन्दी अधिकारी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि केन्द्रीय कार्यालय के प्रत्येक विभाग में हिन्दी समन्वय सेवा के लिए योग्य एवं निपुणता प्राप्त व्यक्तियों के 25 नामों की एक सूची तैयार करवा कर कार्मिक विभाग को अधिसूचित करने हेतु काफी समय पूर्व भेजी गई थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि हिन्दी समन्वय सेवा में संलग्न कर्मचारियों को कार्मिक विभाग द्वारा शीघ्र नोटिफाई कर दिया जाए। श्री ओ० पी० गुप्ता, सहायक कार्मिक अधिकारी ने आश्वासन दिया कि कार्मिक विभाग द्वारा इस संदर्भ में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विचार-विमर्श के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि हिन्दी समन्वय सेवा से संबन्धित कर्मचारियों को विशेष वेतन देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने विभाग के हिन्दी कार्य में अधिक रुचि लें। जहाँ तक विशेष वेतन की मात्रा का प्रश्न है इस संबन्ध में उन्होंने आश्वासन दिया कि अंतिम निर्णय प्रबन्ध द्वारा शीघ्र ले लिया जाएगा क्योंकि जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो जाती हिन्दी के काम को सुचारू ढंग से चलाया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था स्वयं निगम के लिए भी हितकारी होगी।

2. **हिंदी संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन :** मुख्य जनसंपर्क प्रबन्ध श्री आर०एस० माथुर ने सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हिन्दी प्रतियोगिता योजना को कुछ परिवर्तनों के साथ निगम में लागू करने के संबन्ध में वित्त विभाग ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है और कार्मिक विभाग द्वारा हिन्दी प्रतियोगिता योजना को निगम में लागू करने के लिए एक प्रस्ताव, निदेशक मंडल की स्वीकृति हेतु शीघ्र प्रस्तुत किया जाना है।

3. **प्राज्ञ, प्रबोध एवं प्रवीण इत्यादि कक्षाओं के लिए शुल्क का भुगतान :** इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि प्राज्ञ, प्रबोध एवं प्रवीण इत्यादि कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसे संबन्धित कर्मचारी के बजाए निगम को ही बर्दाश्त करना होगा। परन्तु जहाँ तक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने संबन्धी वित्तीय भार वहन करने का प्रश्न है इस पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा, अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि यदि राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी आशुलिपि/हिंदी टाइपिंग के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र नेहरू प्लेस में ही खोल दिया जाए जिसके द्वारा न केवल इस निगम के कर्मचारी ही अपितु नेहरू प्लेस स्थित अन्य निगमों के कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकेंगे।

4. परिवहन प्रभार का भुगतान : इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबन्धित कर्मचारियों को जिस प्रकार से प्रशिक्षण पाने के लिए परिवहन प्रभार का भुगतान किया जाता है निगम द्वारा भी भुगतान उसी आधार पर किया जाना चाहिए । श्री अग्रवाल, लेखा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि परिवहन प्रभार का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा ।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में हिंदी दिवस :

14 सितम्बर, 1979 को महालेखाकार श्री ति० नरसिंहन की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस समारोह, महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश प्रथम और द्वितीय के कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से, मनाया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चन्द्रभान रावत प्रमुख अतिथि के रूप में निमंत्रित थे। श्री राजेश्वर प्रसाद, वरिष्ठ उप महालेखाकार (नि०वा०) ने निमंत्रितों का स्वागत किया और श्रोताओं को मुख्य अतिथि का परिचय दिया। कार्यालय की हिन्दी साहित्य समिति, मराठी संघ, बज्म-ए-उर्दू तथा रंजनी—तेलुगु साहित्य समिति के पदाधिकारियों ने प्रमुख अतिथि तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष को पुष्पमालाएँ पहनाई। इसके बाद श्री जे०एम० आर० माराक, उप महालेखाकार (प्रशा०) तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वियन समिति, महालेखाकार का कार्यालय (द्वितीय) ने हिन्दी दिवस का महत्व, राजभाषा संबन्धी संविधान के प्रावधान राष्ट्रपति के विभिन्न आदेश, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति का विवेचन प्रस्तुत किया। तदुपरान्त "हिन्दी-तेलुगु का तुलनात्मक अवलोकन" विषय पर प्रमुख अतिथि का अत्यन्त प्रभावी भाषण हुआ। उन्होंने देश की सांस्कृतिक, साहित्यिक व भावात्मक एकता में हिन्दी का जो योगदान है उस पर जोर दिया और देश भर में सदियों से चली आ रही भावात्मक एकात्मकता का जोरदार प्रतिपादन किया। उपर्युक्त एकात्मकता लाने के लिए शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि आचार्यों और कबीर, तुलसी, सूर, वेमन्ना, पोलना, आडांल, अन्नामाचार्य आदि भक्त कवियों के प्रति उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने भाषण के दौरान प्रो० रावत ने संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 15 भाषाओं में से राजभाषा का स्थान हिन्दी को ही क्यों मिला इसका विवेचन किया। संविधान समिति ने हिन्दी को परिवर्धित और विकसित करने के लिए कहा जिससे हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी अंगभूत तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिन्दी भाषा के विकास में न केवल संस्कृत और अन्य प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों को स्थान दिया जाए बल्कि यदि विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी को समृद्ध बनाते हों तो उन्हें भी अपनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि संस्कृतादि सभी भाषाओं को अपने आप में समाविष्ट करने की क्षमता रखने वाली हिन्दी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाएगी अर्थात् माता जिस तरह अपने बालकों में भेद नहीं करती वैसे ही हिन्दी भी अन्य भारतीय भाषाओं में भेद नहीं रखती। अतः आज के "हिन्दो दिवस" को "मातृ दिवस" कहना उचित होगा। इसके बाद महालेखाकार द्वारा उन कर्मचारियों को प्रमाण पत्र दिए गए जो हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ली गई परीक्षाओं में सफल रहे।

अपने अध्यक्षीय भाषण में महालेखाकार श्री ति० नरसिंहन ने विद्वान अतिथि के अत्यन्त सुरुचिपूर्ण और सरल हिन्दी में दिए गए भाषण की सराहना की और हिन्दी न समझने वालों की जानकारी के लिए उन्होंने प्रो० रावत के भाषण के महत्वपूर्ण अंशों को अंग्रेजी में दोहराया। समापन्न करते हुए उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैले इस देश में भाषा, व्यवहार आदि की विविधता तो है लेकिन इन सबकी संस्कृति एक ही है।

निरीक्षण निदेशालय में कार्यशाला का आयोजन :

निरीक्षण निदेशालय (आयकर), मयूर भवन, नई दिल्ली द्वारा 20 जुलाई, 1979 से 6 अगस्त, 1979 तक एक हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन 20 जुलाई, 1979 को पूर्वाह्न 11 बजे राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृपा नारायण द्वारा किया गया। इस अवसर पर सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, श्री वी० आर० बापट, सदस्य समझौता आयोग श्री एम० डी० वर्मा, निरीक्षण निदेशक (अनुसंधान) श्री एस० एन० शास्त्री (अब सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) निरीक्षण निदेशक (सतर्कता), श्री डी० एन० पाण्डेय तथा निदेशक (म० सां० और प्र०) श्री ए० सी० जैन, आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, श्री के० एन० बुटानी (अब सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड श्री टी० जैकब आदि अधिकारी उपस्थित थे। सर्व प्रथम निरीक्षण निदेशक (आयकर और लेखापरीक्षा) श्री जे० सी० लूथर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और बताया कि निरीक्षण निदेशालय (आयकर) का अधिकांश कार्य यद्यपि बहुत अधिक तकनीकी किस्म का है फिर भी काफी कार्य हिंदी में किया जा रहा है तथा कुछ रिपोर्टें और सहायक अपीलीय आयुक्तों आदि के कार्य की समीक्षा आदि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को हिंदी में भेजी जा रही है।

निदेशालय में हिंदी अधिकारी श्री जे० पी० शर्मा द्वारा कार्यशाला की आवश्यकता तथा निदेशालय में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जानकारी दी गई।

श्री कृपा नारायण ने कार्यशाला के आयोजन और निदेशालय में हिंदी के प्रयोग की सराहना की। उनका सुझाव था कि सरकारी कार्य में सरल हिंदी का प्रयोग ही उपयुक्त रहेगा परन्तु कुछ विशेष शब्दों के लिए कुछ निश्चित हिंदी रूपों को प्रयोग करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। धीरे-धीरे वे शब्द भी आम बोल-चाल की भाषा में समाहित हो जाएँगे।

निदेशालय में उप निदेशक तथा राजभाषा अधिकारी श्री जोगिन्द्र सिंह ने बताया कि हम निदेशालय में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सजग हैं तथा भविष्य में भी उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। कार्यशाला के संबंध में प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार योजना के संबंध में, नकद पुरस्कार वितरण 13-11-1979 को एक विशेष समारोह में निरीक्षण निदेशक (आयकर और लेखापरीक्षा) श्री जे० सी० लूथर द्वारा किया गया।

हिंदी टंकण परीक्षा प्रमाण पत्र वितरण तथा 'संकल्प' नामक अर्ध वार्षिक हिंदी पत्रिका का विमोचन समारोह :

नागपुर टेलीफोन जिले के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के सिलसिले में प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए तारीख 26-10-79 को एक समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जिला प्रबंधक टेलीफोन, श्री एम० व्ही० भास्करराव ने हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और प्रत्येक को 150-150 रुपए के एकमुश्त पुरस्कार तथा बारह महीने के लिए एक वेतन वृद्धि देने की घोषणा की।

इसी अवसर पर श्री एम० व्ही० भास्करराव, जिला प्रबंधक टेलीफोन ने नागपुर जिले की अर्ध वार्षिक हिंदी पत्रिका 'संकल्प' के प्रवेशांक का भी विमोचन किया। इस समारोह में भारी तादाद में नागपुर टेलीफोन जिले के कर्मचारी उपस्थित थे।

नागपुर टेलीफोन जिले की हिंदी पत्रिका 'संकल्प' के विमोचन समारोह के अवसर पर बोलते हुए जिला प्रबंधक टेलीफोन श्री एम० वी० भास्करराव

हिंदी प्रमाण पत्र वितरण समारोह :

13 नवंबर, 1979 को हुई केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शाखा की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृपानारायण का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सचिव महोदय ने इस मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कर्मचारियों को हिंदी की परीक्षा पास करने पर प्रमाणपत्र भी वितरित किए।

सर्वप्रथम सभा की अध्यक्षा श्रीमती सरला ग्रेवाल, अपर सचिव एवं आयुक्त (परिवार कल्याण) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डा० बी० शंकरन ने सचिव महोदय श्री कृपानारायण जी का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। तत्पश्चात् सभा के मंत्री ने सचिव महोदय का स्वागत करते

हुए श्री कृपानारायण जी की हिन्दी के प्रति की गई सेवाओं को बहुत सराहा और यह भी कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का संबंध ऐसे विषयों से है जिनकी सफलता जन-संपर्क से ही हो सकती है और यह कार्यक्रम अधिकाधिक हिंदी में ही होना संभव है। उसके बाद सभा की अध्यक्षा श्रीमती सरला ग्रेवाल ने सचिव महोदय का स्वागत करते हुए यह बताया कि इस मंत्रालय में हिन्दी का पहले से ही बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। बल्कि संसदीय समिति ने जो कुछ समय पहले यहाँ पर आई थी, उसने भी इस काम को बहुत सराहा है। उन्होंने आशा प्रकट की कि वर्तमान सचिव महोदय की देखरेख में हिंदी का काम बहुत आगे बढ़ेगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियो के बीच पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बोलते हुए संयुक्त सचिव श्रीमती सरला ग्रेवाल। बाईं ओर हैं मंत्रालय के सचिव तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री कृपानारायण

अंत में सचिव महोदय ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी काम में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए परन्तु साथ ही हमें अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाई को समझना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि अहिंदी भाषी अधिकारियों को इस कार्य में पहल करनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसका सभी लोग आसानी से प्रयोग कर सकें। उन्होंने तो इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तरी भारत के लोगों को भी दक्षिण भारत के लोगों की कम से कम एक भाषा को सीखना चाहिए। साथ ही उन्होंने परिषद के कार्यों को प्रोत्साहन देने का आश्वासन भी दिया।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :

संगठन के निदेशक श्री जी० सी० माथुर के कमरे में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं :—

(1) संगठन की लाइब्रेरी के लिए 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'धर्मयुग', 'सरिता', 'यूनिस्को दूत', के अलावा 'आविष्कार' 'विज्ञान प्रगति' जैसी अन्य पत्रिकाएँ खरीदी जाएँ।

(2) कार्यालय के कर्मचारियों में रुचि उत्पन्न करने की दृष्टि से भित्ति पत्रिका में हिंदी शीर्षक सहित अच्छे और उपयुक्त चित्र प्रदर्शित किए जाएँ ।

(3) हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी कमेंट्री वाले वृत्तचित्र दिखाए जाएँ ।

(4) फाइलों पर टिप्पणी तथा प्रारूप लिखाने में, हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए, हिंदी कक्ष के अधिकारियों को विभिन्न अनुभागों में जाकर कर्मचारियों की यदि कोई कठिनाइयाँ हों तो उन्हें दूर करनी चाहिए ।

(5) कार्यालय में कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्रत्येक अनुभाग को कम से कम एक शब्दकोष दिया जाए ।

(6) 30-9-79 को समाप्त तिमाही के दौरान 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों/व्यक्तियों को भेजे गए 29 तारों में से समय आदि की कमी के कारण कोई भी तार हिंदी में नहीं भेजा जा सका । समिति को यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में जहाँ तक संभव होगा 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को तार हिंदी में भेजे जाएँगे ।

(7) श्री रघुनंदन शर्मा ने सुझाव दिया कि बैठक की कार्यसूची में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा एक अनिवार्य मद के रूप में रखी जानी चाहिए, जिसे स्वीकार कर लिया गया ।

(8) बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि कार्यालय में उपयोग होने वाले सभी फार्म द्विभाषी बनाए जाएँ ।

(9) अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिन व्यक्तियों को चेक प्वाइंट सौंपे गए हैं उन्हें अपने चेक प्वाइंट में विशेष रुचि लेनी चाहिए ।

हिंदी सप्ताह का आयोजन :

कार्यालय, महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में दिनांक 14 सितंबर, से 20 सितंबर तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया । इस सप्ताह के दौरान टाइप प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, टिप्पणी प्रारूप लेखन प्रतियोगिता और सुन्दर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि सभी प्रतियोगिताओं में अहिंदी भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अत्यधिक उत्साह से भाग लिया । हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी समूहों के विजयी प्रतियोगियों के लिए अलग-अलग पुरस्कारों की व्यवस्था की गई थी । 19 सितंबर को 'कार्यालयों में हिंदी प्रयोग की कठिनाइयाँ और उनको दूर करने के उपाय' विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया । विचार गोष्ठी में अनेक वक्ताओं ने व्यावहारिक कठिनाइयों और उनको दूर करने के लिए अपनाए गए उपायों पर प्रकाश डाला । विचार गोष्ठी में अपने विचार प्रकट करते हुए श्री सी० जे० मलकानी, महालेखाकार प्रथम ने कहा कि सभी लोगों को अपना काम हिंदी में करना चाहिए तथा इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे हिन्दी में लिखने से अधिकारियों को परेशानी होगी । श्री विनय कुमार चतुर्वेदी, लेखा अधिकारी का विचार था कि अच्छे हस्तलेख में लिखने से अनेक कठिनाइयां स्वतः दूर हो जाएँगी । विचार गोष्ठी का संचालन श्री रमाशंकर प्रसाद, सहायक महालेखाकार ने किया । अंतिम दिन 20 सितंबर, को प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार डा० महेन्द्र भटनागर की अध्यक्षता एवं गीतकार श्री दामोदर शर्मा के सफल संचालन में एक विशाल कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें अनेक अतिथि कवियों के साथ महालेखाकार कार्यालय के कवियों ने अपना काव्य पाठ किया । हिंदी सप्ताह के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को श्री सी० जे० मलकानी, महालेखाकार (प्रथम) द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए ।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन :

हिंदुस्तान जिंक के हिंदी कोष्ठ की ओर से कंपनी स्तर पर आयोजित 'हिन्दी निबंध प्रतियोगिता' में 55 हिंदी भाषी एवं 17 अहिंदी भाषी कर्मचारियों ने भाग लिया । हिंदी भाषी वर्ग में पुरस्कार पाने वालों के नाम हैं : सर्व श्री हुंदराज—प्रथम, गिरधरलाल पुरोहित—द्वितीय, मिश्रीलाल जैन—तृतीय और दीनदयाल गुप्ता—चतुर्थ । इनके अतिरिक्त 13 कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार एवं 12 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देने के लिए चयन किया गया । अहिंदी भाषी वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार पाने वाले क्रमशः सर्वश्री दिलीप मुखर्जी, सुश्री शील छाबड़ा, बी० के० वाही और सरोज रंजन बक्षी हैं । इनके अतिरिक्त 7 कर्मचारी प्रोत्साहन पुरस्कार तथा 6 कर्मचारी प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे ।

दिल्ली दूर संचार, ट्रंक्स तथा विशेष सेवा मंडल, किदवई भवन, नई दिल्ली :

मंडल इंजीनियर फोन्स की अध्यक्षता में 29-10-79 को संपन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं :—

(1) सूचना पटों पर द्विभाषी रूप में लिखावट :

यह निर्णय किया गया कि सी० टी० ऐक्स० और आई० टी० ऐक्स० के सूचना पटों पर दोनों भाषाओं में सूचनाएँ लिखी जाएँ जैसा कि विशेष सेवा द्वारा किया जा रहा है ।

(2) रोजाना प्रयोग में आने वाले फार्मों का अनुवाद

यह निर्णय किया गया कि जिस प्रकार छुट्टी आदि के फार्म द्विभाषी बनाए गए हैं उसी प्रकार स्थानीय तौर पर इस्तेमाल होने वाले फार्मों आदि को भी हिंदी में साइक्लोस्टाइल करा लिया जाए। इस प्रयोजन के लिए फार्मों को हिंदी अनुभाग में भिजवाया जाए ताकि उनका हिंदी रूपांतर करके अनुभागों को भिजवाया जा सके।

(3) **मस्टर रोल :** यह निर्णय लिया गया कि मस्टर रोल को देवनागरी में भरा जाए।

(4) **फाइलों पर विषय हिंदी—अंग्रेजी दोनों में :** यद्यपि कुछ फाइलों पर ऐसा किया जा रहा है कि विषय दोनों भाषाओं में लिखे जा रहे हैं, फिर भी सभी फाइलों पर द्विभाषी विषय लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

(5) **सामान्य आदेश :** यह निर्णय लिया गया कि सहायक इंजीनियरों या मंडल इंजीनियर के हस्ताक्षरों से जो स्थानीय आदेश निकाले जाएँ वे अनिवार्य रूप से द्विभाषी हों। इसके लिए अनुवाद और टाइपिंग के संबंध में सहायता हिंदी अनुभाग से मिलेगी।

पटसन आयुक्त के कार्यालय (कलकत्ता) में द्वितीय वार्षिक समारोह:

राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सचिव ने कार्यालय के हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की अद्यतन स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस कार्यालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि समिति सरकार के राजभाषा कार्यान्वियन संबंधित निदेशों के अनुपालन हेतु सभी संभव एवं यथोचित कदम उठाने की दिशा में सदैव सतर्क है।

हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक गीता बनर्जी ने राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, कलकत्ता की ओर से उन सभी कर्मचारियों का स्वागत किया जिन्होंने उक्त योजना के अंतर्गत अपनी हिंदी परीक्षाओं में सराहनीय अंक प्राप्त किए एवं तदनुसार पुरस्कृत किए गए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण एवं सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग से संबंधित सरकारी नीतियों का स्पष्टीकरण किया तथा सलाह दी कि हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने अथवा दक्ष कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। तदुपरांत अधिकारियों को परामर्श देते हुए सहायक निदेशक ने कहा कि उन्हें अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भ्रम को दूर करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए फाइलों में छोटी-छोटी हिंदी टिप्पणियों एवं अभ्युक्तियों को लिखकर इस कार्य का श्रीगणेश करना चाहिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित सरकारी आदेशों के अनुपालन पर बल देते हुए कहा कि हिंदी प्रशिक्षण का समय कार्यालय का समय माना जाता है एवं उक्त प्रशिक्षण की अनुपस्थिति कार्यालय से अनुपस्थिति मानी जाती है। उन्होंने पुनः योजना की सफलता के लिए कर्मचारियों के सहयोग की सराहना की।

प्रमाण पत्र वितरण के पश्चात् सभापति महोदय ने कर्मचारियों को विभिन्न हिंदी प्रशिक्षणों की प्रगति में सहयोग के लिए बधाई दी। उन्होंने बाकी कर्मचारियों से जिन्होंने अभी तक हिंदी का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उनसे अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त कर हिंदी की प्रगति को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अहिंदी भाषी कर्म-चारियों के लिए हिंदी सीखना केवल मुद्रा की दृष्टि से ही लाभकारी नहीं है वरन् भारतीय जनता के साथ एवं विशेष-कर कलकत्ता जैसी महानगरी में जहां 30 से 40 प्रतिशत लोग हिंदी बोलने वाले हैं, सद्भावना एवं अच्छी सूझबूझ का परिचायक है। उन्होंने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान एवं दक्षता हासिल करने वाले कर्मचारियों को, अपनी योग्यताओं को सार्थक बनाने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम कार्यालय की एक फाइल का सारा कामकाज हिंदी में दक्षता प्राप्त किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में किया जाना चाहिए।

इलैक्ट्रानिकी विभाग में हिंदी कार्यशाला का आयोजन :

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की सहायता के लिए और हिन्दी के प्रयोग के प्रति उनकी झिझक दूर करने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग में दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 से 2 जनवरी 1980 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 20 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर विषय प्रवेश करते हुए राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री राजकृष्ण बंसल ने कहा कि राजभाषा के मामले पर विचार करते समय सरकार की राजभाषा नीति के अतिरिक्त भाषा के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष और भाषा के सामाजिक और राजनीतिक पक्ष पर विचार करना भी बहुत आवश्यक है। अपने सूत्र को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र की कोई पहचान होती है और इस पहचान का सर्वा-धिक महत्वपूर्ण प्रतीक उसकी भाषा होती है। यदि हमारी कोई पहचान नहीं है तो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम हीनता का अनुभव करेंगे। साथ ही प्रशासन, विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी हम दूसरों की तुलना में पिछड़ जाएंगे क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में अपनी भाषा के माध्यम से अधिक सरलता से कार्य किया जा सकता है।

सामाजिक और राजनैतिक पक्ष के संबंध में उन्होंने कहा कि कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार जनता की सरकार होती है और जनता के साथ तादात्म स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भाषा ही होती है। लोकतंत्र में देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को चलाने में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रजातांत्रिक देश की जनता की भाषा ही उसकी सरकार की भाषा होनी चाहिए।

लोक कल्याणकारी राज्य की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जनता को अपनी सरकार से प्राप्त पत्रों को और किसी से पढ़ाने की आवश्यकता पड़े या उन्हें अपनी अदालतें अजनवी जान पड़ें । अतः सफल और सुदृढ़ सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था के लिए भी अपनी भाषा में काम करना बहुत आवश्यक है ।

उपर्युक्त दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी भाषा नीति बनाती है और शासन के संचालन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में तदनुरूप व्यवस्था करती है । वस्तुतः सरकार का कार्य जनता को साथ लेकर उसकी भलाई करना है, और जनता को अपनी साझेदारी का आभास तभी हो सकता है जब राजकाज का माध्यम जनता की भाषा हो ।

जिस देश की अपनी कोई पहचान न हो वह उस पक्षी की तरह है जिसके पंख तो हों किन्तु जो उड़ नहीं सकता अथवा उस कूप के समान है जिसका आकार तो हो, किंतु जिसमें पानी न हो । उदाहरण के लिए फ्रांसीसी नागरिक अंग्रेजी जानते हुए भी उसका व्यवहार नहीं करते और दूसरों से केवल फ्रेंच में ही वार्तालाप करने की अपेक्षा रखते हैं । यह उनके भाषा प्रेम और राष्ट्र प्रेम का द्योतक है । इसी प्रकार हमें भी अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए । हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से हम सरकारी कर्मचारियों को अपनी भाषा अथवा सरकार की भाषा में काम करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं ।

कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए इलैक्ट्रानिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री एन० शिवसुब्रह्मण्यम ने कहा कि यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि उनके जैसे तकनीकी विभाग में भी हिंदी में काम करने में कोई कठिनाई नहीं पाई गई है । हम कुछ वर्ष पहले भी कार्यशाला आयोजित कर चुके हैं । अब हम उसी कड़ी में आगे प्रयास कर रहे हैं । कार्यशाला में परस्पर विचारों के आदान-प्रदान द्वारा कर्मचारियों का उत्साह बढ़ता है और व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा उन्हें अभ्यास भी कराया जाता है जिससे हिंदी के प्रयोग संबंधी उनकी हिचकिचाहट दूर होती है। कार्यशालाओं में अभ्यास करते और कराते समय हमें उपयुक्त किन्तु सरल शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे शब्दों के प्रचलन का प्रयास करना चाहिए जो सटीक और सार्थक हों । उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि "मेडिकल एग्जामिनेशन" के लिए हिंदी में "डाक्टरी परीक्षा" पर्याय का प्रयोग किया जाएगा तो इससे डाक्टरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अर्थ लिया जा सकता है । ऐसी स्थिति में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए "स्वास्थ्य परीक्षा" कहना अधिक उपयुक्त होगा ।

उन्होंने हिंदी की नोटिंग और ड्राफ्टिंग में मौलिक भाषा का प्रयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में मौलिक चिंतन होना चाहिए न कि पूर्णतः अनुवाद का सहारा लिया जाना चाहिए । उन्होंने यह भी बताया कि अंग्रेजी में कर्म वाच्य की प्रधानता होती है जो हिन्दी की शैली और स्वरूप के अनुकूल नहीं है । मौलिक हिंदी में तो कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है । ऐसी स्थिति में नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लिए जिस हिन्दी का प्रयोग किया जाए उसमें कर्तृवाच्य का ही प्रयोग अधिकतर किया जाना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को वह भाषा अटपटी और बनावटी प्रतीत न हो । हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । हमारे विभाग में जिन विषयों में कार्य होता है उन विषयों से संबंधित शब्दावली, साहित्य और प्रसंगों पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि कार्यशाला से शिक्षित होकर निकलने वाले कर्मचारी अपना दैनंदिन काम हिंदी में कर सकें ।

इस अवसर पर इलैक्ट्रानिकी विभाग के उप सचिव श्री प० ज० वरणेकर, अवर सचिव श्री बृजलाल भादू और वीरेन्द्र भाटिया, एकीकृत वित्तीय सलाहकार श्री राजकुमार अब्बी, कई अनुभाग अधिकारी तथा राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री राजमणि तिवारी और उप निदेशक श्री पी० एल० कनौजिया भी उपस्थित थे । कार्यशाला के उद्‌घाटन समारोह के पश्चात् श्री पी० एल० कनौजिया ने प्रशिक्षार्थियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया ।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस, बंगलौर में पुरस्कार वितरण समारोह

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण योजना के अधीन भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के जिन कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1978 में आयोजित प्रबोध परीक्षा पास की, उन सबको संस्थान की ओर से पुरस्कृत करने और बधाई देने के लिए 25 सितंबर 1979 को संस्थान द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया । हिन्दी परीक्षा में बैठने वाला संस्थान के कर्मचारियों का यह पहला दल था । सर्वश्री एस० नम्पेरूमाल, एस० श्रीनिवास मूर्ति, जी० एस० सम्पत कुमार, के० आर० अनंतपद्‌मनाभ राव, एस० वासुदेव मूर्ति, जे० सी० सीताराम, एस० एन० सुब्बाराम, के० एस० राजगोपाल, एम० आर० नारायण, एच० के० मूर्ति, एस० सुन्दरेश और डी० एम० चन्नागौड़ा में से प्रत्येक कर्मचारी को दो शब्द कोष, इस अवसर पर प्रदान किए गए । सर्वश्री जे० सी० सीताराम और एस० सुन्दरेश को विशेष योग्यता के साथ परीक्षा में सफल होने के उपलक्ष में नक़द राशि से भी पुरस्कृत किया गया ।

समारोह की अध्यक्षता हिंदी कक्ष समिति के अध्यक्ष और अकार्बनिक रसायन विभाग के प्रोफेसर ए० आर० वासुदेव मूर्ति ने की । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में दक्षिण भारत में, देश के स्वतंत्र होने से पूर्व की अवधि में, हिंदी के प्रचार-प्रसार का बहुत रोचक विवरण प्रस्तुत किया और देश में भाषा की भावात्मक शक्ति और उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला । संस्थान के रजिस्ट्रार श्री टी० नंजुंडू राव ने

बताया कि किस प्रकार संस्थान अपने कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और क्या-क्या सुविधाएँ वह इस संदर्भ में अपने कर्मचारियों को आज कल दे रहा है। उन्होंने संस्थान में हिंदी शिक्षण के सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिंदी कक्ष के प्रभारी अधिकारी डा० कृष्णकुमार गुप्त के परिश्रम और उनकी सूझ-बूझ का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उनके प्रति संस्थान की ओर से आभार प्रकट किया।

सफल कर्मचारियों में से वरिष्ठतम् कर्मचारी श्री एस० श्रीनिवास मूर्ति ने हिंदी कक्षा में एक विद्यार्थी के रूप में हुए अपने अनुभवों को बहुत-ही रोचक ढंग से उपस्थित जन समुदाय के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि लगभग तीस वर्ष पूर्व वे अपनी कालेजी शिक्षा समाप्त कर चुके थे और तीन दशकों के लम्बे अंतराल के बाद जब वे एक विद्यार्थी के रूप में पुन: कक्षा में प्रविष्ठ हुए तब अपने विद्यार्थी काल की अनेक स्मृतियाँ उनके मानस पटल पर अनायास उभर आईं। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन भी किया कि घर पर उनकी पुत्री ही उनकी हिंदी-शिक्षक हुआ करती थी और वे हिंदी पढ़ने और लिखने में उससे वैसे ही सहायता लेते थे, जैसे कि एक छात्र अपने गुरू से लेता है।

हिंदी कक्ष के प्रभारी अधिकारी डॉ० कृष्णकुमार गुप्त ने कक्ष के क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि संस्थान का हिंदी कक्ष दो-ढाई वर्ष की अल्प अवधि में क्या कुछ करने में समर्थ हो सका है। भाषांतर संबंधी विभागीय-प्रशानिक कार्य और हिंदी कक्षाओं के संचालन के अतिरिक्त हिंदी कक्ष 'विज्ञान परिचय' नाम से अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में एक साथ एक त्रैमासिक बुलेटिन का प्रकाशन भी कर रहा है। इसकी लगभग नव हजार प्रतियां उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के सभी विश्वविद्यालयों, उनसे संबंधित अधिकांश कालेजों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान और विकास स्थापनाओं, समाचार पत्रों तथा देश भर के चुने हुए अनेक वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों और सम्मानित नागरिकों को भेजी जाती हैं। यह पत्रिका बहुत कम समय में इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि देश के कोने-कोने से सैकड़ों पाठकों ने अपनी शुभ कामनाएँ और प्रतिक्रियाएँ भेज कर इसे हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

समारोह में विभिन्न प्रवक्ताओं द्वारा प्रकट किए गए विचारों से इस बात की स्पष्ट झलक मिलती है कि इस संस्थान के अधिकारी शनः-शनैः इस कक्ष को एक पूर्ण भारतीय भाषा विभाग के रूप में विकसित करने की बात सोचने लगे हैं। राष्ट्र के व्यापक हित में यह एक शुभ लक्षण है। □□□

(पृष्ठ 21 का शेष)

8. पत्र-पत्रिकाओं, प्रचारात्मक साहित्य, वार्षिक रिपोर्टों आदि को हिंदी में प्रकाशित करना:

एच० ए० एल० की वार्षिक रिपोर्ट हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही है उसी तरह व्यावसायिक साहित्य भी हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। पत्र-पत्रिकाओं तथा हाउस जरनलों आदि को हिंदी में प्रकाशित करने के सुझाव के अनुपालन पर ध्यान दिया जा रहा है।

9. निर्मित माल पर विवरण अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी लिखा जाना:

कंपनी द्वारा निर्मित माल पर जहाँ कहीं अंग्रेजी शब्द हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड लिखा गया है उस को हिंदी में लिखने के अनुदेश पहले ही दिए गए थे। अब जहाँ कहीं अंग्रेजी शब्द 'मेड इन इंडिया' लिखा गया है, उसके साथ हिंदी शब्द 'भारत' भी लिखे जाने की व्यवस्था की जा रही है।

10. हिंदी जानने वाले कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद:

प्रभागों द्वारा चालू किए गए पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में संदर्भ साहित्य, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र तथा अन्य हिंदी पुस्तकें खरीदी गई हैं। □□□

[पृष्ठ 17 का शेष]

वाले सभी फार्म द्विभाषिक रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं। मंत्रालय के जो प्रकाशन बाहर भेजे जाते हैं, उनके लिफाफों और रैपरों पर हिंदी में पता लिखने के लिए दो ब्राडमा मशीनें खरीद ली गई हैं और उनसे काम लिया जा रहा है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याओं पर मंत्रालय में हिंदी में एक भाषण माला प्रारम्भ की जाए, जिसमें संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को बुला कर उस विषय पर हिंदी में भाषण करवाए जाए इससे मंत्रालय में हिंदी का काम संभवत: कुछ और भी सुगम हो जाएगा साथ ही आयुर्विज्ञान विषयों पर जब विद्वान हिंदी में बोलेंगे तो इससे आयुर्विज्ञान जैसे क्षेत्र में हिंदी की सम्प्रेषण शक्ति पर संदेह करने वालों की भ्रांति भी दूर हो सकेगी। ○○○

हिंदी कहाँ और कितनी ?

मंत्रालय/विभाग	किस तारीख को समाप्त हुई तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार	तिमाही में प्राप्त हिंदी पत्रों की संख्या	इन पत्रों के उत्तर		'क' तथा 'ख' राज्य सरकारों को लिखे मूल पत्रों की संख्या		'क' तथा 'ख' क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालयों को लिखे मूल पत्रों की संख्या		हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या	
			कितने हिंदी में	कितने अंग्रेजी में	हिंदी	अंग्रेजी	हिंदी	अंग्रेजी	कुल संख्या	हिंदी में 25 प्रतिशत काम करने वालों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सिंचाई विभाग	30-12-78	900	140	20	315	215	291	1320	293	16
पुनर्वास विभाग	,,	852	533	—	96	5	39	—	205	130
अंतरिक्ष विभाग	,,	18	5	—	—	—	10	2457	38	—
नागरिक पूर्ति और सहकारिता	,,	815	175	—	163	264	292	629	102	94
श्रम	,,	2353	401	122	39	184	390	3121	384	9
कार्मिक विभाग	,,	1724	1069	7	213	—	744	1688	403	16
योजना मंत्रालय	,,	307	139	49	522	7	595	32	391	—
सांख्यिकी विभाग	,,	1260	560	—	99	92	396	569	444	27
इलैक्ट्रानिकी विभाग	,,	248	33	215	—	9	20	106	92	7
निर्माण और आवास	30-9-78	740	297	170	18	3	169	89	310	24
विद्युत विभाग	,,	442	198	18	49	325	251	800	156	53
भारी उद्योग	,,	560	435	35	22	30	60	690	190	13
खाद्य विभाग	,,	1827	1358	—	21	35	202	1821	548	—
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	,,	79	3	—	—	—	—	—	21	—
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	,,	372	198	—	16	—	—	—	100	9
ग्रामीण विकास विभाग	,,	691	242	16	69	270	136	274	190	24
परमाणु ऊर्जा विभाग	,,	205	43	10	—	176	3	847	106	7
प्रधान मंत्री कार्यालय	,,	38018	25853	—	9873	1	1550	1967	204	24
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	,,	4929	4853	—	94	41	193	180	396	66
डाक तार	,,	2813	2173	19	716	2890	1168	3036	447	30
नौवहन व परिवहन	,,	958	707	54	4	115	69	861	1138	43
व्यय विभाग	,,	886	279	—	27	—	90	8816	540	66
रसायन और उर्वरक	,,	61	61	—	3	—	5	—	174	12

वाणिज्य मंत्रालय	30-9-78	196	52	14	2	98	61	5134	295	92
आर्थिक कार्य विभाग	,,	966	399	9	52	337	1201	6289	498	44
बैंकिंग प्रभाग	,,	1018	261	—	4	735	—	705	155	—
रक्षा प्रभाग	,,	399	397	—	—	—	52	25	315	18
प्रशासनिक सुधार विभाग	,,	164	65	—	2	14	5	374	127	31
विधि कार्य विभाग	,,	195	29	1	10	629	4	2814	304	4
विधायी विभाग	,,	2417	1549	—	59	—	195	—	319	173
कंपनी कार्य विभाग	,,	221	124	—	—	—	170	10767	239	—
इस्पात विभाग	,,	518	270	108	1	2	12	61	64	—
खान विभाग	,,	1314	659	28	—	—	738	432	111	30
मंत्रिमंडल सचिवालय	,,	224	66	—	2	19	17	5452	130	11
निर्वाचन आयोग	,,	2223	1499	—	1390	—	17	—	156	31
सरकारी उद्यम कार्यालय	,,	311	147	—	—	—	147	4384	144	115
संसदीय कार्य विभाग	,,	292	96	—	—	—	—	—	111	3
रक्षा मंत्रालय	,,	2212	641	214	152	79	293	164	224	37
गृह मंत्रालय	30-6-78	12771	7284	639	2156	793	282	1624	6087	—
सूचना व प्रसारण	,,	1575	366	—	50	88	463	8367	233	13
औद्योगिक विकास विभाग	,,	676	282	6	31	1002	52	4931	265	31
पूर्ति विभाग	,,	312	220	—	15	5	13	50	172	40
रेल मंत्रालय	,,	6505	2914	—	132	749	883	1978	1404	166
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक	31-3-78	1305	218	6	—	—	206	7167	42	1
समाज कल्याण विभाग	,,	1341	556	—	160	223	—	—	648	18
संस्कृति विभाग	,,	224	198	—	31	—	—	—	37	—
राजस्व विभाग	,,	1296	194	—	16	115	—	—	88	16
पेट्रोलियम विभाग	,,	2129	2050	—	—	—	173	63	11	4
विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	,,	228	40	—	7	—	4	1626	25	10
कृषि विभाग	,,	2148	305	1036	16	356	618	8488	532	प्राप्त नहीं
संचार मंत्रालय	,,	44	33	—	17	—	220	176	126	20
शिक्षा विभाग	31-12-77	741	380	9	—	34	5	—	—	—
न्याय विभाग	,,	204	88	—	—	—	—	—	7	1
संघ लोक सेवा आयोग	,,	1111	503	—	153	42	29	468	161	—
कोयला विभाग	30-6-77	566	63	—	6	—	—	—	8	5
विदेश मंत्रालय	31-3-77	382	122	45	—	635	—	—	192	192

पाठकों के पत्र

ऐसा लगा कि फिलहाल हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में सफलता दिलाने तक ही "राजभाषा भारती" का उद्देश्य रखा गया है । आशा है यह पत्रिका आगे चलकर केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के बीच एकात्मकता का भाव जगाने का प्रतीक बन जाएगी । यदि इसमें कर्मचारियों के कल्याण संबंधी बातें हिन्दी में दी जाएँ तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी क्योंकि अहिन्दी भाषी कर्मचारी भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे उनका हिन्दी का स्तर बढ़ेगा। चूंकि आधुनिक हिन्दी साहित्य की गरिमा से अहिन्दी क्षेत्रों के बहुत कम लोग परिचित हैं, इसलिए उनके मन में हिन्दी के विरुद्ध एक पूर्वाग्रह बना हुआ है । अतः आप हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखकों की कृतियों के एक-दो नमूने भी अपनी पत्रिका के हर अंक में प्रकाशित करें । [केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'भाषा' पत्रिका में ऐसी सामग्री प्रकाशित की जाती है। —संपादक]

—अच्युतन नायर,
सिविलियन राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय, दक्षिण नौसेना कमान, कोचीन-4

विभिन्न कार्यालयों और उपक्रमों आदि में हिन्दी के प्रयोग एवं उसकी प्रगति संबंधी जानकारियों का समावेश होने के कारण, 'राजभाषा भारती' सभी कार्यालयों और उपक्रमों आदि के कर्मचारियों में एक लोकप्रिय पत्रिका होती जा रही है । आशा है भविष्य में भी यह हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी ।

—चन्द्रभान,
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (प्रशासन), स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया
लिमिटेड, हिनू, डोरंडा, राँची-2

'राजभाषा भारती' की एक प्रति देखने को मिली । यह पत्रिका राजभाषा के कार्यान्वयन में बड़ी सहायक तथा उपयोगी सिद्ध होगी । ऐसा मेरा विश्वास है इसकी जितनी प्रतियाँ भारत सरकार की दिल्ली से बाहर 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में भेजी जाएँगी उतनी ही तादाद में उन्हें राजभाषा में हो रही प्रगति की जानकारी मिलेगी । वे कार्यालय भी उसी अनुपात में राजभाषा की ओर आकर्षित होंगे और अंततः हिन्दी को संपर्क भाषा बनाने में सहायक होंगे ।

—सुशील कुमार वर्मा, प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-6

'राजभाषा भारती' पत्रिका मुझे बराबर पढ़ने को मिल जाती है । जो सामग्री उसमें पाठकों को, विशेषकर मंत्रालयों में हिन्दी संबंधी काम देखने वालों को, मिलती है, वह उनके काम को सरल बना देने में काफी सहायक है । इसके लिए राजभाषा विभाग का प्रयास निःसंदेह सराहनीय है।

—मणिराम, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी,
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

'राजभाषा भारती' संपर्क बनाने और सूचना देने के क्षेत्र में अप्रतिम सिद्ध हो रही है। क्या ही अच्छा हो, यदि इसे 'मासिक' बना दिया जाए ।

—डा० हरी सिंह राणा, हिंदी अधिकारी,
नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन, बंगलौर

'राजभाषा भारती' का अंक-5 (अप्रैल—जून, 1979) प्राप्त हुआ । इस कार्य के लिए कृपया मेरी बधाई स्वीकार कीजिए । हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए यह पत्रिका ज्ञानवर्धक तो है ही, साथ ही साथ पथ-प्रदर्शक भी है । सफल प्रकाशन के लिए कर्मचारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

—कांति लाल,
कृषि अन्वेषणालय, पटना

राजभाषा भारती' का पाँचवा अंक पढ़ने को मिला । 'हिन्दी कहाँ और कितनी ?' तथा 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए वर्ष 1979-80 का कार्यक्रम विशेष रूप से देखा । सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी कार्यालयों के लिए हिन्दी में करने को अत्यंत ही व्यावहारिक कार्यक्रम दिए हैं । सभी कार्यालयों में साइनबोर्ड, नामपट इत्यादि द्विभाषिक रूप में देखने में आ रहे हैं । द्विभाषिक पत्र और प्रपत्र मिलने लगे हैं । विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा हिन्दी कार्यशाला तथा हिंन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है । परन्तु अभी भी पत्राचार का एक बहुत बड़ा प्रतिशत अंग्रेजी में किया जा रहा है क्योंकि आज भी अपनी वर्षों पुरानी अंग्रेजी में लिखने की आदत तथा हिन्दी टाइपिस्ट और टाइपराइटर की कमी के कारण लोग हिन्दी में नहीं लिख पाते हैं। इसलिए अब जब कि करीब करीब सभी पदनामों और कक्षों/अनुभागों/विभागों/कार्यालयों/मंत्रालयों के हिन्दी पर्याय तैयार हो चुके हैं और सभी कार्यालयों को उपलब्ध भी कराए जा चुके हैं तो अंग्रेजी पत्राचार में भी पदनाम/कार्यालय का नाम निम्न प्रकार से पहले रोमन में तथा फिर कोष्ठक में अंग्रेजी में दे सकते हैं :—

1. गृह मंत्रालय/मिनिस्ट्री आफ होम एफैयर्स
2. मुख्य सचिव/चीफ सेक्रेटरी
3. कार्मिक विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय/पर्सोनल डिपार्टमेंट, रीजनल आफिस
4. महा प्रबंधक/जनरल मैनेजर

अंग्रेजी पत्राचार में इस प्रणाली को अपनाने से कुछ समय बाद देश में उन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को जो अभी भी हिन्दी समझने/लिखने में असमर्थ हैं, रोमन के माध्यम से अपने कार्यालय और पदनाम को जान जाएँगे । फिर कर्मचारियों में दो वर्ग ऐसे वर्ग नहीं होंगे जिसमें एक 'गृह मंत्रालय' बोले दूसरा 'होम मिनिस्ट्री' कोई 'महाप्रबंधक' कहे, कोई 'जनरल मैनेजर' ।

उपर्युक्त प्रणाली अपनाने के साथ साथ कर्मचारियों के हिंदी में प्रशिक्षण की गति तेज की जाए ताकि कुछ समय बाद आगे जाकर सभी कुछ देवनागरी में ही लिखा, पढ़ा जा सके ।

—रंजन उपाध्याय,
1211—21 बी०, चंडीगढ़ (यू० टी०)

'राजभाषा भारती' का पाँचवा अंक (अप्रैल—जून, 1979) पढ़ा और अनुभव किया कि भारती को यह अंक प्रगति के सोपान में अब तक प्रकाशित अन्य अंकों को बहुत पीछे छोड़ गया है। यह अंक कितना सुन्दर श्रेष्ठ और प्रयोजनमूलक हो उठा है पाठक ही बताएँगे । 'देवनागरी में तार' और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' जैसे लेख प्रत्येक अंक में दिए जाएं ताकि हिन्दी के व्यावहारिक रूप और उसके प्रयोग को पाठक गहराई से समझ सकें 'दीक्षांत भाषण' और 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' लेख भी ज्ञानवर्धक होने के कारण अत्यंत प्रसंशनीय हैं ।

——गंगा नारायण,
लेखा परीक्षक, हिंदी कक्ष,
महालेखाकार का कार्यालय, जयपुर (राजस्थान)

मैं आपके राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा भारती' पत्रिका पढ़ती हूँ । अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी टंकक हूं । हमारे कार्यालय में नियमित रूप से आपकी पत्रिका प्राप्त हो रही है । इससे अहिंदी भाषी लोगों को राजभाषा संबंधी नियमों की जानकारी प्राप्त होती है । हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाने में भी यह पत्रिका सहायक होती है । सभी सरकारी उपक्रमों, निगमों में हिन्दी की प्रगति की जानकारी प्राप्त होने से सबमें उससे ज्यादा काम करने की भावना जाग उठती है । राजभाषा के प्रचार-प्रसार में आपकी सेवाएँ प्रशंसनीय हैं ।

—शोमना फणसालकर,
हिंदी टंकक, एच० एम० टी० लिमिटेड,
36, कन्निगहाम रोड, बंगलौर-560062

'राजभाषा भारती' का पाँचवा अंक मिला । इसमें प्रकाशित सूचनाओं की जानकारी निश्चय ही न केवल हमारे यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रेरणावर्द्धक सिद्ध होगी । पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होगा । इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजभाषा विभाग बधाई का पात्र है और उसकी सेवाएँ प्रशंसात्मक हैं ।

—ए० वी० रामन,
आयकर आयुक्त, विदर्भ, नागपुर

मैं राजभाषा भारती (त्रैमासिक) के सभी अंक नियमित रूप से प्राप्त कर रहा हूँ । राजभाषा विभाग का यह कार्य सभी प्रकार से प्रशंसनीय है । मुद्रण तथा पाठ्यसामग्री सभी वढ़िया है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से राजभाषा का प्रयोग एवं प्रगति अत्यंत ही आवश्यक है परन्तु प्रयोग की प्रगति में राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं संशोधन, 1967 सर्वाधिक बाधक है । 30-32 वर्ष की निरंतर चिल्लपुकार के पश्चात् भी राजभाषा हिंदी के प्रयोग की गति असंतोषजनक है । लगभग 3-4 वर्ष पूर्व जहाँ उसकी गति बढ़ी थी वहाँ 3-4 वर्ष के अंदर उसकी गति मंद हो गई है ।

—मनोहर लाल गर्ग, महामंत्री,
हिंदी प्रचार समिति, हाथरस (उ० प्र०)

आपकी पत्रिका मिल गई और मैंने उसे पढ़ा भी है । इस पत्रिका को ज्यादा रोचक और व्यापक बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, अच्छी छपाई, अच्छा कागज, अच्छा प्रकाशन—यदि इतनी सुविधाओं को मात्र भाषा के प्रशासनिक उपयोग तक सीमित रखा जाए तो पत्रिका की उपयोगिता भी सीमित रहेगी । राजभाषा का स्वरूप प्रशासनिक उपयोग से अधिक बड़ा है । मेरा सुझाव है कि :

(1) राजभाषा के अन्य भाषा भाषी लेखकों की रचनाओं को पत्रिका में स्थान दिया जाए,

(2) विकास की प्रक्रिया में पिछले तीन दशकों में जो तकनीकी तथा अन्य शब्द प्रचलित हुए हैं उन हिन्दी शब्दों का अन्य भाषाई राज्यों में प्रयुक्त शब्दावली अथवा पर्यायों के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रत्येक अंक में प्रस्तुत किया जाए । एकरूपता लाने में यह एक अच्छा प्रयास होगा ।

(3) अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं से हिन्दी अनुवादों के सफल और श्रेष्ठ 'नमूने' प्रस्तुत किए जाएँ ।

(4) अनुवाद की समस्या के अनेक पक्षों पर नियमित रूप से प्रकाश डाला जाए ।

—गिरजा कुमार माथुर,
बी-3/44, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

एक लंबे समय से 'राजभाषा भारती' जैसी पत्रिका की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और अकस्मात ही इसे पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई । राजभाषा के व्यापक एवं सुनियोजित विकास के लिए इस पत्रिका की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है । यह पत्रिका न केवल कार्यालयीन उपयोग में सहायक है, वरन् सरकारी कार्यों में हिंदी को लेकर फैली हुई कुछ भ्रांतियों को भी दूर करती है । इसके साथ ही साथ पत्रिका हिन्दी में अंतर्निहित स्वाभाविक गुणों को उजागर करती है ।

हिंदी में अभिव्यक्ति चाहे मौखिक हो या लिखित बड़ी सहज और स्वाभाविक रूप से हो सकती है । शर्त केवल यही है कि हिन्दी को हमेशा क्लिष्ट होने से बचाया जाए । पत्रिका के लेखों में इस तथ्य की ओर अंगुलिनिर्देश किया गया है तथा सरल प्रयोग के लिए सही सलाह दी गई है । हमें विश्वास है कि अपने ढंग की अनूठी यह पत्रिका अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल होगी ।

—एच० के० जोशी,
शाखा विक्रय कार्यालय,
स्टील अथारिटी आफ इंडिया, नागपुर

'जनवरी—मार्च, 1979' के अंक में 'विधि के क्षेत्र में हिंदी' एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक लेख रहा । इस सारगर्भित लेख में अनुवाद की पद्धति को इंगित कर श्री शांतिभूषण जी ने कुछ गहन विचार रखे हैं । 'समस्यां से समाधान की ओर' लिखते हुए उपर्युक्त लेख को सरल, सरस और सुग्राह्य बना दिया है । 'संविधान के अनुच्छेद 351 में निदेश है कि शब्द मुख्यतः संस्कृत से लिए जाएँ' का जो निर्वचन उन्होंने प्रस्तुत किया है वह भी ध्यातव्य है ।

आप जिस सुरूचि एवं निष्ठा के साथ इस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, वह निश्चिय ही सराहनीय है ।

—डा० कुमार विमल,
अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

'राजभाषा भारती' जिस उद्देश्य के लिए प्रकाशित है उसमें वह सफल है। इसके अवलोकन पर हमने यह देखा कि हिन्दी की उन्नति एवं कार्यान्वियन में लगे लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें प्रकाशित सभी सामग्री विचारपूर्ण एवं सूचनात्मक है । हम 'राजभाषा भारती' की सफलता की कामना करते हैं ।

—आर० एस० एल० प्रभु,
निरीक्षक, राजभाषा अनुभाग, केनरा बैंक,
पोस्ट बाक्स नं० 6648, बंगलौर

OOO

भविष्य में हिंदी आने वाली नवीन चेतना की सांस्कृतिक भाषा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंग्रेजी में बौद्धिक सक्रियता और बौद्धिक आलोचना के तत्त्व हैं, पर सांस्कृतिक अर्थ में वह अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। हिंदी में जो ध्वनि-संगीत है, जो शांति की सूक्ष्म झंकारें परिव्याप्त हैं, जो पवित्रता है, वे बेजोड़ हैं। भावी मनुष्यत्व के तत्त्वों से हिंदी परिपूर्ण होगी। भविष्य में संस्कृति का जो नवीन संचारण होगा, उसे हिंदी अपने में समाहित करेगी। आने वाले युग की संस्कृति में जिन गुणों का समावेश होगा, वे गंभीर, व्यापक और उच्च-स्तर के होंगे। नवीन संस्कृति को व्यक्त करने के लिए भाषा झरने की तरह फूट निकलेगी, भाव उमड़-उमड़ कर आएँगे। हिंदी भाषा का सौंदर्य ही कुछ विलक्षण है। मुझे विश्वास है कि एक दिन आएगा, जब हिंदी विश्व की सांस्कृतिक भाषा होगी।

—सुमित्रानंदन पंत

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।